

प्रकाशक—
राष्ट्रीय - भाषा - मन्दिर
दारागंज, प्रयाग।

मुद्रक—
एम. के. सिहीकोटी,
स्थार प्रेस, प्रयाग।

भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक श्री साइमन हैक्सी द्वारा लिखित “Tory P.” नामक अंग्रेजी ग्रंथ का सक्रिय अनुवाद है। इसमें वर्तमान श पार्लिमेंट के उस दल का वर्णन मिलेगा, जिसके हाथ में इस य संपूर्ण बृहिंश साम्राज्य का शासनाधिकार है। यह दल अपने “राष्ट्रीय दल” (National Party) के नाम से पुकारता कितु इसमें किस प्रकार के लोग भरे हैं और उनके विचार एवं दांत किस प्रकार के हैं यह पुस्तक को पढ़ने से ही मालूम होगा।

यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं। इस दल का संगठन और करण सन् १९३१ में किया गया था। अस्तु, इसी “राष्ट्रीय दल” नग्न स्वरूप और इसी के तमाम सदस्यों की सच्ची-सच्ची हुलिया इस तक में चिह्नित की गयी है।

अंग्रेजी की मूल पुस्तक इंग्लैड में जुलाई सन् १९३४ में प्रकाशित थी। छपते ही यह वहाँ इतनी अधिक लोकप्रिय हुई, कि इसकी कापियाँ तत्काल हाथों-हाथ बिक गई। चार ही महीने में नवम्बर मास तक इसके तीन संस्करण निकल चुके। हम वासियों के लिए भी इस पुस्तक की उपयोगिता कुछ कम नहीं जा सकती, कारण कि इस देश के भी भाग्य-विधाता वे ही हैं, जिन के हाथ में बृहिंश शासन की इस समय नकेल है। लोगों से हमें स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करना है वे कैसे हैं उनके विचार एवं व्यवहार किस प्रकार के हैं इसका ज्ञान स्वातन्त्र्य युद्ध की सफलता के लिए उपयोगी ही नहीं, बल्कि भी कहा जा सकता है। अस्तु इसी विषय का ज्ञान कराने लिए यह अनुवाद सामने है।

पुस्तक में वृटिश शासक-दल को राष्ट्रीय दल के नाम से नहीं पुकारा गया है, बल्कि 'टोरी' (या 'अनुदार दल') के नाम से पुकारा गया है. कारण, जैसा कि पुस्तक को पढ़ने से मालूम होगा, यह दल वास्तव में पुराने टोरी-दल का ही एक परिवर्तित रूप मात्र है। अब यह पुराना टोरी दल क्या था इसे समझने के लिए इंग्लॉड के पुराने इतिहास में जाना पड़ेगा। साथ ही वृटिश पार्लिमेंट के सम्बन्ध में भी थोड़ा सा हाल जान लेना पुस्तक के अध्ययन में सुनिवाजनक होगा। अतएव नीचे सक्षेप में हम वही बतलाने जा रहे हैं।

हम जानते हैं कि अंग्रेजी शासन का सपूर्ण अधिकार इस समय वृटिश पार्लिमेंट के हाथों में है। यह पार्लिमेंट दो सभाओं से मिल कर बनी है, जिनमें न पहली सभा का नाम 'हाउस आफ लार्ड्स' है और दूसरी का नाम 'हाउस आफ कामन्स' है। हाउस आफ लार्ड्स में देश के तमाम बड़े-बड़े खान्दानी सरदार, सामत एवं लाउंड-उपाधिधारी अमीर लोग बैठते हैं, और हाउस आफ कामन्स में रेपब्लिक प्रजा के चुने हुए सदस्य बैठा करते हैं। मन्त्रियों का चुनाव इन्हीं नदस्यों द्वारा किया जाता है, और प्रत्येक मन्त्री अपने कार्य के निए पूर्ण न्यूनता से पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी रहता है।

इस वृटिश पार्लिमेंट का जन्म और विकास तेरहवीं शताब्दी से दिखाएँ देता है। उस समय इंग्लिस्तान में राजा और सामतों के बीच राजनीतिक शक्ति के लिए नित्य ही लड़-झगड़ रहा करती थी कभी राजा शक्तिशाली हो जाता था, तब सामतों को दबना पड़ता था। और उसी सामतों की शक्ति यह जाती थी, तब राजा को दबना पड़ता था। मन १२१५ में राजा की शक्ति कमज़ोर पड़ी और सामतों ही शान्ति प्रदान हो गई। अतएव उन्मे मजबूर हो कर सामतों के शामने एक प्रतिज्ञा पत्र पर दस्ताचर करना पड़ा, जो इंग्लॉड के इतिहास में एक बही प्रसिद्ध घटना थी। प्रत्येक अंग्रेज इस प्रतिज्ञा

वरावर बढ़ते गये, यहाँ तक कि आगे चल कर राजा एक दिखावटी सिलौना मात्र रह गया।

किन्तु पार्लिमेट की यह शक्ति सहज ही इतनी अधिक नहीं बढ़ गयी। इसके लिए उसे राजाओं के साथ बहुत दिनों तक झगड़े और लडाइयाँ करनी पड़ीं, जिसका विवरण इंग्लैंड के इतिहास से मालूम किया जा सकता है। ट्यूडर राजवश के समय तक पार्लिमेट की शक्ति कुछ अधिक नहीं बढ़ पायी थी। इस वंश के प्रायः सभी शासक एक प्रकार से विलकुल निरकुश थे। साथ ही उनमें इतनी समझ भी थी कि उन्होंने कभी पार्लिमेट से खुल कर झगड़ा नहीं किया। किन्तु स्ट्रुअर्ट वश का राज्यकाल आते ही झगड़ा-बन्धा शुरू हो गया। इस वश का पहला राजा, जेम्स प्रथम, आरभ में वेल स्काटलैंड का शासक था, किन्तु रानी एलिजबेथ के मरते ही वह इंग्लैंड का भी राजा बना दिया गया। इसका दावा था कि राजा को प्रजा पर राज्य करने का ईश्वरदत्त अधिकार है और कोई व्यक्ति उसके इस अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। निदान पार्लिमेट के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा उसके जीवन पर्यंत वरावर बढ़ता ही गया। सन् १६२५ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उसका पुत्र चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा, उस नमन उस झगड़े ने और गभीर रूप धारण किया। सन् १६२८ में पार्लिमेट ने इस राजा की सेवा में एक निवेदन-पत्र पेश किया,

इसके बाद यह झगड़ा विकराल रूप धारण ~~कर्तव्यों~~ लम्हा^{लम्हा} के बीच ने परिणामस्वरूप सन् १६४२ में राजा और पार्लिमेंट के बीच भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया। राजा के पक्ष में बहुत से सामन्त र सर्दार थे तथा सेना के अधिकांश सिपाही थे। और पार्लिमेंट पक्ष में लंदन के नागरिक तथा अनेक बड़े-बड़े अमीर व्यापारी लैंगेंट-पक्ष का नेता आलिवर क्रामवेल था, जो एक बहादुर और ग्रे योग्य व्यक्ति था। यह युद्ध कई वर्ष तक चलता रहा। अन्त में त पार्लिमेंट की हुई और चार्ल्स कौद कर लिया गया। सन् १६४६ ई० उस पर न्यायालय में सुकदमा चलाया गया और पश्चात् उसे ऐसी दे दी गयी। यह खबर योरोप के देशों में जिस समय पहुँची। सर्वत्र एक भयंकर सनसनी सी फैल गई और वहाँ के तमाम राज-रहासन एकबारगी भय से हिल उठे।

इसके बाद इंगलैण्ड में आलिवर क्रामवेल के अधीन एक जातंत्र की स्थापना की गई। किन्तु सन् १६५८ में क्रामवेल की गृह्य हो गई और उसके दो वर्ष पश्चात् वह प्रजातंत्र भी समाप्त हो गई। अब अग्रेजों का राजप्रेम फिर जाग उठा और उन्होंने खर्गीय चार्ल्स के पुत्र चार्ल्स द्वितीय को फ्रास से बुला कर राजगद्दी पर बैठाया। किन्तु यह व्यक्ति केवल एक विलासी पुरुष था और अपने भोग-विलास के आगे किसी दूसरी बात की चिन्ता ही नहीं करता था। अतएव इसके राज्यकाल में कोई नई बात नहीं हुई। किन्तु उसके मरते ही जब उसका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा, तब राजा और पार्लिमेंट के बीच झगड़ा फिर आरम्भ हो गया। यह झगड़ा धार्मिक और साम्राज्यिक प्रश्नों पर था। किन्तु पार्लिमेंट के आगे जेम्स की कुछ भी न चली और उसे अपने प्राण लेकर फ्रास भाग जाना पड़ा। अब पार्लिमेंट ने एक दूसरे व्यक्ति को राजपद के लिए चुना। इसका नाम विलियम था। इसका विवाह राजघराने की एक कन्या 'मेरी' के साथ हुआ था। अतएव विलियम और मेरी

अब सरुक्त रूप से राजसिंहासन पर बैठाये गये। इस प्रकार राजा पर पार्लिमेट की यह दूसरी जवर्दस्त जीत हुई। इसके बाद फिर किनी राजा को आज तक पार्लिमेट के अधिकार और शक्ति पर शका या प्रश्न करने का नाहस नहीं हुआ। देश में अब निर्विवाद रूप से पार्लिमेट का दी एकाधिकार स्थापित हो गया।

किन्तु यह पार्लिमेट उन दिनों जैसी थी और जिस ढग से इसका चुनाव किया जाता था उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसे प्रजा नी प्रतिनिधि-सत्या के नाम से नहीं पुकार सकता। वास्तव में वह प्रजा के एक बहुत ही सद्म भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। अभी गौ वर्ष में कुछ ही ज्यादा हुए जब इंग्लैण्ड ने 'जेनी निर्वाचन चैन्ट्रों' (Pocket-boroughs) की कमी न थी। ये निर्वाचन-चैन्ट्रे हमें होते थे, जिनमें एक या दो भी ज्यादा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। कहते हैं सन् १७६३ ई० में हाउस आफ कामन्स के ३०६ बेम्बरों को केवल १६० आदमियों ने चुना था। इस प्रलार प्रत्यक्ष है कि प्रजावर्ग के अधिकाश आदमियों को पार्लिमेट के निर्वाचन में उन नमय कुछ भी अधिकार न था। लार्ड्स सभा में तो लार्ड उपाधिधारी बड़े-बड़े मामत जमींदार और पादरी लोग ने ही, किन्तु कामन्स सभा में भी अधिकतर सदस्य

यहाँ तक तो ब्रृटिश पार्लिमेंट के जन्म और विकास का वर्णन आ। अब कुछ थोड़ा सा परिचय टोरी-दल का भी देना ज़रूरी है। 'टोरी' शब्द का व्यवहार इंग्लैण्ड में किसी राजनैतिक दल के लिए इते-पहल सन् १६७८ ई० के क़रीब किया गया था। उस समय राजा और पार्लिमेंट के म़गड़े में जिन लोगों ने राजा का साथ दिया था उन्हीं के समूह को टोरी दल का नाम मिला था। ये लोग वे थे जो राजा की दरबारदारी किया करते थे और जिन्हे राजा की ओर जमीन, जायदाद, ऊँची-ऊँची पदवियाँ और सनदें प्राप्त थीं। स प्रकार प्रायः तमाम बड़े-बड़े खानदानी समंत, सर्दार, पदवी-री रईस और ताल्लुकेदार लोग इसी टोरी दल के सदस्य दिखाई देते थे। ये राजा के ईश्वर-दत्त अधिकारों का समर्थन करते थे और प्रायः सभी प्रकार के राजनैतिक परिवर्तनों के विरुद्ध थे। जो लोग इन विचारों को नहीं मानते थे और इनके विरोधी थे वे 'व्हिंग पार्टी' (Whig Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार पार्लिमेंट के तमाम सदस्य 'व्हिंग' और 'टोरी' दो दलों में विभक्त गये थे।

सन् १८३२ के सुधार कानून के समय इन दोनों दलों का नाम बदल दिया गया। टोरी दल अपने को 'कन्जर्वेटिव पार्टी' (Conservative Party) के नाम से पुकारने लगा और वे पार्टी का नाम 'लिबरल' (या 'उदार') पार्टी पड़ गया। आगे ल कर सन् १८८६ ई० में कन्जर्वेटिव पार्टी, का नामकरण फिर किया गया। उस समय प्रधान मंत्री मिस्टर ग्लैड्स्टन के होमरूल-ल का विरोध करने के लिए कुछ उदार दल वाले अपने दल अलग होकर कन्जर्वेटिव दल वालों के साथ जा मिले थे। अतएव वे उस दल का नाम कन्जर्वेटिव दल के बजाय 'थूनियनिस्ट दल' खा गया। इसके पश्चात् बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही क तीसरा दल राजनैतिक क्षेत्र में उतरा। इसका नाम 'लेबर पार्टी'

यहाँ तक तो ब्रूटिश पार्लिमेंट के जन्म और विकास का वर्णन हुआ। अब कुछ थोड़ा सा परिचय टोरी-दल का भी देना चाहिए। 'टोरी' शब्द का व्यवहार इंग्लैण्ड में किसी राजनैतिक दल के लिए पहले-पहल सन् १६७८ ई० के करीब किया गया था। उस समय राजा और पार्लिमेंट के खगड़े में जिन लोगों ने राजा का साथ दिया था उन्हीं के समूह को टोरी दल का नाम मिला था। ये लोग वे थे जो राजा की दखारदारी किया करते थे और जिन्हे राजा की ओर से जमीन, जायदाद, ऊँची-ऊँची पदवियाँ और सनदें प्राप्त थीं। इस प्रकार प्रायः तमाम बड़े-बड़े खानदानी सामंत, सर्दार, पदवीधारी ईस और तात्त्विकेदार लोग इसी टोरी दल के सदस्य दिखाई देते थे। ये राजा के ईश्वर-दत्त अधिकारों का समर्थन करते थे और प्रायः सभी प्रकार के राजनैतिक परिवर्तनों के विरुद्ध थे। जो लोग इन विचारों को नहीं मानते थे और इनके विरोधी थे वे 'व्हिंग पार्टी' (Whig Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार पार्लिमेंट के तमाम सदस्य 'व्हिंग' और 'टोरी' दो दलों में विभक्त हो गये थे।

सन् १८३२ के सुधार कानून के समय इन दोनों दलों का नाम बदल दिया गया। टोरी दल अपने को 'कन्जर्वेटिव पार्टी' (Conservative Party) के नाम से पुकारने लगा और व्हिंग पार्टी का नाम 'लिबरल' (या 'उदार') पार्टी पड़ गया। आगे चल कर सन् १८८६ ई० में कन्जर्वेटिव पार्टी, का नामकरण फिर से किया गया। उस समय प्रधान मंत्री मिस्टर ग्लैड्स्टन के होमरूल विल का विरोध करने के लिए कुछ उदार दल वाले अपने दल से अलग होकर कन्जर्वेटिव दल वालों के साथ जा मिले थे। अतएव अब उस दल का नाम कन्जर्वेटिव दल के बजाय 'यूनियनिस्ट दल' रखा गया। इसके पश्चात् बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही एक तीसरा दल राजनैतिक द्वेत्र में उतरा। इसका नाम 'लेबर पार्टी'

अब सयुक्त रूप से राजसिंहासन पर बैठाये गये। इस प्रकार राजा पर पार्लिमेट की यह दूसरी जबर्दस्त जीत हुई। इसके बाद फिर किसी राजा को आज तक पार्लिमेट के अधिकार और शक्ति पर शका या प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। देश में अब निर्विवाद रूप से पार्लिमेट का ही एकाधिकार स्थापित हो गया।

किन्तु यह पार्लिमेट उन दिनों जैसी थी और जिस ढग से इसका चुनाव किया जाता था उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसे प्रजा की प्रतिनिधि-संस्था के नाम से नहीं पुकार सकता। वास्तव में वह प्रजा के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। अभी सौ वर्ष से कुछ ही ज्यादा हुए जब इंग्लैण्ड ने 'जेवी निर्वाचन नेत्रों' (Pocket-boroughs) की कमी न थी। ये निर्वाचन-नेत्र ऐसे होते थे, जिनमें एक या दो से ज्यादा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। कहते हैं सन् १७४३ ई० में हाउस आफ कामन्स के ३०६ मेम्बरों को केवल १६० आदमियों ने चुना था। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि प्रजावर्ग के अधिकाश आदमियों को पार्लिमेट के निर्वाचन में उस समय कुछ भी अधिकार न था। लार्ड्स सभा में तो लार्ड उपाधिधारी वडे-वडे सामत-जमीदार और पादरी लोग थे ही, किन्तु कामन्स सभा में भी अधिकतर सदस्य प्रभावशाली जमीदार और रईस ही लोग हुआ करते थे। गरीबों और मध्यश्रेणी वालों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता था। चुनाव में वैरेमानी और रिश्वतवाजी का बाजार भी उस समय खूब गर्म था। अन्त में प्रजा के बहुत दिनों तक आनंदोलन करते रहने पर सन् १८३२ ई० में एक सुधार कानून पास किया गया, जिससे निर्वाचिकों की सख्त्या में बद्ध की गयी। आगे चल कर तमय-समय पर यह संख्या और अधिक बढ़ायी गई और अब इस समय वहाँ पार्लिमेट के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रत्येक वालिंग न्यी और पुरुष को प्राप्त हो गया है।

इस समय बहुत से नवाब लोग मौजूद हैं। मन्त्रिमंडल के अंदर इस समय कम से कम एक मार्केंस, तीन अर्ल, दो वार्ड्स-काउन्ट, एक वेरन तथा एक वेरनेट दिखाई देते हैं, और यह मन्त्रिमंडल केवल कामन्स-सभा की मर्जी पर ही टिका हुआ है।

किंतु इन तमाम उपाधियों का उन गंभीर प्रश्नों से क्या वास्ता है, जिनसे हमें नित्य मुकाबला करना पड़ता है? इस समय राष्ट्र की अनेक ऊँची से ऊँची जगहे इन्ही पदवीधारी नवाबों से भरी हुई हैं। तब क्या ये नवाब ही अग्रेज़ी शासन-विधान के सब से उत्तम सरकार कहे जा सकते हैं? इन्हे इस प्रकार शक्ति से सम्पन्न ऊँचे-ऊँचे आसनों पर बैठाने वाला अनुदार राजनैतिक दल है, जो अपने पक्ष के कामन्स सभा में बैठनेवाले ४५० मेम्बरों को छोड़ कर परराष्ट्र-सचिव, शिक्षा मंत्री तथा भारत-मंत्री के पदों के लिए लार्ड्स सभा के ही आदमियों को ज्यादा पसंद करती है।

बृटिश अनुदार दल में रईसों और नवाबों का इतना महत्वपूर्ण भाग है कि इनका अध्ययन यहाँ की राजनैतिक संस्थाओं को समझने में बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा।

कामन्स-सभा में इस समय जितने सदस्य उपाधिधारी घरानों के ह, उनमें से बहुतेरों की उपाधि का इतिहास उन्नीसवीं शताब्दी में मिलता है और कुछ की उपाधियाँ तो इससे भी अधिक पुरानी हैं। शेष अनुदार सदस्यों को अभी हाल में ही उपाधियाँ दी गई हैं, कारण कि इधर हाल की सरकारों ने, और विशेष कर सन् १९३१ के बाद की अनुदार सरकार ने तो उपाधि-वितरण के कार्य में अपनी वेहद उदारता दिखाई है।

परिले जो कुछ थोड़े से उपाधिधारियों के नाम गिना आये हैं, उन्हें देखने से जान पड़ता है कि कामन्स सभा और लार्ड्स सभा के अनुदार सदस्यों ने बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। तब क्या लोगों की यह धारणा-

ठीक है कि वर्तमान वृटिश शासन में लार्ड्स सभा मत्यकाल की बची हुई एक लाश के समान रह गयी है ? अथवा यह ठीक है कि देश की शासन-नौका को चलाने में उसका भी एक शक्ति-शाली भाग रहता है ? क्या लार्ड्स सभा और कामन्स सभा में अग्रेजी नवावाका दोहरा प्रतिनिधित्व इस बात को पूरी तौर से सावित नहीं करता कि इन नवावाके हाथ में अब भी एक जवर्दस्त ताकत और राजनैतिक जिम्मेदारी मौजूद है ? लेकिन क्या जनतत्रात्मक संस्थाओं के प्रति भी उन्हें अपनी कुछ जिम्मेदारी का ज्ञान है, अथवा उनका एक मात्र उद्देश केवल ओहदा और अपने स्वायों की रक्षा करना भर है ?

इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमें इस सामतमडल के उस भाग का विश्लेषण करना होगा, जिसका अधिकतर सबन्ध कामन्स सभा से है, कितु यह कार्य केवल पुराने इतिहास में घुसने से ही पूरा हो सकता है ।

वृटिश सामन्तवाद का जन्म अग्रेजी 'फ्यूडलिज्म' (Feudalism) अर्थात् जागीरदारी के जमाने में हुआ था । 'फ्यूडलिज्म' का शुद्ध अर्थ है 'जमीदारों का शासन', और जो उपाधियाँ इन जमीदारों अथवा जागीरदारों को दी जाती थीं, वे केवल उनकी राजनैतिक एवं आर्थिक शक्तियों को ही सूचित करने के लिए हुआ करती थीं । फ्यूडल सिद्धात के अनुसार इंग्लिस्तान की सारी भूमि का स्वामी वहाँ का राजा समझा जाता था, और वाकी जितने जागीरदार या जमीदार ये वे केवल उसके आसामी थे । राजा के बाद जागीरदारों और जमीनदारों की एक के नीचे एक श्रृंखलावद्वय थेणियों सी बनी हुई थी, जिससे एक छोटे-से छोटे भूमि के टुकड़े का भी मालिक किसी न किसी व्यक्ति का मालगुजार हुआ करता था और इन सबों का प्रधान जमीदार केवल राजा समझा जाता था । उपाधियों की प्राप्ति केवल भूमि के अधिकार पर निर्भर थी, और अग्रेजी नवावाकी पद्धति केवल

उन्हीं लोगों को मिलती थी जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करती थी।

ये अग्रेजी नवाब (या ताल्लुकेदार) लोग सदैव एक दूसरे से तथा राजा के साथ भी लड़ते-भगड़ते रहते थे, किंतु फिर भी इनकी स्थिति में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आने पायी। मध्यकाल के पिछले भाग तक उपरोक्त उपाधियों न केवल जमीन के ही अधिकार को सूचित करती थी, बल्कि राजनैतिक अधिकारों की भी सूचक थी।

नये नवाबों की भर्ती किसी एक पीढ़ी में बहुत ही थोड़ी हुआ करती थी और वह भी केवल भूमि की प्राप्ति से ही हो सकती थी। आगे चल कर यद्यपि भूमि की शर्त इसके लिए बनी हुई थी, किंतु अब यह भूमि बड़े-बड़े व्यापारियों और व्यवसाइयों के हाथ में आने लगी, जो भारतवर्ष तथा अन्य बाहरी देशों को लूट-लूट कर धनकुबेर बन रहे थे, और जिन्होंने इंग्लैण्ड आकर अपने लिए जमीन तथा पार्लिमेट की मेम्बरी प्राप्त करने में पानी की तरह धन बहाना आरभ कर दिया था। इससे भूमि का मूल्य इतना अधिक बढ़ा कि वहाँ के पुराने खान्दानी नवाबों के लिए भी एक खासी समस्या पैदा हो गयी, कारण कि उन वेचारों को केवल अपनी खान्दानी वैधी हुई आमदनी का ही भरोसा था और इसलिए वे पार्लिमेट में अपनी ताकत कायम रखने के हेतु इन नये नवाबों के बराबर पैसे नहीं खर्च कर सकते थे। बाद में ज्यों ज्यों अग्रेजी व्यापारियों का नये-नये उपनिवेशों में लोहा सोना, ताम्बा, कोयला, तेल आदि की खानों, बैंकों, बीमा कंपनियों और दूसरे प्रकार के कारखानों का कारबार बढ़ने लगा, त्यों-त्यों उनके राजनैतिक रूप वे और शक्ति में भी बृद्धि होती गयी। आजकल जो बहुत से अग्रेज नवाब दिखाई देते हैं उनकी भर्ती प्रायः इन्हीं बड़े-बड़े व्यवसाइयों में से की गयी है।

वृटिश राज्य-क्राति के समय से कामन्स सभा की शक्ति देश भर में प्रधान हो गयी। अस्तु, अब मन्त्री लोग भी राजा के 'प्रति उत्तरदायी

न होकर कामन्स सभा के प्रति उत्तरदायी हो गये। किंतु कामन्स सभा की शक्ति के बढ़ने से अग्रेजी नवाबों की शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आने पायी। प्रत्युत् अब उन्हे और भी स्वच्छन्दता मिल गयी, कारण कि पहले तो उन्हे सदा राजा की कृपादृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनकी स्थिति बहुत स्थिर नहीं कही जा सकती थी, किंतु अब कामन्स सभा में अधिकार जमाना उनके लिए विशेष कठिन न था, और इसलिए शासन की सारी शक्ति उन्हीं की हाथ में आ गयी। गवर्नर्मेंट के तमाम विभागों पर इन्हीं नवाबों का आधिपत्य दिखाई देने लगा। पार्लिमेंट की दोनों सभाओं पर इनका प्रभाव था ही। अतएव तमाम सरकारी नियुक्तियों सब इन्हीं के हाथ की चीज़ हो गयीं। स्थानीय शासन तथा केन्द्रीय शासन में हर जगह इन्हीं के नातेदार और रिश्तेदार भरे जाने लगे। इस प्रकार समस्त देश एकवारंगी इनके पाजे के नीचे आ गया।

'परम्परा के अधिकारों का सम्पूर्ण ढाँचा जमीन और जायदाद का सूचक है। और हर एक काल में किसी न किसी ढग की जायदाद ही नवाबी सनद और उपाधियों की प्राप्ति के लिए सब से बड़ी योग्यता समझी जाती रही है। पहले जमाने में इन उपाधियों और सनदों का देने वाला राजा था, और यद्यपि आज भी सिद्धातः इनका वितरण उसीके नाम से किया जाता है, किंतु, जैसा कि सब को विदित है, इन उपाधियों एव सनदों की सूची अब सटैव उन लोगों के हाथ से तैयार हुआ करती है, जिनके हाथ में देश का शासन है। किंतु आज भी जो नवाबी की सनद वडे-वडे व्यापारिक महारायियों को दी जाती है, उसका मूलाधार वास्तव में वही है जो सोलवर्ही शताब्दी में वडे-वडे जमीन्दारों और ताल्लुकेदारों को नवाब बनाने में था।

इगलिस्तान के जो सब से पुराने नवाबी वश हैं उनकी अधिकतर सम्पत्ति वस्तुतः भूमि ही है। ड्यूक आफ बक्लू (Duke of Buccleuch) और ड्यूक आफ डेवान शायर (Duke of

Devonshire) इस वर्ग के सबसे प्रसिद्ध वश कहे जा सकते हैं। किंतु उच्चीसवी शताब्दी में जायदाद और सम्पत्ति का रूप बदल गया। अतएव उस समय से नवाबों की भर्ती बड़े-बड़े व्यवसायिक नेताओं में से की जाने लगी।

जिस समय सम्पत्ति का मुख्य स्वरूप भूमि के रूप में था, उस समय यहाँ के नवाब लोग जमीदार और ताल्लुकेदार हुआ करते थे। किंतु जब यहाँ व्यवसायों का महत्व बढ़ा, तब ये लोग बड़े से बड़े व्यवसाय-पतियों के वर्ग में पाये जाने लगे। इस समय अधिकाश नये-नये व्यवसाय के डायरेक्टरों में नवाबों की सख्ता मौजूद है। हर एक पीढ़ी के नये नवाब पुराने नवाबों के साथ इस प्रकार हिल-मिल कर एक हो गये हैं कि उनमें अब कुछ भी अतर नहीं दिखाई देता।

यद्यपि इसमें सदेह नहीं कि आरभ में कुछ दिनों तक प्राचीन वश के नवाब नये रग्लटो के प्रति हार्दिक धृणा और विरोध-भाव दिखाया करते थे। किंतु बाद में जब उन्होंने समय के बहाव को देखा तब अपना रख भी उसी के अनुकूल बना लिया। जो कुछ थोड़े से लोग अपने हठ पर अड़े रहे वे राजनैतिक क्षेत्र में पीछे ढकेल दिये गये और उनकी जगह नये-नये व्यापारी-नवाबों ने लेली। साधारण तौर पर प्राचीन वश वालों ने विजयी पक्ष का साथ पकड़ने में ही अपनी कुशल समझी। अब वे इस समय सब एक हैं और मुख्यतः बड़े-बड़े व्यवसायों का नेतृत्व अपने हाथ में रखते हैं तथा अनुदार पक्ष के मुख्य स्तम्भ हैं।

अनुदार पक्ष वास्तव में लार्ड्स सभा का दल है, कामन्स सभा का नहीं। किंतु फिर भी इसने अपना प्रभाव केवल लार्ड्स सभा तक ही परिमित नहीं रखा। कामन्स सभा में भी यह अपना पूरा प्रभाव बनाये रखने के लिए सदा से सचेष्ट रहा है। बेजहाट (Bagehot) नामक लेखक इस सम्बंध में टीका करते हुए लिखता है:—

“बड़े-बड़े सामत लोग अपना प्रभाव हाउस आफ लार्ड्स के बजाय हाउस आफ कामन्स में जमाने के लिए अधिक क्रियाशील रहते थे।

पाकर नवावी रुतवे तक पहुँचा दिये जाते हैं। वास्तव में उपाधियों का मुख्य तात्पर्य राजनैतिक दृष्टि से अल्प-सख्यक अमीरों के सगठन को सुरक्षित रखना तथा सुदृढ़ बनाना ही है। अस्तु, आजकल उपाधियों के वितरण को केवल “बड़े-बड़े आदमियों” की “सार्वजनिक सेवा” के लिए सम्मान-प्रदर्शन की रस्म-आदाई मात्र नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उसे सरकारी पक्ष के सब से ऊँचे स्थानों में ऐसे लोगों की भर्ती समझनी चाहिए, जिन्होंने वृटिश साम्पत्तिक और व्यावसायिक क्षेत्र में नेतृत्व का स्थान प्राप्त कर लिया है।

अपने उपरोक्त कथन की पुष्टि में हम कुछ ऐसे लोगों का व्यौरा देंगे, जो अभी हाल में सन् १९३१ के बाद, अर्थात् वर्तमान वृटिश राष्ट्रीय सरकार के ही शासन-काल में, नवावों के दर्जे में भर्ती किये गये हैं।

इस प्रकार का व्यौरा कई दृष्टियों से उपयोगी जान पड़ता है। प्रथम तो इस से यह विदित हो जायगा कि जनता में से किस प्रकार के आदमी नवावी दर्जे में भर्ती किये जाते हैं। दूसरे, इसके द्वारा वर्तमान वृटिश सरकार के रगरूप को समझने में भी बहुत कुछ सहायता मिलेगी, कारण कि जैसे लोगों को वह सम्मानित करना पसंद करती है उन्हीं के अनुकूल उसका स्वाभाव भी होगा।

सन् १९३१ से अब तक वर्तमान वृटिश सरकार द्वारा कुल ६० मनुष्यों को नवावी उपाधियाँ वॉटी गई हैं। इस सख्या में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो यद्यपि नवाव पहले ही से बने हुए ये किंतु जिनकी उपाधियाँ अब और ऊँची कर दी गयी हैं। इन ६० मनुष्यों में से ६० ऐसे हैं जो व्यापारी कंपनियों के डायरेक्टर हैं। जिन कंपनियों के ये डायरेक्टर हैं उनकी कुल सख्या करीब ४२० से भी ऊपर है। इनमें से ४२ व्यक्ति वैकों तथा वीमा कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जिनकी सख्या ८६ है। ये लोग अब लार्ड्स सभा में बैठते हैं। (इनके अतिरिक्त अनुदार पक्ष के १६ अन्य वैक-डायरेक्टर तथा ४३ वीमा-कंपनी के डायरेक्टर

कामन्स सभा में भी बैठते हैं। व्यौरा के लिये नीचे बैंक आफ इंग्लैड तथा अन्य पाँच मुख्य बैंकों के उन डायरेक्टरों की सूची दी जाती है, जिन्हे सन् १९३१ के बाद नवाबी (Peerage) का खिताब दिया गया है। स्मरण रहे कि इनमें ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं जो पहले ही से नवाब (Peers) थे किन्तु जिनकी पदवी अब और ज़र्ची कर दी गयी है।

नये नवाबों की सूची

बैंक		हाउस आफ लार्ड्स
बैंक आफ इंग्लैड	...	{ लार्ड सेट जस्ट (१९३५) { लार्ड स्टाम्प (१९३८)
लार्ड्स बैंक	...	चेयरमैन : लार्ड वाडिग्टन (१९३६)
(सदस्य कैपिटल काउन्टीज बैंक कमिटी)		{ वार्ड्काउन्ट वीयर (१९३८) { वार्ड्काउन्ट ब्लेडिस्लो (१९३५) { वार्ड्काउन्ट हार्न आफ स्लैमेनन (१९३७)
नैशनल प्राविशाल बैंक		{ लार्ड रिवरडेल (१९३५) { लार्ड पेन्डर (१९३७) { लार्ड पेरी (१९३८)
मिडलैंड बैंक	...	{ लार्ड डेविस (१९३२) { लार्ड विग्राम (१९३५) { लार्ड मैक्ग्राउन (१९३७)
वेस्टमिनिस्टर बैंक	...	{ माक्वैस आफ वेलिंग्टन (१९३६) { वार्ड्काउन्ट रन्सीमैन (१९३७)
ब्राफ़ॉज बैंक		लार्ड ईसेन्डन (१९३२)

उपरोक्त सूची से यह न समझना चाहिए कि इन बैंकों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में केवल इतने ही पियर (Peer) या नवाब हैं। ये तो केवल उन लोगों के नाम हैं जिन्हे सन् १९३१ के बाद नवाबी का पद प्राप्त हुआ है।

(कामन्स सभा में इस व्यवसाय से सम्बंध रखने वाले लगभग १८ अनुदार सदस्य हैं ।)

७—बेतार का तार इत्यादि

लार्ड पेन्डर (१६३७)

गवर्नर तथा मैनेज़ि डायरेक्टरः
केबुल ऐन्ड वायरलेस लिमिटेड
(तथा कोडक लिमिटेड)

(कामन्स सभा में भी इसी कपनी का एक डायरेक्टर अनुदार सदस्य है ।)

८—तेल

लार्ड कैडमैन (१६३७)

चेयरमैन : एग्लो ईरानियन
आयल कम्पनी ।

९—विस्कुट

लार्ड पामर (१६३३)

हन्टले ऐन्ड पामर्स ।

१०—विजली

लार्ड एलिट्सले (१६३४) .. एडमडसन्स एलेक्ट्रिसिटी कार्पोरेशन तथा अन्य ।

११—एलेक्ट्रिकल एजिनियरिंग

लार्ड हर्स्ट (१६३४)

... चेयरमैन : जेनरल एलेक्ट्रिक
कपनी तथा अन्य ।

ये कुल नवाब केवल सन् १६३१ से लेकर सन् १६३८ तक के अन्दर ही बनाये गये हैं। अस्तु, जब गत वर्ष के इस थोड़े से समय में ही इतने अधिक व्यवसाय-न्तियों की सख्ता नवाबों के वर्ग में शामिल की जा सकती है तो यह आसानी से सोचा जा सकता है कि वृष्टिश राष्ट्र की सम्पत्ति पर वृष्टिश नवाबों का कितना भारी अधिकार

है। साथ ही यह भी प्रत्यक्ष है कि एक वारतविक सम्पत्तिशाली व्यक्ति के लिए इंग्लिश्टान में नवाब बनकर हाउस आफ लार्ड्स में बैठने की कितनी भारी सभावना है।

इन नवीन उपाधि-प्राप्त नवाबों में से बहुतेरे तो ऐसे हैं जो दर्जनों भिन्न-भिन्न कपनियों के डायरेक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर वाईकाउन्ट ग्रीनबुड का नाम लिया जा सकता है, जो सन् १९३३ से अनुदार दल के कोषाध्यक्ष हैं और जिन्हे नवाबी की उपाधि सन् १९३७ में दी गई है। यह निम्नलिखित कपनियों के डायरेक्टर अथवा चेयरमैन हैं :—

पद	कम्पनियों के नाम
चेयरमैन :	एयरेटेड ब्रेड कपनी
चेयरमैन :	एग्रीकल्चरल मार्गेज कपनी आफ़ पैलेस्टाइन
चेयरमैन :	वाउजफील्ड रटील कम्पनी
डायरेक्टर :	ब्रिटिश ट्रॉकचरल रटील कम्पनी
डिपुटी चेयरमैन :	डार्लिंगटन रोलिंग मिल्स कम्पनी
डायरेक्टर :	डार्मन लाग (अफ्रिका)
चेयरमैन :	डार्मन लाग ऐन्ड कम्पनी
डायरेक्टर :	ला डिबेचर कार्पोरेशन
चेयरमैन :	ल्युई बर्जर ऐन्ड सन्स
डायरेक्टर :	माटेगु बर्टन
डायरेक्टर :	पियर्सन ऐन्ड डार्मन लाग
डायरेक्टर :	फेनिक्स एश्योरेन्स कम्पनी
चेयरमैन :	रेडपाथ ब्राउन ऐन्ड कम्पनी
डायरेक्टर :	{ सोसाइटी इंटरनैशनेल ड' प्रीन { हाइड्रो एलक्ट्रिक (सिल्वर)

पद	कंपनियों के नाम
चेयरमैन	टीज साइड व्रिज ऐन्ड एंजीनियरिंग वर्क्स
चेयरमैन .	आटन कोलियरी कम्पनी

कुछ लोगों को नवावी रूतवा उनकी दानशीलता अथवा किसी पेशे में सफलता के कारण भी दिया गया है। इनमें से एक उल्लेखनीय नाम लार्ड होर्डर का है, जो डाकटरी पेशे के एक प्रसिद्ध प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। दानशीलता के लिए उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में दो नाम उल्लेख योग्य हैं। प्रथम तो वार्डकाउन्ट नफील्ड का, जिन्होंने अपनी विशाल सम्पत्ति का एक बहुत बड़ा भाग सार्वजनिक हित के कार्यों में दे डाला है। नवीन आक्सफोर्ड कालेज की स्थापना, अस्पतालों तथा वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उन्होंने काफी रकम दी है। दूसरा नाम लार्ड झूबीन का है, जिन्हाने पिछले कुछ वर्षों में अपने देश को कला सम्बन्धी बहुमूल्य वस्तुओं का एक ऐसा खजाना अर्पित कर दिया जैसा कदाचित् अभी तक किसी भी रईस ने नहीं किया।

इनके अतिरिक्त बहुत से कानूनदॉ (जैसे लार्ड माधम जो आजकल ब्रिटिश सरकार के लार्ड चान्सलर हैं) तथा कितने ही सैनिक, नाविक एवं राजनैतिक कर्मचारी भी हैं। प्राचीन प्रथा के अनुसार इन तमाम पेशी के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को नवाव (Peer) की उपाधि से विभूषित कर दिया जाता है। अनेक राजनैतिक नेता भी इन्हीं में शामिल हैं यथा—अर्ल वाल्डविन, लार्ड रशक्लिफ, दो राष्ट्रीय मजदूर पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्य, एक लिवरल, और एक मजदूर दल का पार्लिमेंटी सदस्य।

इसमें में केवल दो एक व्यक्तियों को छोड़ कर शेष सब के सब नवीन उपाधिवारी नवाव अनुदार पक्ष के ही प्रतिनिधि हैं, जिससे इन

यहाँ तक तो ब्रिटिश पार्लिमेंट के जन्म और विकास का वर्णन हुआ। अब कुछ थोड़ा सा परिचय टोरी-दल का भी देना ज़ाख़रा है। ‘टोरी’ शब्द का व्यवहार इंग्लैण्ड में किसी राजनैतिक दल के लिए पहले-पहल सन् १६७८ ई० के क्रीब किया गया था। उस समय राजा और पार्लिमेंट के मगड़े में जिन लोगों ने राजा का साथ दिया था उन्ही के समूह को टोरी दल का नाम मिला था। ये लोग वे थे जो राजा की दरबारदारी किया करते थे और जिन्हे राजा की ओर से जमीन, जायदाद, ऊँची-ऊँची पदवियाँ और सनदें प्राप्त थीं। इस प्रकार प्रायः तमाम बड़े-बड़े खानदानी समंत, सर्दार, पदबीधारी ईस और ताल्लुकेदार लोग इसी टोरी दल के सदस्य दिखाई देते थे। ये राजा के ईश्वर-दत्त अधिकारों का समर्थन करते थे और प्रायः सभी प्रकार के राजनैतिक परिवर्तनों के विरुद्ध थे। जो लोग इन विचारों को नहीं मानते थे और इनके विरोधी थे वे ‘व्हिंग पार्टी’ (Whig Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार पार्लिमेंट के तमाम सदस्य ‘व्हिंग’ और ‘टोरी’ दो दलों में विभक्त हो गये थे।

सन् १८३२ के सुधार कानून के समय इन दोनों दलों का नाम बदल दिया गया। टोरी दल अपने को ‘कन्जर्वेटिव पार्टी’ (Conservative Party) के नाम से पुकारने लगा और व्हिंग पार्टी का नाम ‘लिबरल’ (या ‘उदार’) पार्टी पड़ गया। आगे चल कर सन् १८८५ ई० में कन्जर्वेटिव पार्टी, का नामकरण फिर से किया गया। उस समय प्रधान मंत्री मिस्टर ग्लैड्स्टन के होमरूल विल का विरोध करने के लिए कुछ उदार दल वाले अपने दल से अलग होकर कन्जर्वेटिव दल वालों के साथ जा मिले थे। अतएव अब उस दल का नाम कन्जर्वेटिव दल के बजाय ‘यूनियनिस्ट दल’ रखा गया। इसके पश्चात् बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही एक तीसरा दल राजनैतिक क्षेत्र में उत्तरा। इसका नाम ‘लैबर पार्टी’

उपाधियों के प्रगाढ़ राजनैतिक स्वरूप का सच्चा परिचय मिल जाता है। यही नहीं, इन ४० नवाबों में से कम से कम ४८ व्यक्ति ऐसे हैं जो पहिले कामन्स सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। अस्तु, यो समझना चाहिए कि ये उपाधियाँ पूर्ण राष्ट्रीय होने के बजाय केवल अनुदार दल वालों द्वारा अनुदार दल वालों में ही। बॉट दी जाती हैं। अर्थात् लार्ड्स सभा के नवाब लोग इधर तो अपने भाई-बहुओं को कामन्स सभा में भेजते हैं और उधर अपने राजनैतिक सहायकों को लार्ड्स सभा में भी भर्ती करते हैं।

हाउस आफ कामन्स में सरकारों पक्ष के 'नाइट' उपाधिधारी कुल सदस्य इस समय ७७ हैं, जिनमें से ४० को उपाधि वर्तमान राष्ट्रीय सरकार द्वारा मिली थी और १० को वह भूतपूर्व अनुदार सरकार द्वारा दी गयी थी। उपाधियाँ पाने वालों के नाम प्रधान मंत्री चुनता है, किन्तु इस काम में वह कामन्स सभा के उन तमाम अनुदार पक्षीय रईसों के प्रति उत्तरदायी भी रहता है, जिन पर उपाधियों की इस प्रकार वर्पा की जाती है।

जैसा कि पहिले कह आये हैं, वेरन, अर्ल या ड्यूक की उपाधि व्यवसायिक क्राति के पहले जमीन और जायदाद के ही अधिकार की सूचक थी। अवश्य कभी-कभी किसी प्रसिद्ध जज अथवा सैनिक को भी यह उपाधि दी जाती थी, किन्तु उस अवस्था में उपाधि के साथ-साथ कुछ जमीन अथवा धन भी उसे जखर दिया जाता था। आज भी जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं यह वेरन, वार्ड्काउन्ट अथवा अर्ल की उपाधि जायदाद और सम्पत्ति की पूर्ववत् सूचक है, किन्तु अब वह जायदाद और सम्पत्ति भूमि के रूप में नहीं बल्कि व्यवसायिक सम्पत्ति के रूप में दिखाई देने लगी है। यद्यपि यह सच है कि उपाधि प्राप्त होने के समय नवाब लोग अब भी प्राचीन प्रथा के अनुसार कुछ भूमि खरीद लिया करते हैं, किन्तु आजकल उनकी उपाधि जिस सम्पत्ति

की परिचायक है वह भूमि की सम्पत्ति नहीं है, बल्कि व्यवसायिक सम्पत्ति है।

अस्तु, जो उपाधियाँ आज लोगों को बृद्धि सरकार द्वारा दी जाया करती हैं वे वास्तव में धन और जायदाद के ही सम्मानार्थ हैं। एक अनुदार पक्षीय सदस्य जब यह लिखता है कि “हमें अपने रड्सों के लिए अभिमान करना चाहिए न कि लजा”, तो वह केवल खुले शब्दों में उसी सिद्धात का प्रतिपादन करता है जिसका व्यवहार प्रधान मन्त्री अपने उस कार्य द्वारा कर दिखाता है जिसमें वह बड़े-बड़े बेक वालों, शराब वालों, गोलावार्लद के कारखाने वालों एवं जहाज के मालिकों को नवाब बनाये जाने की सम्प्राट् से सिफारिश किया करता है। अस्तु, उपाधि-प्रदान की वर्तमान शैली का अर्थ वास्तव में जनता से यह कहना है कि “अमुक धनवान की तुम सब लोग इसलिए इच्छत करो, कि वह धनवान है”।

अधिकतर लोग नवाबों के भिन्न-भिन्न दरजों से एवं राजकीय अवसरों पर पहने जाने वाले उनके लिवासों से तो अच्छी तरह परिचित रहते हैं किंतु यह नहीं जानते कि कौन नवाब कितनी कम्पनियों का डिरेक्टर है। बात यह है कि मध्यकाल की तड़क-भड़क और दिखावे का पुराना ढंग अग्रेजी नवाबों में अब तक आश्र्यजनक रीति से बराबर मौजूद है। किंतु पुराने जमाने में इन नवाबों के छोटे-बड़े अलग-अलग दरजे उनकी जमींदारी की हैसियत से रखे गये थे। उदाहरणार्थ एक ड्यूक (Duke) का पद यह बतलाता था कि उसकी जमींदारी एक अर्ल (Earl) की जमींदारी से बड़ी है। इसी प्रकार एक अर्ल का पद एक बेरन (Baron) के दरजे से अधिक श्रेष्ठ जमींदारी का सूचक था। यही हाल और वाकी दर्जों का भी था। आधुनिक अवस्था में यद्यपि यह सच है कि एक ड्यूक की भूमि साधारणतः एक अर्ल अथवा बेरन की भूमि से अब भी अधिक हुआ

करती है, कितु उनको क्रमागत दरजों में रखना और भाँति-भाँति की उपाधियों से सजाना अब बिलकुल अर्थहीन हो गया है।

फिर भी इनसे एक मतलब अवश्य निकलता है। वर्तमान बृद्धि-समाज में, जो पूर्ण जनतत्रवाद की प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील दिखाई देता है, अमीरों की इज़ज़त करने वाले सिद्धात के साधारण रूप में स्वीकृत हो जाने की विशेष आशा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार प्राचीन काल में भी शरीब किसानों और मजदूरों की निगाह में कोई तब तक इज़ज़त पाने की आशा नहीं कर सकता था जब तक वह ऊपरी तड़क-भड़क और उपाधियों की सजावट से सजा हुआ न हो। अस्तु, उपाधियों की यह सजावट और ऊपरी तड़क-भड़क कम से कम साधारण मनुष्य के चित्त को तो अपनी ओर आकर्पित रखने में समर्थ रहती ही है। सब जानते हैं कि एक बीमा कपनी के डायरेक्टर अथवा शराबवाले की अपेक्षा एक अर्ल अथवा बेरन की कहानी अधिक मनोरजक और रोमाञ्चकारी हुआ करती है।

अस्तु, इस महान आकर्षण को कायम रखने के लिए एक जवर्दस्त प्रचारकर्त्री मशीन बराबर काम किया करती है। इसका कुछ हिस्सा तो “आतरिक” उपयोग के लिए हुआ करता है—जैसे अधिक खर्चोंले स्वजातीय पत्र और पत्रिकाएँ आदि और—कुछ साधारण जनता में इन अमीरों के वैभव और स्थायित्व का विश्वास उत्पन्न करने के लिए काम में लाया जाता है। प्रमाण के तौर पर स्वयं अर्ल विंटर्टन (Earl Winterton), जो किसी समय ‘वल्ड’ नामक पत्र का सम्पादन किया करते थे और जो इस सम्पादन-कार्य को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति मानते हैं, इस पत्र के उद्देश्यों और कार्यों का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में करते हैं :—

“[ये पत्र] अपने माल का प्रदर्शन एक ऐसे समाज के सामने किया करते थे जो इज़ज़तदार होता हुआ भी नितान्त असभ्य और

अहकारी था। वह समाज वास्तव में उन लोगों में बना था जिन्हे अपने नम्बद्ध की बाते पढ़ने का विशेष चाव था और जो राजकीय वराने के लोगों की बाबत हरएक जानने योग्य बातों का जानने के लिये नित्य बैचैन रहा करते थे। इन लोगों के बड़ापन का कारण केवल उनका जन्म था, अथवा कोई विशेष कार्य नहीं, अथवा ये दोनों ही थे।”

समाज के पछड़े हुए लोगों में एक (उपाधिहीन) धनवान की अपेक्षा एक उपाधिवारी के प्रति सम्मान-भाव पैदा करना ज्यादा आसान है। बाल्टर बेजहाट (Bagehot) नाम का लेखक, जो अमीरों और नवाबों का सदा से हिमायती रहा है, इस बात को अच्छी तरह जानता था। अतएव उसने लिखा है —

“नवाबी ओहदे का मुख्य कार्य नाधारण प्रजा पर रोब नमाना है ।”

उपाधियाँ मनुष्य को धनिकों के समाज में, जहाँ उसे सदा रहना पड़ता है, एक प्रकार का गौरव प्रदान करती हैं। साथ ही यह उसके प्रभाव को भी उन चापलूसों के हृदय में बढ़ा दिया करती हैं, जो वैसा ही धन और उपाधि प्राप्त करने के लए सदा लालायित रहते हैं। साथ ही ये इस बात की भी सूचा है कि उपाधि प्राप्त करने वाला मनुष्य शासकों के वर्ग में भर्ती कर लिया गया। इस प्रकार उपाधिवारी व्यक्तियों की यह देवसेना शासकवर्ग को सुमधुर रखने में सदा महायक हुआ करती है, साथ ही समाज के सहस्रों उम्मीदवारों की आँखों में अपने लटकते हुये तमगों और सनदों का जादू डालकर उन्हें अन्त तक अपना आजाकारी गुलाम भी बना रखती है। इसके अतिरिक्त ये उपाधियाँ एवं उच्चवर्ग की तमाम नामाजिक रीतियाँ ग्रनिकवर्ग के हृदय में एसी भावना पैदा कर देती हैं जिसका सिद्धात होता है “‘धनिकों का गौरव’”। राजनैतिक घट से यही मिद्दात धनिकों के शासन के रूप में प्रकट हुआ करता है, जो, जैसा कि हम

ऊपर देख आये हैं, अनुदार राजनीति का वास्तविक उद्देश्य और ध्येय है।

हाउस आफ लार्ड्स, जिसमें यह उपाधिधारी नवाबों पल्टन वैठा करती है, वैधानिक रूप से यद्यपि पूर्वपेक्षा बहुत कुछ शक्तिहीन बना दिया गया है, किन्तु फिर भी अभी किसी प्रस्ताव पर अड़ङ्गा लगाने की कानूनी शक्ति उसमें बहुत कुछ विद्यमान है। एकमात्र आर्थिक प्रस्ताव (Money Bill) को छोड़ कर अन्य सब प्रकार के प्रस्तावों को यदि वह चाहे तो कम से कम दो वर्ष तक के लिए रोक सकता है अस्तु, एक जनतत्रवादी अथवा मज़दूर सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस लार्ड्स सभा का मूलोच्छेद करने का पूर्ण निश्चय कर ले। यद्यपि यह सच है कि कामन्स सभा का अध्यक्ष यदि चाहे तो अब भी किसी विल को अपने विशेषाधिकार से पास कर के उसे लार्ड्स सभा के विरोध करने पर भी कानून का रूप दे सकता है, किन्तु फिर भी लार्ड्स सभा की वर्तमान आर्थिक शक्ति और उसका अनेक प्रभावशाली पत्र-पत्रिकाओं पर अधिकार देखकर यह कहना पड़ता है कि किसी भी जनतत्रवादी सरकार के लिए उसके विरोध का सामना करना कठिन हो जायगा, जब तक कि वह सरकार लार्ड्स सभा को सदा के लिए मिटा देने पर ही अपनी सम्पूर्ण शक्ति से न तुल जाय।

लार्ड रोजवरी के निम्न लिखित वाक्य, जो सन् १८६४ में महारानी विक्टोरिया को लिखे गये थे, इस समय भी उतने ही सच जान पड़ते हैं जितने की उस समय :—

“जिस समय शासन का अधिकार अनुदार पक्ष के हाथ में होता है, उस समय हाउस आफ लार्ड्स का मानो अस्तित्व ही नहीं रहता; जो कुछ भी अनुदार सरकार हाउस आफ कामन्स से पास कर देती है उसे वह बिना कुछ पूछतांछ किये चुपचाप स्वीकार कर लेता है। किन्तु जिस क्षण शासन की बागडोर उठार सरकार के हाथ में आ जाती है, उसी क्षण से यह निर्जीव संस्था एक वारगी सजीव हो उठती

हैं, और फिर अपनी सारी शक्ति सरकारी पक्ष का विरोध करने में ही लगा। दिया करती है।”

किसी जनतन्त्रवादी देश के अन्दर एक ऐसी शासन-स्थापना का होना ही बिलक्खण वात है जो बड़े-बड़े जमीदारों, ताल्लुकेदारों, कोयले के व्यापारियों, बैंकरों एवं व्यापारिक महारथियों से मिलकर बनी हो। निस्सन्देह एक मजदूर सरकार यदि चाहे तो अपने मजदूर-पक्षीय सदस्यों को काफी सख्ता में नवाबी का रुतबा देकर लार्ड्स सभा में बैठा सकती है और इस प्रकार वहाँ के अनुदार-पक्षीय बहुमत को नीचे गिरा सकती है। यही नहीं, इस वात की यदि एक धमकी मात्र भी देवी जाय तो भी वह अपना पूरा असर दिखा सकती है। सन् १९०७ में हावर्ड एवान्स ने लिखा था :—

“हम मानते हैं कि गाइनेस (Guinness) बड़ी अच्छी चीजें बेचता है और वास तथा ऐल्सप (Bass & Allsoph) का कारखाना भी बहुत बढ़िया शराब बेचता है। लेकिन क्या यह भी कोई ऐसा कारण है कि लार्ड आर्डिलान और आईवीग तथा वर्टन और हिन्डलिप (Lords Ardilann and Iveagh and Bulton and Hindlip) और उनके तमाम उत्तराधिकारी लोग इस वात के हकदार समझे जाय कि वे सपूर्ण वृटिश प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों पर अपनी कलम चलावे। ग्लिन्स (Glyns) और मिल्स (Mills) और लायड जोन्स (Lloyd-Jones) आदि ने लम्बार्ड स्ट्रीट में बड़ी भारी रकम कमा ली है, तो क्या इससे वह हमारे राष्ट्रीय धन के वास्तविक पैदा करने वाले करोड़ों मजदूरों पर नादिरशाही करेगे? अब और कब तक यह सहनशील वृटिश जनता अपनी उन्नति के पहियों में इस प्रकार के रोडे वर्दाशत करती जायगी? आओ जान मार्ले की इस प्राचीन उद्घोषणा को एक बार फिर गुजरित कर दो कि.—“इसका सुधार हो

या अंत हो !” और अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखो जब तक कोई अंतिम निपटारा न हो जाय ।”

पिछले पचास वर्षों से बृद्धि जनता के एक बहुत बड़े भाग में लार्ड्स सभा तथा उसकी उपाधियों के प्रति कुछ धृणा का सा भाव पैदा हो रहा है, जो एक प्रकार से कल्याण-कारी ही कहा जा सकता है। फिर भी कुछ अंश तक यह धृणा भी ठीक नहीं जान पड़ती, कारण कि लार्ड्स सभा तथा उसकी तमाम उपाधियाँ केवल पिछले जमाने के बचे हुए चिन्ह मात्र हैं, जो हमारे इस अधुनिक युग के लिए विलक्षण प्रतीत होते हैं। परन्तु इन उपाधियों के पीछे धन, जायदाद और अधिकारों की एक ऐसी जबर्दस्त ताकत छिपी हुई है, जिसका अदाजा बहुत कम लोगों को है, और वही ताकत वास्तव में बृद्धि जनतन्त्रवाद पर शासन किया करती है। अनेक शताब्दियों तक ये उपाधियाँ इंग्लिस्तान पर हुक्मत रखने वाले भूमि-पतियों की शक्ति की सूचक थी, किंतु अब ये भूमिपतियों के साथ-साथ उन व्यवसाय-पतियों की शक्ति की भी सूचक है, जो अनुदार दल के नाम से इंग्लिस्तान पर शासन किया करते हैं।

प्रायः सभी महत्वपूर्ण उपाधियाँ परंपरागत हुआ करती हैं। यह वास्तव में सम्पत्ति के उस परम्परागत स्वभाव की सूचना है, जो बृद्धि समाज की आर्थिक और राजनैतिक प्रणाली का मूल स्वरूप कहा जा सकता है।

इस समय शासकवर्ग के अधिकतर भाग की सम्पत्ति और हैसियत उसके पूर्वजों से ही उत्तराधिकार के रूप में मिली है। बड़े-बड़े अंग्रेज धनिकों में से प्रतिशत करीब ८० अंग्रेज इस समय ऐसे हैं, जिनकी सम्पत्ति उन्हे उत्तराधिकार के रूप में ही प्राप्त हुई है। केवल २० प्रतिशत बड़े व्यापारी यह गर्व कर सकते हैं कि वह अपने पैरों आप खड़े हुए हैं। यही हाल उपाधि-धारी धरानों का भी है। वर्तमान लार्ड्स सभा के तमाम सदस्यों में इस समय केवल ४१ ही प्रतिशत व्यक्ति

ऐसे कहे जा सकते हैं, जिनकी उपाधियाँ इसी बीसवीं शताब्दी में प्राप्त हुई हैं। शेष सब पुरानी हैं और परम्परा के क्रम से आई हुई हैं। किन्तु वह सख्ता भी इस समय कुछ विशेष रूप से अधिक हो गयी है, कारण कि पिछले सात आठ वर्षों में बहुत अधिक व्यवसाय पतियों पर यह उपाधि-वर्पा कर दी गयी थी। वस्तुतः हर पीढ़ी में जितने आदमियों को ये उपाधियाँ वाँटी जाती हैं उनकी सख्ता अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी है।

ऊपर जो २० प्रतिशत अपने पैरों आप खड़े होने वाले धनियों का हिसाब बतलाया गया है, उनमें भी बहुत थोड़े ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी सम्पत्ति केवल एक ही पीढ़ी में प्राप्त कर ली हो। अधिकाश को तो आरम्भ में पैनिक सम्पत्ति ही प्राप्त हुई थी, यद्यपि उसी को आगे चलकर उन्होंने बहुत अधिक बढ़ा लिया। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि आर्थिक दृष्टि से यह वर्ग सदा उत्तराधिकार पर ही निर्भर रहता है। परम्परागत उपाधियों पर उसकी विचित्र भक्ति, अपनी बशावलां के अध्ययन में उसका बेहद उत्साह तथा वर्क के 'पियरेज' (Burke's 'Peerage') जैसे भारी-भारी ग्रथों का प्रकाशन ये सब इस बात के अविचल प्रमाण कहे जा सकते हैं कि इस वर्ग का अस्तित्व उत्तराधिकार के सिद्धात पर ही निर्भर है।

धन की इज्जत के साथ वैसी ही इज्जत परम्परागत अधिकारों की भी होनी ही चाहिए। वृद्धिश शासक घरानों की परम्परागत रुद्धियों की निरन्तरता उनकी परम्परागत सम्पत्ति के साथ ही साथ दिखाई देती है। जिन म्क्लॉ में उनकी शिक्षा होती है, जिस प्रकार की जीवनशैली उनके लड़कों के लिये निश्चित की जाती है और विशेष कर जिस प्रकार की राजनैतिक विचारधारा में वे लोग वहते रहते हैं उन सबों में इसी प्राचीन रुद्धि-गालन का सिद्धात दिखाई देता है।

अन्यत्र यह दिखा चुके हैं कि किस प्रकार शताब्दियों से नवाची घरानों की सतान निरन्तर एक शृङ्खला के रूप में कामन्स सभा की

कुर्मियों पर अपना अधिकार जमाये हुए हैं। माथ ही वह भी हम देख आये हैं कि पिछले दो सौ वर्षों से किस प्रकार इन्हीं धरानों के आदमी भनिमठल में भी अपना अधिकार जमाये रहते हैं। व्यवसायिक क्रान्ति के द्वारा बृटिश समाज में अनेकों महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गये, जिसमें लगातार चिचारथेली में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। लेकिन एक यत जो अब तर नहीं बदली वह यह है कि ये नवाव अब भी अपने इन और अधिकारों की रक्षा के लिए देश को अपनी राजनीतिक प्रभीनता में रखना उम्मी प्रकार आवश्यक नमस्त है जैसा पहले।

सातवाँ अध्याय

अनुदार राजनीतिज्ञों की सामाजिक व्युत्पत्ति

पिछले अध्याय में जिन नवाबों की चर्चा की गयी है, वे कामन्स सभा के अनुदार-पक्षीय सदस्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहिंक यो कहा जा सकता है कि सरकारी नेताओं पर उनका प्रभाव चड़ा जबर्दस्त है।

कामन्स सभा के तमाम अनुदार-पक्षीय सदस्यों में इन उपाधिधारी नवाबों और उनके बन्धु-बान्धवों की सख्त्या इस समय लगभग आधी होगी। इसी प्रकार मन्त्रिमण्डल में भी तथा उपमन्त्रियों एवं अन्य ऊँचे कर्मचारियों के पद पर इनकी संख्या कुल मिला कर आधी से कुछ कम कही जा सकती है।

इससे प्रकट है कि एक काफी सख्त्या ऐसे अनुदार सदस्यों की भी है जो न तो अभी नवाब बनाये गये हैं और न नवाबी धराने में कोई वैवाहिक सम्बन्ध ही रखते हैं। इनका विचार पिछले अध्याय में नहीं किया गया। फिर भी कामन्स सभा में अनुदार-पक्षीय प्रतिनिधित्व के मूल-स्वरूप का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिये इन सबों का ही विचार करना आवश्यक होगा। पिछले अध्याय में केवल उन्हीं पार्लिमेटी अनुदार सदस्यों की चर्चा की गई है, जिनकी प्रतिष्ठा और पद नवाबी वश में जन्म पाने के कारण प्राप्त हुये हैं। साथ ही धन और सम्पत्ति के उत्तराधिकार के साथ साथ अनुदार पक्षीय लड़ियों का किस प्रकार एक स्थायी लगाव चला आता है यह भी पिछले अध्याय में दिखाया जा चुका है। अब यहाँ सम्पूर्ण अनुदार पार्लिमेटी सदस्यों का वा स्तविक स्वरूप समझने के पहिले यह आवश्यक ज्ञान पड़ता है कि

अब सयुक्त रूप से राजसिंहासन पर बैठाये गये। इस प्रकार राजा पर पार्लिमेट की यह दूसरी जवर्दस्त जीत हुई। इसके बाद फिर किसी राजा को आज तक पार्लिमेट के अधिकार और शक्ति पर शंका या प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। देश में अब निर्विवाद रूप से पार्लिमेट का ही एकाधिकार स्थापित हो गया।

किन्तु यह पार्लिमेट उन दिनों जैसी थी और जिस ढग से इसका चुनाव किया जाता था उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसे प्रजा की प्रतिनिधि-स्थान के नाम से नहीं पुकार सकता। वास्तव में वह प्रजा के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। अमीं सौ वर्ष से कुछ ही ज्यादा हुए जब इंग्लैण्ड में 'जेबी निर्वाचन-क्षेत्रों' (Pocket-boroughs) की कमी न थी। ये निर्वाचन-क्षेत्र ऐसे होते थे, जिनमें एक या दो से ज्यादा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। कहते हैं सन् १७६३ ई० में हाउस आफ़ कामन्स के ३०६ मेम्बरों को केवल १६० आदमियों ने चुना था। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि प्रजावर्ग के अधिकाश आदमियों को पार्लिमेट के निर्वाचन में उस समय कुछ भी अधिकार न था। लार्ड्स सभा में तो लार्ड उपाधिधारी बड़े-बड़े सामत-जमीदार और पादरी लोग थे ही, किन्तु कामन्स सभा में भी अधिकतर सदस्य प्रभावशाली जमीदार और रईस ही लोग हुआ करते थे। गरीबों और मध्यथ्रेणी वालों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता था। चुनाव में वेईमानी और रिश्वतबाजी का बाजार भी उस समय खूब गर्म था। अन्त में प्रजा के बहुत दिनों तक आनंदोलन करते रहने पर सन् १८३२ ई० में एक सुधार कानून पास किया गया, जिससे निर्वाचकों की सख्त्या में बृद्ध की गयी। आगे चल कर समय-समय पर यह संख्या और अधिक बढ़ायी गई और अब इस समय वहाँ पार्लिमेट के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रत्येक वालिङ्ग म्ही और पुरुष को प्राप्त हो गया है।

उन सर्वों के वश पर भी एक दृष्टि डाल ली जाय, जिसमें उनका जन्म हुआ है।

इस समय कामन्स सभा के अनुदार सदस्यों में से करीब ३०० व्यक्तियों के पिताओं का परिचय आसानी से मिल सकता है। शेष सदस्यों के सम्बन्ध में उनकी शिक्षा सम्पत्ति और पेशों का विचार करते हुये जान पड़ता है कि वे सब भी प्रायः इसी नमूने के लोग हैं। नीचे ३०० उक्त सदस्यों के पिताओं को उनके पेशों के अनुसार विभक्त करके प्रतिशत के आकड़ों में रखा गया है :—

अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों के पिताओं के पेशे

१—कारखाने, बैंक और व्यापार	...	२६	प्रति शत	।
२—ज़मीन और जायदाद के मालिक	.	२०	„	„
३—सेना में अफसर ..	.	१६	„	„
४—पेशेवर राजनैतिक लोग	..	१५	„	„
५—पादड़ी (Church)	७	„	„
६—ऊचे दर्जे के हाकिम और राजनैतिक कर्मचारी	५	„	„
७—अध्यापक, डाक्टर, सालिसिटर, कारीगर इत्यादि पेशे वाले	.	८	„	„

इनमें से उपाधिधारी नवाबों के घराने प्रथम दो दर्जों में, अर्थात् 'कारखाने, बैंक और व्यापार' तथा 'ज़मीन और जायदाद के मालिक' के वर्ग में सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त चौथे वर्ग अर्थात् 'पेशेवर राजनैतिक लोग' में भी अधिकतर यही जमीदार एवं नवाब लोग भरे पड़े हैं, कारण कि पिछली पीढ़ी में आजकल की अपेक्षा यह और भी अधिक कठिन था कि कोई व्यक्ति विना किसी खान्दानी जायदाद की ताकत रखे अनुदार पक्ष की ओर से राजनैतिक पेशा प्राप्त कर सके। अस्तु, एक मात्र अध्यापक, डाक्टर, सालिसिटर, कारीगर आदि पेशे के आदमियों

को छोड़कर शेष सभी वर्ग के पिताओं में अपार धनराशि की उपस्थिति दिखाई देती है। केवल अव्यापक, डाक्टर, सालिसिटर आदि पेशे वालों में अवश्य कुछ योड़े ही से ऐसे आदमी हैं जो भारी धनवान कहे ना सकते हैं। पादियों, हाँ कमो एव राजकर्मचारियों में भी सब नहीं तो अधिकाश व्यक्ति अवश्य धनवान हैं। साथ ही कुछ नवाची घराने के लोग भी हाकिमों और राज कर्मचारियों के वर्ग में पाये जाते हैं।

‘कारखाने, बैंक और व्यापार’ के वर्ग में ऐसे-ऐसे प्रसिद्ध नाम मौजूद हैं जैसे ब्रिड (‘कस्टर्ड’ अर्थात् पके हुये अन्दे और दूध से मिलकर बने खाद्यविशेष के व्यवसायी), कोर्टल्ड (‘रेयन’ के व्यवसायी), क्रासली (मोटर-व्यवसायी), ग्रेटेन (वियर शाराव), निकोल्सन (जिन), गेट (लोहा और फौलाद), हैम्ब्रो (वैकिंग), बीट और जोल (सोना और जवाहिरात), केजर (जहाजरानी), इत्यादि। ये सब के सब अतुरंग सम्पत्तिशाली घराने हैं।

व्यापार-समिति (Board of Trade) के पार्लिमेंटी सेफेटरी तथा विदेशी व्यापार-विभाग के सचिव मिस्टर आर० एस० हडसन को अपने पिता रावर्ट बलियम हडसन से १,५०,००० पौंड उत्तराधिकार में मिले थे। पोलैड, रूम, नार्वे तथा अन्य योरोपीय देशों के माथ व्यापारिक समझौता कराने में इनका हाथ विशेष रूप से रहा है।

कोर्टल्ड (Courtalds) घराने के सबन्व में भी जो निम्नलिखित रिपोर्ट एक दैनिक पत्र में छपी थी वह इन बड़े घरानों की अतुल वनराशि का एक खासा नमूना कहा जा सकता है :—

**“१९,००,००० पौंड का मुनाफ़ा केवल तीन दिन में !
कोर्टल्ड वंश की आमदनी”**

“कोर्टल्ड वंश के १,२०,००,००० पौंड बोनस बॉटने की खबर ने कज (लदन के) स्टाक एक्सचेज में बड़ी भारी हलचल पैदा कर दी। ऐसी हलचल कदाचित् इधर कई साल से देखने में नहीं आई।

थी। दलाल लोग शहर को जाने वाली टेना की तरफ दौड़ पड़े, और शेयर बाजार खुलने के पहिले ही लोगों की एक भारी भीड़ शेयरों का सौदा करने में जुटी हुई थी। दलाल लोग अदृतियों के पास तक पहुँचने के लिये धक्कामुक्की कर रहे थे। इसी प्रकार स्टाक एक्सचेज बद हो जाने के बाद भी लगभग तीन घण्टे तक शेयरों की लेवा-वेचा जारी रही। ...इस प्रकार शेयरों के मूल्य में जो वृद्धि हुई उससे एक्सचेज घराने के लोगों ने खूब लाभ उठाया। इनमें से सोमरसेट हाउस के रजिस्टरों में दर्ज अठारह व्यक्तियों के पास १२,०७,६७८ लाखारण शेयर और ६,८७,४०६ प्रिफरेन्स शेयर मौजूद हैं। इनका आदि मूल्य केवल १ पौंड प्रति शेयर था, किन्तु कल रात्रि में उनकी नीमत बढ़कर कुल १,१०,००,००० पौंड की हो गई।”

कामन्स सभा में इस घराने के वर्तमान सदस्य मेजर जान सिवेल कोर्टल्ड (Major John Sewell Courtauld) है। इनके अतिरिक्त मेजर रात्फ रेनर तथा मिं आर० ए० बट्टलर भी, जो इस समय कामन्स सभा के मेम्बर हैं इसी घराने में व्याहै हैं।

कुछ इने-गिने अपवादों को छोड़ कर शेष सभी पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों की वर्तमान ऊँची स्थिति केवल ऊँचे घरानों में जन्म पाने के कारण ही दिखाई देती है। साथ ही ये इने-गिने अपवाद भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि एक ‘खाने-पीने से खुश’ मध्य-श्रेणी के मनुष्य के लिए इस प्रभावशाली दल में स्थान पाना अत्यत कठिन काम है। ये मध्य श्रेणी के ‘खाने-पीने से खुश’ पिता लोग अधिकतर अव्यापक डाक्टर, एंजीनियर, कारीगर आदि पेशे वालों में ही पाये जाते हैं, और इनकी संख्या कुल आदमियों में ८ प्रतिशत से अधिक नहीं है।

कुल ३०० से अधिक पार्लिमेंटी मेम्बरों में केवल एक ही व्यक्ति इनमें ऐसा मिला है, जिसके पिता सचमुच ‘शरीब’ कहे जा सकते थे।

इस व्यक्ति का नाम 'सर वाल्टर वोमर्स्ले' (Sir Walter Womersley M. P.) है, जो इस समय असिस्टेन्ट पोस्ट मास्टर जेनरल है, और जिसको दस वर्ष की अवस्था में अपनी जीविका के लिए एक कारखाने के अदर मजदूरी करनी पड़ती थी। इसी से इस समय उसको लोग 'पार्लिमेट में अनुदार पक्ष का अकेला मजदूर' कहा करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी तीन-चार व्यक्ति ऐसे हैं, जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि वे अपने पैरों आपही खड़े हुए हैं। यद्यपि इस समय ये धनवान हैं, किंतु फिर भी इनको अपने जन्म का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिला था।

इस प्रकार के व्यक्तियों की इतनी अत्यंत सख्त अनुदार पक्ष में होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कारण कि पेशेवर लोगों के लड़के, जिन्हे यदि धन का लाभ नहीं तो ऊँची शिक्षा का लाभ तो अवश्य मिला था, इस अनुदार पक्ष में बहुत कम भर्ती हो सके हैं। तारीख १४ मार्च सन् १९३६ के 'इवनिंग स्टैन्डर्ड' (Evening Standard) नामक पत्र में श्री ए० डफ कूपर नामक एक अनुदार पार्लिमेटी सदस्य स्वयं लिखते हैं :—

“एक निर्धन मनुष्य के लिए, यदि वह अनुदार पक्ष का है तो, कामन्स सभा में पहुँचना उतना ही कठिन है जितना कि एक ऊँट का सूर्झ के नाके में घुसना। इससे यह तात्पर्य नहीं कि यह बात बिल्कुल ही असभव है। वास्तव में इसकी सभावना केवल उतनी ही कही जा सकती है जितनी कि एक अमीर आदमी के लिए स्वर्ग द्वार तक पहुँचने की सभावना। दोनों ही अवस्थाओं में प्रवेश के लिए गहरी अड़चन है।”

पार्लिमेट के अनुदार पक्षीय सदस्यों की उत्पत्ति का यह सक्षित वर्णन एक बार फिर उसी बात को प्रमाणित करता है, जिसकी चर्चा पिछले अव्यायों में कर आये हैं, अर्थात् अनुदार पक्ष वास्तव में धनाद्यों का पक्ष है। वृद्धिश जाति के केवल मुद्दीभर लोग शासन की बागड़ोर पर अपना समूर्ण अविकार एक ऐसी राजनैतिक पार्टी द्वारा

जमाये हुए हैं, जो हर एक बात को केवल उनकी ही आँखों से देखती है और हर एक मामले में सदा उनके ही हितों को सोचा करती है— इस वर्ग के लोगों की सारी प्रतिष्ठा और हैसियत केवल उनके पूर्वजों की कमाई हुई सम्पत्ति और जायदाद पर ही निर्भर है। प्रोफेसर कैनन (Prof. Cannan) सन् १९१२ के ‘एकनामिक आउटलुक’ (Economic Outlook) नाम पत्र में लिखते हैं :—

“जो सभ त लोगों ने वसीयत और उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त की है उसकी असमानता ही समाज की साम्पत्तिक असमानता का सब से जबर्दस्त कारण है।”

धनी घरानों का एक छोटा सा समूह अपनी सत्ता को पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रखे हैं। अपने वंशजों को यह न केवल परम्परा से धन ही, प्रदान करता है बल्कि अपने उस अनुदार दल का प्रबंध भी उनके हाथों में दे जाता है, जो उसके धन और अधिकारों की रक्खा करने के लिए एक जबर्दस्त हथियार बना हुआ है।

इस धनिक समूह के पुत्रों की शिक्षा-दीक्षा के लिए अलग से एक शानदार प्रबंध किया गया है। एटन (Eton) और हैरो (Harrow) के स्कूल, जहाँ इनकी शिक्षा होती है, बृटिश द्वीप के सब से शानदार और खर्चीले स्कूल कहे जा सकते हैं। यहाँ पर एक-एक लड़के की शिक्षा के लिए लगभग ३०० पौंड से कम सालाना खर्च नहीं पड़ा करता। करीब २३० पौंड तो इन स्कूलों में केवल वार्षिक फीस ही दे देनी पड़ती है। अस्तु, जब तक कोई आदमी बहुत ही अमीर न हो तब तक वह इन दोनों में से किसी स्कूल में अपने पुत्रों को पढ़ाने की आशा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ये स्कूल केवल उन बड़े-बड़े अमीर अनुदार नेताओं के ही मतलब के हैं, जिनका जबर्दस्त पजा देश की तमाम राजनैतिक स्थाओं पर अपना मजबूत अधिकार कायम किये हैं।

२८ अक्टूबर सन् १९३८ को इवनिंग न्यूज नामक पत्र लिखता है .—

“मिस्टर चेम्बरलेन के मन्त्रिमंडल में परिवर्तन होने के कारण दो पुराने ‘एटोनियन’ ('Etonians' अर्थात् एटन स्कूल के पुराने छात्रों) की वृद्धि हुई है। अर्ल स्टैनहॉप और अर्ल डिल्ला-वार अब अपने स्कूल के पुराने मित्रगण वाईकाउन्ट हेल्शम, जो कि कौसिल के लार्डप्रेसिडेन्ट हैं, लार्ड हलीफक्स, जो इस समय पर राष्ट्र सचिव हैं, वोर्ड आफ ट्रेड के मिस्टर आलिवर स्टैनली तथा डची आफ लैकेस्टर के चान्सलर अर्ल विटरठन के साथ आ मिले हैं। इस प्रकार अब मन्त्रिमंडल में एटन वालों का ही बहुमत है। रगवी के प्रतिनिधि-स्वयं प्रधान मंत्री हैं और हैरो के प्रतिनिधि सर सैमुअल होर तथा मार्केंस आफ जेटलंड हैं। आशा है कि कैटेन यूवान वैलेस (Captain Euan Wallace) के आगमन से हैरो वालों की सख्त्य अभी और बढ़ेगी।”

लार्ड वाल्डविन भी हैरो के पुराने छात्र है। उन्होंने एक बार कहा था —

“जिस समय गवर्नमेंट बनाने का मुझे निमत्रण मिला तो सब से पहला विचार जो मेरे मन में उत्पन्न हुआ यह था कि मेरी सरकार एक ऐसी सरकार हो, जिसके लिए हैरो को लजित होना न पड़े।”

अनुदार दल पर ‘एटन’ और ‘हैरो’ के प्राचीन छात्रों का अधिकार कई पीढ़ियों से बराबर चला आ रहा है। नीचे की सूची से विदित हो जायगा कि मिछ्ले ३० वर्षों में इन दानों स्कूलों के कितने प्रतिनिधि पार्लिमेंट के अनुदार सदस्य रहे हैं .—

सन्	कुल अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की सख्ता	एटन और हैरो वालों की सख्ता
१६०५	३८६	१४४ = ३७ प्रति शत
१६०६	१५७	६७ = ४३ „ „
१६०८	४१५	१२८ = ३१ „ „
१६०९	४१५	१२५ = ३० „ „

बहुत से अनुदार पक्षीय सदस्यों ने कहाँ शिक्षा पायी थी इसका पता नहीं लग सका। कितु यह निश्चय है कि एटन और हैरो वालों के जो आँकड़े ऊपर दिये गये हैं उनसे उनकी वास्तविक सख्ता जरूर कुछ अधिक ही थी। साथ ही पार्लिमेट के अंदर अनुदार पक्षवालों में हैरो की अपेक्षा एटन वालों की ही प्रधानता अधिक दिखाई देती रही है। सन् १६३८ में एटन वालों की सख्ता १०१ थी और हैरो की केवल २४।

कुल बृटिश जनता में केवल ००१% लोग एटन या हैरो में पढ़ते हैं। कितु अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों में लगभग ३०% लोग यही से शिक्षा पाये हुए हैं। इतनी ऊँची फीस देने की सामर्थ्य भी बृटिश जनता के केवल ००१% से अधिक व्यक्तियों में नहीं है।

अस्तु, प्रत्यक्ष है कि ये ही स्कूल अनुदार दल के भावी राजनीतिज्ञों की ट्रेनिंग के अत्यत महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। इनकी गणना वस्तुतः उन तमाम स्थानों के सिलसिले में की जा सकती है जो अनुदार नेताओं की विचारशैली को बनाने और स्थिर करने में भाग लिया करती है। ये स्कूल इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके विषय में कुछ और अधिक परिचय देना जरूरी जान पड़ता है।

इन स्कूलों का प्रबंध किसके हाथ में है? एटन का प्रबंध १० “फेलो” (Fellows) से बना हुआ एक बोर्ड करता है। और हैरो

का प्रबंध १० गवर्नरों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इन दोनों बोर्डों के सदस्य बैंक आफ इंग्लैंड के डिरेक्टर हैं : मिस्टर केसिल लबक एटन के बोर्ड में और लार्ड सेट जस्ट हैरो के बोर्ड में। अन्य पाँच बड़े बैंकों में से भी बांकोंज बैंक के डिरेक्टर सर हेरल्ड स्नैग तथा नैशनल प्राविशल बैंक के ज्वाइन्ट डिपुटी चेयरमैन आन० जैसर रिडले एटन के फेलो हैं।

साथ ही इनमें से प्रत्येक स्कूल के बोर्ड में अनुदार मन्त्रिमंडल का एक मंत्री भी रहा करता है : एटन में इस समय वाइकउन्ट हलीफक्स हैं, तथा हैरो में मार्क्स से आफ जेटलैड हैं। इनके अतिरिक्त हैरो के बोर्ड में अनुदार मन्त्रिमंडल के दो भूतपूर्व मंत्री भी अर्थात् एल० एस० एमरी साहब तथा लार्ड बाल्डविन हैं। एटन के फेलोज में भी 'दि टाइम्स' पत्र के सम्पादक जाफे डासन साहब हैं।

दोनों स्कूलों के सचालक वर्ग में कुछ थोड़े से विद्वानों को भी जगह दी जाती है, जिनमें से एक या दो इस समय उन्नतिशील विचार के भी लोग हैं। अस्तु, प्रकट है कि इन दोनों स्कूलों की शिक्षा नीति एवं प्रबंध का सम्पूर्ण भार अनुदार दल के मुख्य-मुख्य नेताओं के ही हाथ में रहा करता है।

वास्तव में हैरो और एटन वृद्धि अनुदार नीति के दो अत्यत महत्वपूर्ण शिक्षा-केंद्र हैं। आजकल के अनुदार नेताओं में से अधिकाश की शिक्षा उनके पूर्वजों के समान इन्हीं स्थानों में हुई थी, और अब उनके पुत्र भी उसी रूढ़ि के अनुसार यहीं तैयार हो रहे हैं।

यह बात नहीं है कि इन स्कूलों की पढाई देश भर में सब से महंगी केवल आकस्मिक रूप से हो। वास्तव में यह ढग इंग्लिस्तान के कुछ थोड़े से कुवेर-पुत्रों को प्रजा-वर्ग के अन्य साधारण लड़कों से अलग रखने के लिए ही जान बूझ कर निकाला गया है, और इन्हीं थोड़े से धन-कुवेरों में हमारे अनुदार दल के नेता लोग भी पाये जाते हैं।

विचित्रता तो यह है कि एटन और हैरो दोनों ही स्कूलों की स्थापना आरंभ में केवल 'सुयोग्य और चरित्रवान' तथा 'गरीब और असमर्थ' बालकों के लिए की गयी थीं फिर भी उनके अमीर प्रबंधकों ने अपना स्वार्थ साधन करने के लिए चालबाजी का रास्ता पकड़ा और विधान के शब्दों को तोड़-मरोड़ कर तथा उनका मनमाना अर्थ लगा कर अपना मनोरथ सिद्ध किया। उदाहरण के तौर पर 'गरीब और असमर्थ' बालक का अर्थ यह लगाया गया कि बालक के माता-पिता या अभिभावक के गरीब होने की जरूरत नहीं, केवल बालक ही के धनहैन होने से मतलब है। इस प्रकार के विचित्र अर्थ से बड़े से बड़े धन-कुबेर का पुत्र भी 'गरीब और असमर्थ' की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। इसी ढग से और भी कितने ही शब्दों की दुर्दशा की गयी और फिर अपना मतलब सिद्ध किया गया।

पार्लिमेट के अन्य अनुदार सदस्यों में से, जिनकी शिक्षा एटन या हैरो के स्कूलों में नहीं हुई, करीब २३ ऐसे हैं जिन्होंने घर पर प्राइवेट अध्यापकों से पढ़ा है। इस प्रकार की शिक्षा भी अत्यधिक महँगी हुआ करती है। शेष में से १५४ व्यक्तियों ने ऐसे स्कूलों में शिक्षा पायी है, जो साधारण स्कूलों की अपेक्षा अधिक महँगे कहे जा सकते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा के लिए स्कूल का चुनाव उसकी वशगत रुद्धि के विचार से ही किया जाता है। कुछ के पिता अपने पुत्रों को एटन या हैरो में केवल धार्मिक विचार से ही नहीं भेजते और किसी कैथोलिक सम्प्रदाय के स्कूल में पढ़ाते हैं।

अब स्कूलों के बाद विश्वविद्यालयों का नम्बर आता है। केवल २७२ अनुदार पार्लिमेटी सदस्यों से उनके विश्वविद्यालयों के नाम मिल सके हैं। इनमें से १८८ व्यक्ति तो आक्सफोर्ड अथवा कैंब्रिज के विद्यार्थी रह चुके हैं; ५० ने ग्रातीय विश्वविद्यालयों में अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा पायी थी और शेष ३४ व्यक्ति रायल मिलिट्री एवं नेवेल कालिजों से निकले हुए हैं।

अस्तु, यहाँ भी हम देखते हैं कि शिक्षा की जो सुहूलियते अनुदार-पक्षीय लोगों को प्राप्त हैं वह ६८% ब्रिटिश जनता को नसीब नहीं। अधिकाश अनुदार-पक्षीय नेताओं का आक्सफोर्ड अथवा कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में पढ़ना केवल इसलिए सभव हो सका कि उनके माता पिता धनवान थे। उनकी शिक्षा-सम्बधी सुविधाये वस्तुतः उनकी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि उनकी ऊँची हैसियत के कारण प्राप्त हुई हैं। यदि सब नहीं तो इनमें से बहुसख्यक लोग जल्द ऐसे दिखाई देते हैं, जिनका मानसिक विकास उस दर्जे तक नहीं पहुँच सका, जिससे यह कहा जा सके कि उनका आक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में जाकर १००० पौड़ के खर्च से विद्यालाभ करना उचित था। बात यह है कि मनुष्य के चुनाव के लिए उसके धन के विचार और उसकी योग्यता के विचार में बड़ा चैपरीत्य पड़ जाता है।

यह बात नहीं है कि अनुदार दल वालों में योग्यता की कमी कुछ विशेष रूप से पायी जाती हो। जिस प्रकार साधारण जनता में अधिकतर साधारण बुद्धि वालों की ही सख्या दिखाई देती है उसी प्रकार अनुदार दल के लोगों में भी इन्हीं साधारण लोगों की सख्या बहुतायत से मौजूद है। निसन्देह कुछ अनुदार दल के सदस्य पार्लिमेट में ऐसे भी मौजूद हैं, जिनका चुनाव उनकी योग्यता के ही लिहाज से किया गया है, लेकिन इस प्रकार के लोगों की सख्या बहुत थोड़ी है। धन और वश का विचार ही सर्वत्र प्रधान दिखाई देता है, और इसके साथ ही साथ शिक्षा के प्रति एक प्रकार की उपेक्षा का भाव भी यहाँ व्यापक रूप से मौजूद है।

अर्ल विन्टर्टन अपनी 'युद्ध के पहले' (Pre-war) नामक पुस्तक में लिखते हैं कि अनुदार वर्ग की 'दिलचस्पी किसी ऐसी बात चीत में नहीं दीखती जिसमें मानसिक योग्यता की आवश्यकता रहती है'। मिस्टर एम० आर० हेली हचिन्सन एम० पी० भी यद्यपि

यहाँ तक तो ब्रिटिश पार्लिमेंट के जन्म और विकास का वर्णन हुआ। अब कुछ थोड़ा सा परिचय टोरी-दल का भी देना चाहता है। 'टोरी' शब्द का व्यवहार इंगलैण्ड में किसी राजनैतिक दल के लिए पहले-पहल सन् १६७८ ई० के क्रीम किया गया था। उस समय राजा और पार्लिमेंट के भगड़े में जिन लोगों ने राजा का साथ दिया था उन्ही के समूह को टोरी दल का नाम मिला था। ये लोग वे थे जो राजा की दखारदारी किया करते थे और जिन्हे राजा की ओर से जमीन, जायदाद, ऊँची-ऊँची पदवियाँ और सनदे प्राप्त थीं। इस प्रकार प्रायः तमाम बड़े-बड़े खान्दानी सामंत, सर्दार, पदधीरारी रईस और ताल्लुकेदार लोग इसी टोरी दल के सदस्य दिखाई देते थे। ये राजा के ईश्वर-दत्त अधिकारों का समर्थन करते थे और प्रायः सभी प्रकार के राजनैतिक परिवर्तनों के विरुद्ध थे। जो लोग इन विचारों को नहीं मानते थे और इनके विरोधी थे वे 'व्हिंग पार्टी' (Whig Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार पार्लिमेंट के तमाम सदस्य 'व्हिंग' और 'टोरी' दो दलों में विभक्त हो गये थे।

सन् १८३२ के सुधार कानून के समय इन दोनों दलों का नाम बदल दिया गया। टोरी दल अपने को 'कन्जर्वेटिव पार्टी' (Conservative Party) के नाम से पुकारने लगा और व्हिंग पार्टी का नाम 'लिबरल' (या 'उदार') पार्टी पड़ गया। आगे चल कर सन् १८८५ ई० में कन्जर्वेटिव पार्टी, का नामकरण फिर से किया गया। उस समय प्रधान मंत्री मिस्टर ग्लैड्स्टन के होमरूल बिल का विरोध करने के लिए कुछ उदार दल वाले अपने दल से अलग होकर कन्जर्वेटिव दल वालों के साथ जा मिले थे। अतएव अब उस दल का नाम कन्जर्वेटिव दल के बजाय 'यूनियनिस्ट दल' रखा गया। इसके पश्चात् बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही एक तीसरा दल राजनैतिक क्षेत्र में उतरा। इसका नाम 'लेबर पार्टी'

एटन तथा आक्सफोर्ड में शिक्षा-लाभ कर चुके हैं, किंतु शिक्षा के प्रति अपने विचार इस प्रकार प्रकट करते हैं :—

“अधिकांश लोग जरूरत से ज्यादा पुस्तके पढ़ा करते हैं। साधारण पठन-पाठन के लिये वाइविल, विशेषकर उसका Ecclesiastes and Proverbs वाला अश तथा शेक्सपियर के नाटक, मुख्यतः जूलियस सीजर और हेनरी पॉचवे को पढ़ लेने से ही हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो सकती है।”

हम यह नहीं कहते कि अनुदार दल के सभी लोग हेली हचिन्सन के से विचार रखते हैं। लेकिन फिर भी उसके अधिकतर भाग की विचारशैली साधारणतया हेली हचिन्सन की ही विचारशैली के नमूने पर है, और मन्त्रिमंडल में भी कम से कम एक सदस्य इसी विचार के हैं, इसमें जरा सदेह नहीं।

किन्तु अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों के लिए यह उतना आवश्यक भी नहीं है कि वे सब के सब अपने माथे में खतन्त्र बुद्धि ही रखें। केवल अनुदार पक्ष के सिद्धांतों में अविचल अधी भक्ति ही उनके लिए काफी होती है, कारण कि अनुदार शासकों का समूह अपने इन अनुयायियों से हर एक मामले पर बुद्धिगूर्वक विचार करने के बजाय केवल आँख मूद कर अपनी आज्ञाओं का पालन ही ज्यादा उचित समझता है।

अब इन अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की जीविका पर भी एक नजर डालना है। पहिले दिखला आये हैं कि इनमें से एक बहुत बड़ी सरूपा बड़े-बड़े व्यापारियों एवं कम्पनी-डिरेक्टरों की है। लगभग १८१ अनुदार सदस्य इस समय अनेक कम्पनियों के डिरेक्टर हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जो अपने जीवन के किसी न किसी समय में बड़ी-बड़ी लिमिटेड कम्पनियों के डिरेक्टर रह चुके हैं। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि अपनी पारिवारिक

सम्पत्ति को पालना-पोसना और बढ़ाना ही धनिक परिवार के पुत्रों का खास पेशा है। कितने लोग केवल अपनी रियासत और जमीदारी के प्रबन्ध में ही लगे रहते हैं। यद्यपि यह ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता कि पार्लिमेट के कितने अनुदार सदस्यों के पास इस समय जमीन और रियासत है, अथवा कितने लोग मुख्यतः अपनी जमीदारी के प्रबन्ध में लगे हुये हैं, फिर भी इनमें से कम से कम बीस आदमी तो ऐसे अवश्य हैं जो अपने को स्वयं जमीदार कहते हैं और जिनकी जीविका के लिये इधर सिवाय जमीदारी के कोई दूसरा काम नहीं दिखाई देता। किन्तु यदि अनुदार पार्लिमेटी सदस्यों की वसीयतों का अध्ययन किया जाय तो जान पड़ेगा कि उनमें जमीदारों की सख्ता इससे कहीं ज्यादा है। कुछ न कुछ भूमि तो अधिकाश व्यक्तियों के पास है, किन्तु जिन लोगों की जीविका मुख्यतः भूमि की ही आय पर निर्भर है उनकी सख्ता भी पचास या साठ से कम न होगी।

यद्यपि अपनी पारिवारिक सम्पत्ति का प्रबन्ध ही अधिकतर पार्लिमेटी अनुदार सदस्यों का मुख्य रोजगार है, फिर भी लगभग २०० व्यक्ति ऐसे हैं जिनके और दूसरे-दूसरे भी रोजगार है। इन सबों के अलग-अलग व्यौरे तो बतलाना कठिन है, किन्तु फिर भी वहुतों के व्यौरे मालूम कर लिये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

रेयुलर सेना में अफसर

६६

वैरिस्टर

७८

सिविल सर्विस के भूतपूर्व अफसर ...

१६

इन सब पेशों में एक बात, जो अत्यन्त महल्यपूर्ण दीखती है, यह है कि इन सबों का राष्ट्र सेवा से बना सन्बन्ध है। उदाहरणार्थ सिविल सर्विस के द्वारा शासन की सपूर्ण मशीन चालू रहती है; न्याय-विभाग की तमाम ऊँची-ऊँची जगहों पर, अर्थात् ऊँची से ऊँची अदालत-अपील के जजों से लेकर साधारण वेतनभोगी मजिस्ट्रेटों तक के पदों पर

वैरिस्टरों का ही एक मात्र अधिकार रहता है; तथा फौजी अफ़सरों के हाथ में राष्ट्र की अतिम और सब से जबर्दस्त ताकत रहा करती है।

अस्तु, इन पेशों को 'हुक्मत के पेशे' भी कह सकते हैं, इसलिए कि देश की हुक्मत में इन्हीं पेशेवालों का मुख्य भाग रहता है और इसलिए भी कि देश के हाकिम अनुदार दल वाले इन्हीं पेशों को पसन्द किया करते हैं। वास्तव में धनिकों के इस समूह ने वृद्धिश प्रजा पर अपना अधिकार दोहरे रूप में जमा रखा है। एक तो पार्लिमेंट की कुर्सियों पर कब्जा कर के और दूसरे, सरकारी नौकरियों के मुख्य-मुख्य पदों पर अपना अधिकार जमा कर। दूसरे देश के एक दर्शक ने इसी बात को सचेत में इस प्रकार वर्णित किया है :—

“(इस धनिक) ‘समाज’ की वास्तविक शक्ति कुछ वैधानिक अधिकारों में नहीं, बल्कि शासन की संपूर्ण मशीन पर अपना अधिकार जमा लेने में है। राज्य के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्तियों की जाती हैं उन सबों पर इसी दल का प्रभाव रहता है और इसलिए केवल वे ही व्यक्ति इन पदों के योग्य समझे जाते हैं, जो अपने जन्म से ही इस समाज के आदमी हैं। × × × × × अधिकांश जज और कानूनी अफ़सर, विशेष, तथा तमाम प्रतिष्ठित चर्चों के ऊचे-ऊचे पादड़ी एवं स्थल और जल सेना के ऊचे-ऊचे अफ़सर सब इसी दल के आदमियों में से भर्ती किये जाते हैं। × × × सिविल सर्विस में भी इन्हीं नवाबों के उपाधिहीन छोटे बेटों, भतीजों, भाइयों तथा दूर के रिश्तेदारों की भरमार की जाती है।”

निस्सन्देह यह नहीं कहा जा सकता कि सभी वैरिस्टर, सेना के अफ़सर अथवा सिविल सर्विस के कर्मचारी लोग धनिक वर्ग से ही लिये गये हैं। उपरोक्त वर्णन में कुछ थोड़ी सी अत्युक्ति। जरूर है, कारण कि इन पदों पर बहुत से लोग मध्य श्रेणी के आदमियों में से भी अवश्य भर्ती किये जाते हैं। कितु फिर भी जो पद अत्यन्त ऊचे और बहुत ही

महत्वपूरण समझे जाते हैं उन सब पर अधिकतर धनी धराने के लोगों का कब्जा है।

सेना पर अनुदार पक्ष का अधिकार एक विशेष महत्व का विषय है। लोगों की यह धारणा अत्यत भ्रमपूरण है कि बृटिश सेना राजनीति से विलकुल अलग रखी जाती है। वास्तव में पार्लिमेट के अदर बहुसंख्यक भूतपूर्व सैनिक अफसरों की उपस्थिति तो यह सिद्ध करती है कि यह सेना अनुदार पक्ष के लिये तैयार करने के लिए एक सुन्दर शिक्षा-भूमि है।

यह भूठ है कि सेना को हर प्रकार की राजनीति से अलग रखा जाता है। वास्तविक बान यह है कि अनुदार राजनीति के सिवाय और कोई दूसरे प्रकार की राजनीति वहाँ नहीं पहुँचने दी जाती। सेना को मड़काने के विरुद्ध जो कानून बनाये गये हैं उनका प्रयोजन सेना को राजनीति से अलग रखना नहीं है, बल्कि सेना में अनुदार राजनीति की शिक्षा को सुरक्षित बनाना है। अनुदारपक्षीय सैनिक अफसर भी यह खूब अच्छी तरह जानते हैं कि सेना में विरोधी दल की राजनीति के प्रचार को रोकने के लिये इस प्रकार के सैनिक कानून का उपयोग किस ढग से करना चाहिए।

अस्तु, दूसरे देशों में जनतंत्रवाद के विरुद्ध जो बृटिश सेना इस्तेमाल की जाती है वह इसी ढग की सेना है, जिसपर धनी नवाबों की मड़ली ने अपना पूरा अधिकार जमा रखा है। इसका एक ताजा उदाहरण स्पेन का यहुद्व है। वलवे का सघटन अफसरों के समुदाय ने किया था और उनकी सहायता स्पेन के तमाम धनिक जर्मींदार और व्यापारियों ने की थी। अस्तु, बृटिश अनुदार-पक्षीय सेना की सहानुभूति भी स्वभावतः वलवाइयों के ही पक्ष में दिखाई पड़ी। प्रमाण-स्वरूप 'जर्नल आफ दि रायल यूनाइटेड सर्विसेज इन्स्टिट्यूट' (Journal of Royal United Services Institute) नामक पत्र अपने एक सम्पादकीय लेख में लिखता है :—

"प्रायः सभी सेनाएँ स्वभाव से परिवर्तन-विरोधी और देशभक्त

स्थाएँ हुआ करती हैं, और देश की प्रतिष्ठा तथा एकता को कायम रखना ही उनका मुख्य अभीष्ट होता है। स्पेन में प्रजातंत्र-शासन के कारण जो अधिकारों तथा अन्य देशभक्त सैनिकों को चौकन्ना बना दिया। स्पेन की रक्षा यदि हो सकती थी तो वह इसी सेना के हाथ से हो सकती थी अस्तु, मोराको स्थित स्पेनी सेना ने जेनरल फ्राको की अधीनता में विद्रोह का झड़ा सबसे पहले खड़ा किया।”

स्मरण रहे कि अभी बहुत समय नहीं हुआ कि आयलैंड में भी एक इसी प्रकार का विद्रोह वृटिश सेना के एक भाग ने अनुदार पक्षीय नेताओं के इशारे पर उठाने की चेष्टा की थी, जिससे पार्लिमेंट में आय-रिश होमरूल विल न पास हो सके। इन दोनों ही बलवों में एक धनिष्ठ समानता दिखाई देती है :—

“सर एडवर्ड कार्सन के जर्मन राइफलों से सुसज्जित उल्स्टर के स्वयंसेवक ही इधर डेढ़ सौ वर्षों में वृटिश राज्य के अदर पहली बार बगावत करने वाले निकले। इनका मुकाबला एक ऐसी सरकार को करना पड़ा, जो सन् १६३६ की स्पेनी सरकार के सदृश ही रेग्युलर सेना पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती थी और संभव था कि कदाचित् वह इस बलवे को वही दबा देने में असमर्थ सिद्ध होती।”

पार्लिमेंट में तथा मंत्रि-मंडल में भी कुछ ऐसे अनुदार सदस्य मौजूद हैं, जिन्होंने कुराग (Curragh rebellion) के बलवाइयों का साथ दिया था। प्रमाण-स्वरूप इस बात को अपने जीवन चरित में स्वीकार करते हैं। कैप्टेन विटर कैज़े-लेट तथा सर आर्नल्ड विल्सन जैसे भूतपूर्व सैनिक तथा वर्तमान पार्लिमेंटी अनुदार सदस्य इस समय जेनरल फ्राको के सब से जबर्दस्त समर्थकों में समझे जाते हैं।

सरकारी नौकरियों पर धनिक अनुदार पक्ष का जो अधिकार जमा हुआ है उससे उसका राजनैतिक प्रभाव अत्यंत स्थायी बन गया है।

अस्तु, जिस समय पार्लिमेट में इस पक्ष का बहुमत न भी हो उस समय भी देश के शासन में उसका प्रभाव बराबर काम करता ही रहेगा। वास्तव में अनुदार पक्ष की शक्ति पार्लिमेट की कुर्सियों के साथ-साथ सरकारी ओहदों पर भी अधिकार जमा लेने से ही कायम रह सकी है। इन दोनों ही पर इस समय प्रजावर्ग की इस नन्ही सी सकुचित विचारों वाली धनिक मडली का अधिकार कायम है।

ऊपर जिन पेशों को हम 'हुक्मत के पेशे' के नाम से परिचित करा आये हैं उनके मुकाबले में अब मध्य श्रेणी के पेशों का पार्लिमेटी अनुदार दल में कितना प्रतिनिधित्व है इसे भी नीचे की सूची में देखिए :—

१—सालिसिटर	१०
२—पत्रकार	.		१५
३—डाक्टर	६
४—एकाउन्टेन्ट		.	८
५—स्कूल मास्टर	४
६—विद्वान् वर्ग (भिन्न भिन्न विषय में)			६
७—शिल्पकार	..		२
८—दॉत बनाने वाले	.		१

बृटिश जनता में कम्पनी-डायरेक्टरों और डाक्टरों की सख्ता लगभग एक सी है। किंतु अनुदार पक्ष में डाक्टरों के प्रतिनिधि केवल ६ हैं जब कि डायरेक्टरों की प्रतिनिधि-सख्ता १८१ है। इसी प्रकार स्कूल-मास्टरों की सख्ता बृटिश जनसमूह में सेनापतियों की सख्ता से कही ज्यादा बढ़कर है, किंतु अनुदार दल में उनकी गिनती केवल ४ है और सेनापतियों की ७६। वैज्ञानिकों, युनिवर्सिटी-प्रोफेसरों तथा लेक्चरर लोगों की भी सख्ता उच्च राजकर्मचारियों की अपेक्षा कही ज्यादा है, किंतु फिर भी राज-कर्मचारियों की तादाद अनुदार पक्ष में इन लोगों की दूनी से भी

अधिक है। डाक्टर, पत्र सम्पादक, सालिसिटर, युनीवर्सिटी के अध्यापकगण, शिल्पकार, दॉत बनानवाले इत्यादि मध्य-श्रेणी के तमाम पेशों के जितने आदमी अनुदार पार्लिमेटी दल में मौजूद हैं उनकी कुल सख्त्या मिलाकर भी अकेली वीमा कंपनियों के आदमियों की सख्त्या से विशेष अधिक नहीं होती।

किंतु मध्यश्रेणी की ऊपर जो सख्त्याएँ दी गयी हैं वे वास्तविक से कुछ अधिक ही हैं, कारण कि उनमें बहुत से ऐसे डाक्टर भी शामिल कर लिये गये हैं जो अब डाक्टरों नहीं करते। पत्र-सम्पादक और सालिसिटर लोगों में भी अब कितने ही कम्पनी डायरेक्टर हो गये हैं। इनके अतिरिक्त १२ एजीनियर भी हैं जो अब कम्पनियों के डायरेक्टर हो गये हैं और इसलिए उनके नाम नहीं शामिल किये गये।

किंतु फिर भी मध्यश्रेणी का प्रतिनिधित्व अनुदार दल में कुछ कम नहीं कहा जा सकता। वास्तव में कम्पनी-डायरेक्टरों, भूतपूर्व सैनिकों, वैरिस्टरों, भूतपूर्व राजकर्मचारियों, जमीदारों इत्यादि का प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत उसमें इतना अधिक है कि उनके मुकाबले में मध्यश्रेणी का प्रतिनिधित्व बहुत कम जान पड़ता है। मध्यश्रेणी के पेशेवर लोग इंग्लिस्तान के विशेषज्ञवर्ग कहे जा सकते हैं, किंतु अनुदार दल में धनिकों के प्रतिनिधित्व का महत्व कायम रखने के लिए इन विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व को विलकूल दबा दिया जाता है।

इससे भी अधिक एक और उल्लेखनीय बात यह है कि जहाँ अनुदार पार्लिमेटी सदस्यों में मजदूर-मालिकों की संख्या इतनी अधिकता के साथ मौजूद है वहाँ मजदूरवर्ग का एक भी प्रतिनिधि नहीं दिखाई देता। वृटिश द्वीप की कुल जनसख्त्या में ६० प्रतिशत से भी अधिक लोग ऐसे हैं, जो किसी न किसी प्रकार की नौकरी करके अपनी जीविका चलाते हैं। इनमें श्रमिक, दस्तरों में काम करने वाले, सेल्स-मैन, कारखानों के फोरमैन, सुपरिनेंडेन्ट भिन्न-भिन्न प्रकार के विशेषज्ञ

इत्यादि सब शामिल हैं। वास्तव में इन्ही के मिले हुए समूह को हम बृद्धिश जनता के नाम से पुकार सकते हैं। इनमें का एक भी आदमी इस समय अनुदार पक्ष में नहीं दीखता। केवल इनके मालिक ही मालिक उसमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार अनुदार दल एक प्रकार का निराला दल है, जो देश के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य पेशे वालों को पार्लिमेट में अनुदार पक्षीय सदस्य होने से रोकता है।

अनुदार पक्षीय घोटरों को, बल्कि अनुदार पक्ष के साधारण सदस्यों तक को, अनुदार दल की नीति स्थिर करने में कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अतएव अनुदार दल की कानफरेसों में यदि उत्साह का बिल्कुल अभाव दिखाई दे तो उसमें आश्वर्य ही क्या है? स्वयं पीटर हावर्ड साहब, जो सन् १९३७ में स्कारवारो की अनुदार कानफरेस में एक प्रतिनिधि की हैसियत से उपस्थित थे, और जो वोर्नमाउथ की मजदूर कान्फरेन्स में भी सन्डे एक्सप्रेस (Sunday Express) नामक पत्र के सवाददाता की हैसियत से गये हुए थे, इन दोनों कानफरेसों की तुलना करते हुए इस प्रकार लिखते हैं:—

“भूल में मत पड़िए। इन वार्पिक अधिवेशनों में साम्यवादियों ने अनुदारों को मात कर दिया है। वोर्नमाउथ सजीव था और स्कारवारो निर्जीव। पार्लिमेट का प्रायः प्रत्येक मजदूर सदस्य और ट्रेड यूनियनों का हर एक नेता वोर्नमाउथ पड़ुँचा हुआ था, किन्तु अनुदार पक्ष के ३७० पार्लिमेटी सदस्यों में से ५ प्रतिशत भी लोग स्कारवारो नहीं गये। वोर्नमाउथ—अब्बल दर्जे की वक्तृत्व-शक्ति। स्कारवारो—मध्यम श्रेणी के व्याख्यान। साम्यवादी प्रधान श्रीयुत् ऐटली साहब हर एक व्याख्यान को सुनते हुए आदि से अत तक मच पर बैठे रहे। किन्तु स्कारवारो में चैम्बरलेन साहब केवल एक ही व्याख्यान के समय मौजूद रहे और उस व्याख्यान के भी देने वाले स्वयं वही थे।

“जिस समय एक अनुदार डेलीगेट मच पर खड़ा बोल रहा था, उस समय मैंने मच पर बैठने वाले १६ नेताओं को ‘क्रासवर्ड पजल’

(Cross-word Puzzles) अर्थात् पहेलियाँ हल करते पाया। किंतु बोर्नमाउथ में लोगों की दिलचस्पी प्रत्येक भाषण में प्रकट हो रही थी। स्कारबारो में जब कोई साधारण दर्जे का डेलीगेट बोलता था तो उसके शब्द सभामंडप से उठ-उठ कर शराबखाने की तरफ़ जाने वालों की पदध्वनि में छूब जाते थे।

“बोर्नमाउथ में वाद विवाद की मात्रा अत्यधिक दिखाई दे रही थी किंतु स्कारबारो में वाद विवाद विलक्षण ही नहीं। जब तक मैं वहाँ था किसी भी प्रस्ताव के विरुद्ध एक भी वोट नहीं दिखाई पड़ी। क्या इसी का अर्थ टोरी प्रतिनिधियों की प्रत्येक विषय पर सहमति है? नहीं। इसका अर्थ है केवल यह कि जिन-जिन विषयों पर टोरी दल वाले भिन्न-भिन्न राय रखते थे, वे टोरी कान्फरेस में विचार के लिए रखे ही नहीं गये। अनुदारों की एक गुप्त समिति होती है, जो हर एक ऐसे प्रस्ताव को अलग कर देती है जिसपर मतभेद जान पड़ता है।

‘बोर्नमाउथ से प्रतिनिधिगण उत्साह से भरे हुए वापस गये। स्कारबारो से प्रतिनिधिगण केवल घर लौटने के लिए उत्सुक थे।’

अनुदार दल के साधारण सदस्य और समर्थक लोग भी वास्तविक अनुदार मड़ली से सर्वथा अलग रखते जाते हैं। बहुधा अनुदार दल की नीति लदन के खर्चोंले कलबों में ही तय की जाया करती है, किंतु उनमें अधिकाश अनुदार पक्ष के समर्थक प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वे उतना खर्च उठाने के लिए तैयार भी हो जॉय। उदाहरणार्थ आधे से ज्यादा पार्लिमेंट के अनुदार पक्षीय सदस्य काल्टन क्लब के मेम्बर हैं, जिसका प्रवेश शुक्ल ४० पौंड और वार्षिक चन्दा १७ गिन्नी है। अन्य सदस्य सिटी आफ लदन क्लब के मेम्बर हैं। इसका प्रवेश-शुक्ल १०० गिन्नी है और सालाना चन्दा १५ गिन्नी है। इस प्रकार प्राप्त: सभी अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य किसी न किसी खर्चोंले क्लब के मेम्बर बने हैं, जिनमें से उपरोक्त दोनों क्लबों में इनकी सख्ता

सबसे ज्यादा है। इनके अतिरिक्त प्रातीय क्लबों, नौका-क्लबों तथा गाल्फ-क्लबों में भी इनकी सख्त्या मौजूद है। अधिकाश लदन क्लबों में, जहाँ ये लोग जाया करते हैं, प्रवेश-शुल्क की एक गहरी रकम के अतिरिक्त कम से कम १२ से १८ पौड़ तक सालाना ऊपरी खर्च बैठता है।

वास्तव में ये क्लब भी इस धनिक समुदाय के जीवन की सामाजिक पृथकता के एक भाग हैं। इस प्रकार के सामाजिक जीवन से शासक समूह और भी सुगठित बन जाता है और इसी समूह के हाथ में अनुदार दल की तमाम नीतियों का निर्णय भी रहता है। अस्तु, नवाची की छाप इस शासक श्रेणी के जीवन के अग्र-प्रत्यग पर बैठ गयी है।

नवाची उपाधियों और इनके महत्व एवं राजनैतिक प्रभावों के विषय में पहिले लिखा जा चुका है। किंतु इनके अतिरिक्त अनुदार वर्ग में एक और भी समुदाय है, जो अपने विचार, सामाजिक कार्य, मन बहलाने के ढग इत्यादि के कारण साधारण बृंदिश समाज से विल्कुल अलग दिखाई देता है।

लगभग १०० अनुदार पक्ष के पार्लिमेटी सदस्यों का जी बहलाने का सुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, चिड़िया मारना और जगलों में शिकार करना है। कहना न होगा कि ये तोनो ही बड़े खर्चीले मन-बहलाव हैं। इनके अतिरिक्त कम से कम ३० व्यक्ति नौका-क्लबों के भी मेम्बर हैं। सक्षेप में एकमात्र गाल्फ को छोड़ कर, जो कि इनमें बहुत कम खेला जाता है, शयद ही कोई ऐसा खेल इनका है जो सर्व साधारण का खेल कहा जा सके।

लगभग आधे अनुदार पार्लिमेटी मेम्बरों के पास अपने रहने के लिए दो-दो महल हैं, और बहुतों के पास तो तीन-तीन भी हैं। इनके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी रकम दावतों में भी खर्च की जाया करती है। इन दावतों में अनुदार-पक्ष के मजदूरों की तो कोन कहे मध्यश्रेणी के इज्जत-

अब सयुक्त रूप से राजसिंहासन पर बैठाये गये। इस प्रकार राजा पर पार्लिमेट की यह दूसरी जबर्दस्त जीत हुई। इसके बाद फिर किसी राजा को आज तक पार्लिमेट के अधिकार और शक्ति पर शंका या प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। देश में अब निर्विवाद रूप से पार्लिमेट का ही एकाधिकार स्थापित हो गया।

किन्तु यह पार्लिमेट उन दिनों जैसी थी और जिस ढग से इसका चुनाव किया जाता था उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसे प्रजा की प्रतिनिधि-स्थान के नाम से नहीं पुकार सकता। वास्तव में वह प्रजा के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। अभी सौ वर्ष से कुछ ही ज्यादा हुए जब इंग्लैण्ड में 'जेबी निर्वाचन क्लेवो' (Pocket-boroughs) की कमी न थी। ये निर्वाचन-क्लेव ऐसे होते थे, जिनमें एक या दो से ज्यादा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। कहते हैं सन् १७६३ई० में हाउस आफ कामन्स के ३०६ मेम्बरों को केवल १६० आदमियों ने चुना था। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि प्रजावर्ग के अधिकाश आदमियों को पार्लिमेट के निर्वाचन में उस समय कुछ भी अधिकार न था। लार्ड्स सभा में तो लार्ड उपाधिधारी बड़े-बड़े सामत-जमीदार और पादरी लोग थे ही, किन्तु कामन्स सभा में भी अधिकतर सदस्य प्रभावशाली जर्मांदार और रईस ही लोग हुआ करते थे। गरीबों और मव्यथेणी वालों का उममे कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता था। चुनाव में वैरेंमानी और रिश्वतवाजी का बाजार भी उस समय खूब गर्म था। अन्त में प्रजा के बहुत दिनों तक आनंदोलन करते रहने पर सन् १८३२ई० में एक सुधार कानून पास किया गया, जिससे निर्वाचकों की सख्त्या में बद्द की गयी। आगे चल कर समय-नसमय पर यह संख्या और अधिक बढ़ायी गई और अब इस समय वहाँ पार्लिमेट के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रत्येक वालिंग न्यौ और पुरुष को प्राप्त हो गया है।

दार लोग भी कितनी संख्या में पहुँच सकते हैं यह स्वय सोचा जा सकता है।

वास्तव में जैसे लोगों के बीच में मनुष्य उठता-बैठता और रहा करता है, वैसे ही ढंग की उसकी विचार-शैली भी बन जाया करती है। पालिमेंट के अनुदार-पक्षीय सदस्यों का साथ बड़ी-बड़ी लिमिटेड कपनी के डायरेक्टरों से है, अपने ही समान अपने अमीरी क्लबों के अमीर मेम्बरों से है, तथा चिड़ियों पर निशान लगानेवाले, मछली पकड़ने वाले और शिकार करने वाले मित्रों से है। अस्तु, बस यही समाज उनकी अनुदार नीति और विचार शैली को भी स्थिर करता है। उन लोगों के रहन-सहन का ढग ही ऐसा है जो उन्हे साधारण मनुष्य के जीवन-प्रश्नों को समझने के लिए बिल्कुल अयोग्य बना दे। उनके राजनैतिक विचार एकमात्र उसी वर्ग के स्वार्थों को प्रकट कर सकते हैं जिसमें वह रहता है।

आठवाँ अध्याय

अनुदार दक्षिण पाश्च

“स्पेन यदि फ़ाको के हाथ मे आ गया, तो जिब्राल्टर के लिए खतरा है, और उपनिवेशों से फ़ासीसी सेनाओं को भी बुलाना बोलियारिक द्वीपों की किले बदी के कारण ग्रायः असभव हो जायगा। यदि ऐसी अवस्था आ गयी, तो जर्मनी फ्रान्स की वह दुर्दशा करेगा जैसी कदाचित् किसी देश ने आज तक अपने तमाम इतिहास मे न देखी होगी .. ।

“जापान से वह पूरी आशा की जा सकती है कि वह हाकाग पर अपना अधिकार करने का अवसर कदापि हाथ से न जाने देगा और इस का अर्थ वास्तव मे वही होगा जो इंग्लैड को सुदूर पूर्व से निकाल बाहर करने का हो सकता है। इंग्लैड को सब कुछ सहना पडेगा जो जर्मनी और इटली उसे सहावेगा। सारी दुनिया आज इंग्लैड की वर्तमान नपुसकता पर हँस रही है। सन् १९१४ के पूर्व वह इस अवस्था को वर्दाश्त करने के लिए कदापि तैयार न हुआ होता। इंग्लैड इस समय अपने भयकर शस्त्रीकरण द्वारा जर्मनी और इटली से आगे बढ़ने के प्रयत्न मे है। किंतु शस्त्रास्त्रों मे हमलोग इतने आगे बढ़े हुए हैं कि हमे कोई नहीं पा सकता।”—ताः द एप्रिल सन् १९३८ के मैचेस्टर गार्जियन मे प्रकाशित प्रोफेसर मैक्स ग्रुएन (Professr Max Gruen, Nazi authority) के एक व्याख्यान से उद्धृत ।

देश की रक्षा की सारी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार पर है। लेकिन चृटेन की रक्षा उसकी सैनिक-शक्ति पर उतनी अधिक निर्भर नहीं जितनी

कि उन महत्वपूर्ण स्थानों के अधिकार पर है, जिनके द्वारा उसके व्यापारिक जहाजों का मार्ग सुरक्षित रह सकता है। इसके अतिरिक्त मित्रों की शक्ति पर भी उसे बहुत कुछ भरोसा रहा करता है। मित्रों की सैनिक शक्ति में यदि कुछ हानि पहुँच जाय तो उसका अर्थ यही होगा कि वृटेन की शक्ति में भी उतनी ही कमी आ गयी। इस अव्याय में हम पार्लिमेट के अनुदार सदस्यों का रुख बृटिश द्वीप की रक्षा के सवाल पर क्या है इसका विचार करेंगे। इस समय बृटिश सरकार जर्मन खतरे के विरुद्ध बड़े जोरों से तैयारी कर रही है। किन्तु अनुदार पक्षीय लोग इस खतरे को किस दृष्टि से देखते हैं यही यहाँ देखना है। विकहैम स्टीड (Wickham Steed) का कहना है कि जर्मनी से हमें जो कुछ भय है वह उसके भीतरी शासन से है। अस्तु, अनुदार दल वाले इस शासन को किस दृष्टि से देखते हैं ?

यदि हम कुछ अनुदार नेताओं के पिछ्ले भाषणों पर दृष्टि डाले तो जान पड़ेगा कि वे नाजी जर्मनी के बढ़ते हुए खतरे से बिल्कुल ही बेसुध रहते आये हैं। उदाहरणार्थ सन् १९३३ में एक अनुदार पार्लिमेटी सदस्य सर टामस मोर (Sir Thomas Moor M. P.) का कहना था :—

“किन्तु हर हिटलर को यदि मैं कुछ भी अपने निजी अनुभव से समझ सकता हूँ तो शांति और न्याय ही उसकी नीति के मूलमन्त्र हैं।”—Sunday Dispatch, Oct. 22, 1933.

उस समय तो सर टामस मोर यहाँ तक आगे बढ़े हुए थे कि वह जर्मनी को उसके प्राचीन उपनिवेश वापस देकर उसकी शक्ति को और मजबूत बनाने की राय दे रहे थे। यूनियनिस्ट कैनवासिंग कोर्स (Unionist Canvassing Corps) में भाषण करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि “जर्मनी को परिचमी अफिका में कुल पुराने उपनिवेश लौटा देने चाहिए, जिससे उसकी शक्ति के प्रयुक्त होने

के लिए एक मार्ग खुल जाय।”—Daily Herald, 20th July, 1933.

सन् १९३४ में भी सर टामस मोर जनता को इसी प्रकार शाति का भूठा सपना दिखा रहे थे। तारीख १८ फरवरी को उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था “हिटलर को एक मौका दो।” इसमें उन्होंने लिखा था कि “मैंने अपना सब प्रकार से संतोष कर लिया है कि हर हिटलर एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी है।” कदाचित् सर टामस ने हर हिटलर का लिखा हुआ “मीन कैफ” (Mein Kampf) नहीं पढ़ा, जिसमें वह कहता है:—

“असत्य पर विश्वास जमाने के लिए एक निश्चित साधन उस असत्य का आकार है। ... कारण कि जन सधारण का विशाल समूह अपने हृदय की पुरानी सिधाई में एक छोटे असत्य की अपेक्षा एक बड़े असत्य का जल्दी शिकार बन जाता है।”

अन्य पार्लिमेटी अनुदार सदस्य भी आगे वाले योरोपीय युद्ध के भय से विलक्षुल वेफिक थे और मध्य योरोप में जनतत्र शासन के नाश को बुरान समझ कर उसी रास्ते पर अपने देश को भी चलने के लिए सलाह दे रहे थे। उदाहरणार्थ सन् १९३४ में सर आर्नल्ड विल्सन नामक एक अनुदार-पक्षीय पार्लिमेट के सदस्य ने जर्मनी के सम्बंध में अपने विचार रेडियो द्वारा प्रकट किये थे। इस पर ‘मैंचेस्टर गार्जियन’ पत्र की टिप्पणी इस प्रकार निकली थी :—

“नवीन शासन का यह गुण-गान आज तक हमने जो कुछ सुना था उसमें सब से चोखा निकला। सर आर्नल्ड विल्सन को कही एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो असतुष्ट हो। × × जो कुछ उन्होंने सिद्ध करना चाहा वह यह था कि जर्मनी में सैनिकता कही भी नहीं है।... अंग्रेज श्रोताओं पर उनकी इस सलाह का कदाचित् कुछ भी प्रभाव न पड़ेगा कि हमें जर्मन पद्धति का अव्ययन करके और

उसे काट-छाँट कर स्वयं अपने काम में लाना चाहिए।—(मई २४, १९२४)।

सन् १९३५ में भी, जिस समय जर्मनी का शस्त्रीकरण बहुत कुछ आगे बढ़ चुका था, सर आर्नल्ड को सम्राज्य के लिए भय की कोई संभावना नहीं दिखाई दी :—

“अपनी निज की जर्मन यात्राओं से उन्हे यह धारण हो गयी थी कि किसी भी बड़े राष्ट्र से हमारे लिए युद्ध की इतनी कम संभावना नहीं है जितनी जर्मनी से।”—३ री मई सन् १९३५ के टाइम्स नामक पत्र से उद्धृत ।

म्यूनिक का समझौता हो चुकने के बाद भी आर्नल्ड विल्सन हमें यही समझाते रहे कि “वह इस बात पर विश्वास नहीं करते कि जर्मनी की नीयत बृटेन अथवा बृटिश सम्राज्य से मुकाबला करने की है।” और दिसम्बर सन् १९३८ में उन्होंने यह भी कहा कि जर्मनी को समझौते के तौर पर उसके पुराने उपनिवेश वापस कर देने चाहिए।

यहाँ तक कि जिस समय चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन सेना का अधिकार हो जाने के कारण समस्त इगलिस्तान में प्रतिवाद का एक तूफान सा उमड़ उठा था और म्यूनिक समझौते के पक्षपातियों तक के नेत्र खुल गये थे, उस समय भी कितने अनुदार-पक्षीय लोग यही राग अलाप रहे थे कि हिटलर की नीति से इस देश (अर्यांत् इंग्लैड) को कोई भय नहीं है। मिस्टर एनीसले सोमरविल (Annesley Somerville, Conservative M. P.) ने कामन्स सभा की एक बहस में, जो चेकोस्लोवाकिया पर जर्मन अधिकार हो जाने के बाद ही की गयी थी, इस प्रकार कहा था :—

“हमें चाहिए कि हिटलर को हम जितना वह दक्षिण-पूर्वीय योरोप में आगे बढ़ सकता है बढ़ने दें। व्यापार में हमारा हिस्सा फिर भी बना रहेगा इससे निश्चय है कि उसके मार्ग में विरोध और कठि-

नाइयाँ स्वयं बढ़ जायगी। कितु जितना ही अधिक हम उसका विरोध करेंगे उतना अधिक उसका विरोध कमज़ोर पड़ जायगा।”

एक दूसरे अनुदार सदस्य मिस्टर एस० एस० डे चेयर ने भी इसी अवसर पर कहा था :—

“मेरा ऐसा ख्याल नहीं है कि हिटलर का इरादा इस देश की हृक्षमत से मुकाबला करने का है।”— मार्च १५ सन् १९३८ को होने वाली कामन्स सभा की वहस में।

२४ फरवरी सन् १९३७ को एक मज़ोदार रस्म-अदाई की गयी थी। इसमें “जर्मन राजदूत ने चमड़ा वेचने वालों की कम्पनी के ओर से सर क्लॉड हॉलिस (Sir Claude Hollis, G. C. M. G., C. B. E.) द्वारा अप्रिंत किये गये एक झड़े को स्वीकार किया था। इस रस्म-अदाई में फेलोशिप के चेयरमैन लार्ड माउन्ट टेम्पल का भी पूरा सहयोग था।”

ऊपर जिस ‘फैलोशिप’ का उल्लेख किया गया है वह एख्लो-जर्मन फैलोशिप है। सर टामस मोर एम० पी०, लार्ड रोडिसडेल तथा लार्ड माउन्ट टेम्पल सभी इस सख्या के मेम्बर हैं।

“एख्लो-जर्मन फैलोशिप की उत्पत्ति नाजी शासन की स्थापना के बाद हुई है और न्यूनाधिक रूप में वह पुरानी एख्लो-जर्मन सोसाइटी का स्थानापन्न है, जिसके अध्यक्ष लार्ड रीडिंग थे। नाजी-विद्रोह के पश्चात् इसका काम-काज सबै बद हो गया था। इसके अग्रेज सदस्यों में श्रीयुत् अर्नेस्ट टेनेन्ट हैं, जो उतके एक अवैतनिक मत्री हैं, तथा मार्केंस आफ क्लाइज्सडेल और कई एक सिटी वैकर हैं, जिनमें मिस्टर सैम्युल गाइनेस का भी एक नाम है।”—‘इवनिंग स्टैन्डर्ड’ (नवम्बर २८, सन् १९३५)।

पुरानी एख्लो-जर्मन सोसाइटी के बंद हो जाने का कारण यह था कि नाजी पक्ष इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था और इसके कितने ही सदस्य भी हिटलर के तरीकों को पसद नहीं करते थे।

अब उसके स्थानापन्न ऐंग्लो-जर्मन फेलोशिप के उद्देश्य इसके वार्षिक रिपोर्ट में इस प्रकार वतलाये गये हैं:—

“यह बात ठीक है कि ऐंग्लो-जर्मन फेलोशिप का कार्य राजनैतिक दलवदी से विलुप्त अलग है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों जातियों में भ्रातृभाव की वृद्धि करना ही है, किन्तु फिर भी उद्देश्य चाहे जितना आराजनैतिक हो, परंतु उसकी पूर्ति का महत्वपूर्ण परिणाम उसकी नीति पर पड़ना अवश्यंभावी है।”

इसी की प्रतिसहयोगी संस्था, जो जर्मनी से स्थापित है, अग्रेंजी सदस्यों को दावते दिया करती है और साथ ही उन्हे “उस आन्दोलन के समझने म सहायता देती है, जो इस समय जर्मनी के जीवन को एक नये सचिं में ढाल रहा है और उन्हे यह दिखाना चाहती है कि वहाँ के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किस प्रकार की सुधार करने वाली शक्तियाँ इस समय काम कर रही हैं।”

न्यूज रिव्यू (News Review) अपने एक लेख में उक्त फेलोशिप के अग्रेंजी सदस्यों का वर्णन इस प्रकार करता है:—

“..... (ये सदस्य) बड़े-बड़े बृष्टिश व्यवसायपतियों के प्रसिद्ध नेता हैं, जिनका यह दावा है कि हिटलर का पक्ष न्याय की दृष्टि से “लाजवाब” है, और जिन्होंने लदन में बड़े-बड़े अमीरी ढग पर सुसज्जित हड्डी भी खोल रखे हैं, जहाँ नाज़ीवाद का प्रचार किया जाता है, तथा जर्मन राष्ट्रीय-समाजवाद (National Socialism) के मन्त्रियों को दावतै दी जाती हैं।”

—२३ जनवरी १९३६।

लार्ड लंडनडरी अपनी पुस्तक ‘हम और जर्मनी’ ('Ourselves and Germany) की भूमिका में अपने लिए लिखते हैं:—

‘पाँच साल से अधिक हुए जव से और विशेषकर सन् १९३५ से जव मैंने वायुमंत्री (Air-ministry) के पद से इस्तीफा दिया

था, मैं इस देश (अर्थात् इंग्लैड) के लोगों को बराबर समझाता रहा कि जर्मनी और उसकी समस्याओं के विषय में समझदारी से काम करना चाहिए । ”

नाजी और फासिस्ट सरकारों ने अपनी अपनी प्रजाओं को अन्य देशवासियों के समर्क से बिल्कुल अलग कर रखा है । जब से नाजी-शासन का प्रारम्भ हुआ, वैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययन सम्बंधी अनेक स्थानों, शाति-परिषदों तथा अन्य सभी प्रकार की सभाओं ने अपनी-अपनी जर्मन शाखाएँ और सहयोगी समितियाँ तोड़ दी । बात यह है कि वाह्यजगत् से किसी भी प्रकार के सम्बंध के लिए, जिसपर नाजी सरकार का आधिपत्य नहीं है, जर्मन में मनाही कर दी गयी है । कितु ऐंग्लो-जर्मन फेलोशिप से नाजी सरकार की विशेष सहानुभूति है, कारण कि इस स्थान में नाजी दल के ऐसे-ऐसे बड़े और प्रसिद्ध नेता मेहमान रहा करते हैं, जैसे—हर बान रिवेनट्राप, फील्ड मार्शल वान ब्लाम वर्ग, हरवान शैमर अन्ड ओस्टन (Herr Von Tschammer-und Osten); डाक्टर अन्स्ट वोर्मान इत्यादि ।

वहले में फेलोशिप के भी अनेक सदस्य नाजी नेताओं के यहाँ मेहमान रह चुके हैं । उदाहरणार्थ लार्ड लडनडरी ही जर्मनी में कई चार जाकर हिट्लर और जेनरल गेरिंग (Goering) के मेहमान रहे हैं । इनके अतिरिक्त जिन सदस्यों ने हिट्लर से भेट की है इनमें लार्ड माउन्ट टेम्पल, सर वैरी डामवाइल, लार्ड ब्रेकेट, लार्ड स्टम्प, लार्ड मैकगाउन तथा लार्ड लोथियन के नाम भी गिनाये जा सकते हैं ।

अख्तु, उक्त स्थान का दो जातियों में भ्रातृभाव उत्पन्न करने का उद्देश्य मुख्यतः नाजी दल और अनुदार दल के कुछ नेताओं एवं च्यवसाय-पतियों के भ्रातृभाव में फलता-फूलता दिखाई पड़ता है ।

नाजी पक्ष ऐंग्लो-जर्मन फेलोशिप के साथ क्यों इतनी अधिक सहानुभूति रखता है यह जानना कठिन नहीं । सब से पहले तो फेलोशिप

यद्यपि अपने किसी नियम द्वारा नाज़ी सरकार की वाह्य अथवा आन्तरिक नीति का समर्थन करने के लिये वाध्य नहीं है, फिर भी वह उसके लिए इंग्लिस्तान में एक ऐसा व्याख्यान-मच प्रयुक्त करता है, जहाँ से नाज़ी दल के नेतागण अपने सिद्धांतों का प्रचार कर सके और अपनी शासन-पद्धति के लिए बृटिश जनता की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। इसके १९३६-३७ के वार्षिक रिपोर्ट को तथा दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रिपोर्टों को देखने से पता चलता है कि समय-समय पर इस संस्था ने इंग्लैड में अनेक नाज़ी नेताओं के लिए सभाएँ संघटित की हैं और व्याख्यान कराये हैं। साथ ही अग्रेज सदस्य भी जब-जब जर्मनी की सभाओं में गये हैं तो वहाँ हिट्लर, गेरिंग तथा अन्य नाज़ी नेताओं द्वारा उनकी आवभगत की गयी है।

दूसरा कारण इसके साथ नाज़ी सहानुभूति का यह है कि जर्मनी में नाज़ी पक्ष का प्रचार करने के लिए भी ऐरलो-जर्मन फ़्लोशिप के सदस्यों के नाम से लाभ उठाने का अवसर मिलता है। उदाहरणार्थ, सन् १९३८ में नाज़ी वार्षिकोत्सव के समय पर प्रसिद्ध जर्मन पत्र Berliner Tageblatt में बृटिश नेवल इन्टेलिजेन्स के डाय-रेक्टर सर बैरी डामविल तथा मार्क्स स आफ़ लडनडरी के बधाई सवांदछापे गये थे। स्वयं वान रिवन ट्राप ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जर्मनी को राजनैतिक क्षेत्र में ऐरलो जर्मन फ़्लोशिप से अत्यधिक सहायता मिली है।

नाज़ी सरकार को यह कहने का अवसर मिल गया है कि उसके पुराने उपनिवेशों को लौटाने का समर्थन कितने ही इंग्लैड तक के नेता कर रहे हैं और इसी दलील से वह बृटिश सरकार पर भी बराबर अपना दबाव डालने का प्रयत्न करती रही। जिन अग्रेज नेताओं के नाम से वह लाभ उठा रही थी, वे अनुदार पक्ष के पार्लिमेंटी सदस्य एवं नवाब-मडली के ही लोग थे।

अब ऐंग्लो-जर्मन फेलोशिप का कुछ विशेष वृत्तात देने एवं उसके संदर्भों की सूची प्रकट करने के पूर्व हम यह बतला देना चाहते हैं कि यह सस्था इंग्लिस्टान में अपने ढग की केवल एक ही सस्था नहीं है। वस्तुतः इस देश में इस प्रकार की सस्थाओं की एक पूरी माला सी दिखाई देती है, जिनमें से यह भी एक है। अवश्य ही इसका स्थान सब से ऊँचा है, किंतु फिर भी स्थिति को पूरी तौर से समझने के लिए कुछ अन्य सस्थाओं के भी नाम दे देना आवश्यक जान पड़ता है निम्नलिखित सस्थाओं के नाम विशेष उल्लेख-योग्य जान पड़ते हैं:—

- (१) ऐंग्लो-जर्मन केमरेड शाफ्ट (Anglo-German Kamerad Schaft);
- (२) ऐंग्लो-जर्मन सर्किल (Anglo-German Circle).
- (३) ऐंग्लो-जर्मन एकेडमिक ब्यूरो (Anglo-German Academic Bureau),
- (४) दि लिंक (The Link).

इनमें सब से अधिक महत्वपूर्ण सस्था 'दि लिंक' है।

"..... एडमिरल सर वेरी डामविल, जो कि हर हिट्लर, हर वान रिवनट्राप, हर हिमलर तथा नवीन जर्मनी के अन्य नेताओं के दोस्त हैं, इस समय अपनी व्यक्तिगत मित्रता को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी से इसका नाम 'लिंक' (कड़ी) पड़ा। लिंक का निर्भाण कई महीनों तक होता रहा। सर वेरी डामविल हिट्लर के यहाँ दो बार मेहमान रह चुके। अभी एक सत्ताह के लिए वह हर हिमलर के साथ हरिणों का शिकार खेलने गये थे।

"परिणाम यह हुआ कि केवल इंग्लैंड में ही इस सस्था का जोर नहीं बढ़ा, बल्कि जर्मनी में भी एक सस्था इसी ढग की कायम कर दी गयी है।

अब सयुक्त रूप से राजसिंहासन पर बैठाये गये। इस प्रकार राजा पर पार्लीमेट की यह दूसरी जबर्दस्त जीत हुई। इसके बाद फिर किसी राजा को आज तक पार्लीमेट के अधिकार और शक्ति पर शका या प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। देश में अब निर्विवाद रूप से पार्लीमेट का ही एकाधिकार स्थापित हो गया।

किन्तु यह पार्लीमेट उन दिनों जैसी थी और जिस ढग से इसका चुनाव किया जाता था उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसे प्रजा की प्रतिनिधि-स्थान के नाम से नहीं पुकार सकता। वास्तव में वह प्रजा के एक बहुत ही सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। अभी सौ वर्ष से कुछ ही ज्यादा हुए जब इंग्लैण्ड ने 'जेवी निर्वाचन क्षेत्रों' (Pocket-boroughs) की कमी न थी। ये निर्वाचन-क्षेत्र ऐसे होते थे, जिनमें एक या दो से ज्यादा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। कहते हैं सन् १७६३ई० में हाउस आफ कामन्स के ३०६ मेम्बरों को केवल १६० आदमियों ने चुना था। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि प्रजावर्ग के अधिकाश आदमियों को पार्लीमेट के निर्वाचन में उस समय कुछ भी अधिकार न था। लार्ड्स सभा में तो लार्ड उपाधिधारी वडे-वडे सामत-जमीदार और पादरी लोग थे ही, किन्तु कामन्स सभा में भी अधिकतर सदस्य प्रभावशाली जमीदार और र्डिस ही लोग हुआ करते थे। गरीबों और मध्यश्रेणी वालों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता था। चुनाव में वैर्डमानी और रिश्वतदाजी का बाजार भी उस समय चूब गर्म था। अन्त में प्रजा के बहुत दिनों तक आनंदोलन करते रहने पर सन् १८३२ई० में एक सुधार कानून पास किया गया, जिससे निर्वाचकों की सख्ता में बढ़ की गयी। आगे चल कर नमय-न्समय पर यह मंख्या और अधिक बढ़ायी गई और अब इस नमय वहाँ पार्लीमेट के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रत्येक वालिग न्ती और पुरुष को प्राप्त हो गया है।

“दि लिंक ... सर वैरी डामविल की पैदा की हुई चीज है। वही इसके जन्मदाता और अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने मुझसे कहा था कि इंग्लैंड में यद्यपि ऐच्जो-जर्मन संस्थाएँ बहुत सी हैं, किन्तु उनके आपस में कोई सहयोग नहीं दीखता। यही कारण है कि हममें से कुछ लोगों को एक ऐसी संस्था स्थापित करने की आवश्यकता जान पड़ी जो वास्तव में लूकप्रिय हो। ... लगभग एक हजार सदस्य तो हमारी इसी सभा के अब तक हो चुके हैं और इसकी शाखाएँ भी बर्मिंघम, साउथेन्ड, चेल्सी, तथा बेजवाटर में खुल गयी हैं। इनके अतिरिक्त और भी शाखाएँ वेल्फ़ास्ट, क्रायडन, मालन, अक्सफोर्ड, एबर्डीन तथा केपटाउन में खुलने जा रही हैं।

“हमें आशा है कि लंदन तथा देश के अन्य भागों में स्थित जर्मन लोग इस सभा के सदस्य हो जायंगे। इससे वे अग्रेज़ सदस्यों के साथ सामाजिक उत्सवों में, व्याख्यानों में तथा सिनेमा में मुलाकात कर सकेंगे।

“... हर हिटलर स्वयं इस आन्दोलन में अत्यंत दिलचस्पी रखते हैं।”

—आव्सर्वर (Observer), २८ नवम्बर सन् १९३७।

यह सर वैरी डामविल साहब अभी सेन् १९३६ में ही सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं। इसके पहले यह निम्नलिखित पदों पर काम कर चुके हैं:—

(१) कमिटी आफ़ इम्पीरियल डिफेन्स के उपमन्त्री, १९१२ से १९१४ तक।

(२) डायरेक्टर आफ़ नेवल इन्टेलेजेन्स, १९२७-३०।

(२) वार कालेज में कमाडिंग वाइस-ऐडमिरल, १९३२-३४।

इस समय यह ‘दि लिंक’ के चेयरमैन हैं। अन्य सदस्यों की नामावली इस प्रकार है:—

(१) सर रेमन्ड बीजले वाइस चेयरमैन ।

(२) लार्ड रेडिसडे

(३) लार्ड सेम्पिल

(४) सी० ई० कैरोल

(५) प्रो० ए० पी० लारी

(६) ए० ई० आर० डायर

(७) आर्किबाल्ड क्राफर्ड

} कौसिल (कार्य कारिणी)
के मदस्य ।

ऊपर जिन कौसिल के सदस्यों का नाम लिखा गया है वे सब ऐंग्लो-जर्मन फेलोशिप के भी मेम्बर हैं। मिस्टर सी० ई० कैरोल 'ऐंग्लो-जर्मन रिव्यू' (Anglo-German Review) के सम्पादक भी हैं, जो 'दि लिंक' का सुख-पत्र है और जिसका भुकाव सदैव नाजी पक्ष की ही ओर दिखाई देता रहा है, तथा जिसे जर्मन विज्ञापन-दाताओं से भी भरपूर सहायता मिलती रही है। यह पत्र हिट्लर और जर्मन-पत्रकारों का पक्ष लेकर वृद्धिश राजनीतिज्ञों को सदैव खरी-खोटी सुनाता रहा। चर्चिल माहव को भी इसने दुनिया का "निश्चयात्मक रूप से सब से भारी युद्ध-व्यसायी" बतलाया। अन्थनी एडेन साहव के विषय में इसने कहा था कि "परराष्ट्र-सचिव-पद के लिए यदि सब से दुर्भाग्य पूर्ण चुनाव किसी व्यक्ति का आज तक किया गया है तो वह इन्हीं का है।"

जनतत्रवादी स्थानीयों पर इस पत्र का बुरी तरह से आक्रमण होता रहा। चेकोस्लोवाकिया के प्रश्न पर साइनर मुसोलिनी ने एक बार कहा था :—

“मुझे विश्वास नहीं कि योरोप एक सड़े अंडे को पकाने के लिए अपने घर में आग लगा देगा।”

सड़े अंडे से यहाँ तात्पर्य चेकोस्लोवाकिया का है। इस कथन को उक्त पत्र ने ‘सुंदर विचार’ शीर्षक देकर छापा था और इसे ‘महीने का सबसे शुद्ध भावनापूर्ण विचार’ बतलाया था। डाक्टर बीनिस (Dr. Benes) पर इस पत्र की विशेष कृपा होती रही और उन्हे यह अपनी गालियों और कट्टियों से सदा ही सन्मानित करता रहा। यह डाक्टर बीनिस वही महापुरुष थे, जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया जनतत्र-शासन की नौका को उस समय भी सुरक्षित रखा था, जिस समय अन्य मध्य योरोपीय देशों में तानाशाही स्थापित हो चुकी थी।

सन् १९३८ में यह पत्र लिथुआनिया के विश्वद जर्मन मॉगों का समर्थन कर रहा था। अमेरिका की भी इसने म्युनिक-काड के समय उसकी उचित सलाह के लिए हँसी उड़ाई थी तथा लार्ड वाल्डविन ने जिस समय जर्मन यहूदियों और अन्य भागे हुए लोगों के पक्ष में अपनी अपील प्रकाशित की थी तब इसने उनकी भी खबर ली थी। दिसम्बर सन् १९३८ में इसने अनेक ऐसे लेख विशेषज्ञों से लिखवा कर प्रकाशित किये जिनके द्वारा इंग्लिस्तान के पत्रों और भाषणों की स्वतंत्रता पर ताला लगाने की सिफारिश की गयी थी। एक लेख में मेजर जेनरल सर वाइन्डम चाईड्स (Major-General Sir Wyndham Childs) ने कुछ ऐसी विधियों तज्वीज की थीं जिनसे योरोपीय डिक्रू'टरों के विश्वद आक्षेप करने के लिए अंग्रेजी पत्रों पर मानहानि का कानून प्रयुक्त किया जा सकता था। जन-तंत्रवाद पर तो इस पत्र का आक्रमण खुल्लमखुल्ला और सर्वद्वारा तरह ने रोता रहा। राष्ट्र सभा (League of Nations) के समव्यव से इसने लिखा था :—

“राष्ट्र संघ स्थापन की कल्पना कुछ ऐसे ‘विचारवानों के

मस्तिष्क की उपज थी जो वृद्धेन और अमेरिका की दुर्भाग्यमूर्तियाँ कहे जा सकते हैं।'

कामन्स सभा के अनेक अनुदारपक्षीय सदस्यों ने ऐरलो-जर्मन रिव्यू का पक्ष-समर्थन करने और उसकी जर्मनी के साथ समझौते वाली नीति की प्रशसा करने के लिए अपने अपने सदेश भेजे थे, जिनमें से निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं :—

- (१) जाफ्रे हचिन्सन (Mr. Geoffrey Hutchinson),
- (२) टामस मैग्ने (Mr. Thomas Magnay);
- (३) सर हेनरी पेज क्राफ्ट (Sir Henry Page Croft),
- (४) सर जे वार्डला-मिल्ने (Sir J. Wardlaw-Milne);
- (५) मिस थेल्मा कैजलेट (Miss Thelma Cazolet),
- (६) सर टामस मोर (Sir Thomas Moore),
- (७) सर अर्नेस्ट बेनेट (Sir Ernest Bennet);
- (८) कैप्टन ए० एच० एम० रैम्जे (Capt. A. H. M. Ramsay),

- (९) सर फ्रैंक सैडर्सन (Sir Frank Sanderson),
- (१०) सर जे० स्मेडली क्रूक (Sir J. Smedley Crook),

इनके अतिरिक्त लार्ड स सभा के भी बहुत से सदस्य इनमें शामिल थे।

ऐरलो-जर्मन रिव्यू का मुद्रण और प्रकाशन लिक हाउस, स्ट्रैन्ड, लन्दन (W C 2) से हुआ करता है।

इस प्रकार एक और तो वृद्धिश सरकार नाजी शक्ति का मुकाबला करने के लिए प्रचड़ सैनिक तैयारियाँ कर रही थीं और दूसरी ओर उग्रके किंतने ही अनुदार नेता ऐसी-ऐसी संस्थाओं के सदस्य बने हुए थे तथा उनकी नहायता करते थे, जो इंग्लिस्तान में नाजीवाद का प्रचार करने के लिए नव प्रकार के साधन प्रयुक्त कर रही थीं।

ऐरलो जर्मन फ़ेलोशिप, जैसा कि पहिले लिख आये हैं, इस प्रकार की सस्थाओं में सब से महत्वपूर्ण सस्था है। इसकी सभाओं द्वारा बड़े-बड़े नाज़ी नेता जर्मनी की वाह्य और आतंरिक नीति की खूबियों का इस्लिस्तान में प्रचार किया करते थे।^{*} उनके लेखों और ग्रथों की भी इसी सस्था द्वारा इस्लिस्तान में प्रसिद्ध की जाती थी। फ़ासिस्ट फ़िल्मों का भी प्रदर्शन होता था। तथा “जर्मन शिक्षा-विशारदो” का व्याख्यान भी अग्रेज़ अध्यापकों के लिए कराया जाता था। न्यूरंग-वर्ग के नाज़ी कॉग्रेस में इस सस्था के तमाम सदस्यों को निमात्रत किया जाता था।

हाउस आफ कामन्स के अनुदार पक्षीय सदस्यों में से तीन व्यक्ति इस सस्था की कार्य-कारिणी काउन्सिल के मेम्बर और लगभग २५ व्यक्ति इसके साधारण मेम्बर हैं। हाउस आफ लार्डस के सदस्यों में तो इन मेम्बरों की सख्ती और भी अधिक है। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य नवाबी घरानों के आदमी भी इस सस्था के मेम्बर हैं। लार्ड हलीफक्स[†] भी इस सस्था में अतिथि रूप से रह चुके हैं।

उपरोक्त सदस्यों में से अधिकाश बड़े-बड़े व्यवसायपतियों, ताल्लु-केदारों, जमीदारों एवं बृटिश नवाबों के ही नाम हैं। इससे केवल उक्त सस्था को शाक्त की विशालता ही नहीं प्रकट होती, बल्कि यह भी विदित होता है कि बृटिश समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जो नाज़ी पक्ष का मित्र है और जिसके लिए उक्त सस्था एक सघटन-द्वेष तैयार कर रही है।

*नोट—जब जर्मनी के साथ युद्ध छुड़ जाने के कारण यह प्रचार-कार्य स्वभावत् वद है।

[†] यह लार्ड हलीफक्स वही है जो भारतवर्ष में लार्ड अर्विन के नाम से पहिले वाईसराय रह चुके हैं।

नाजी पक्ष का खुल्लमखुल्ला समर्थन करने वाले केवल मुद्दी भर ही अग्रेज हैं, किंतु म्यूनिक की समझौते वाली सरकारी नीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि इन्ही मुद्दीभर लोगों का अग्रेजी हुक्मत पर कितना जवर्दस्त प्रभाव है। अधिकाश अनुदार-पक्षीय पार्लिमेट के सदस्यों ने भी इस सरकारी नीति का समर्थन कर के प्रकट कर दिया कि वास्तव में वे भी इन्ही मुद्दी भर लोगों की विचारशैली के अनुकरण करने वाले हैं। केवल २० अनुदार सदस्य ऐसे थे जो इस प्रश्न पर कामन्स सभा में वोट लिये जाने के समय तटस्थ रहे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी थे, जिनको फासिस्ट शत्रु की कृपादृष्टि की अपेक्षा साम्राज्य-रक्षा की ही अधिक चिता थी।

अनेक अनुदार सदस्य केवल जर्मनी के ही नहीं, बरन् उसके मित्रों के भी हिमायती हैं। ये मित्र इटली, जापान, और फ्रांको-शासित स्पेन हैं। इन्ही पर जर्मनी को सब से बड़ा भरोसा है। हर हिटलर का कहना है कि “वह मित्रता, जिसका उद्देश्य भावी युद्ध न हो, बिल्कुल अर्थहीन और अनुपयोगी है। अस्तु, प्रकट है कि रोम, वर्लिन और टोकियो की मित्रता युद्ध में एक साथ रहने वाली मित्रता है। फ्रांकों को भी इन्होंने अपना मित्र बना रखा है, कारण कि स्पेन की भौगोलिक स्थिति वृटेन और फ्रास के लिए मार्मिक होने कारण के इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अस्तु, अनुदार पक्ष के पार्लिमेटी सदस्यों में जर्मनी के साथ-साथ इटली, स्पेन और जापान के भी हिमायती पाये जाते हैं।

उदाहरणार्थ, वार्ड काउन्ट ईशर (Viscount Esher), जो कि ऐंग्लो जर्मन फेलोशिप के भी एक सदस्य हैं, चीन पर जापानी आक्रमण का समर्थन इस प्रकार करते हैं :—

“..... जापान को अपनी व्यवसायी जनता का हितरक्षण करने के लिए एक बहुत बड़े व्यापार-द्वेष की जरूरत थी। अतएव उत्तरीय चीन के अविकास प्राप्त द्वेष की ओर उसकी दृष्टि जाना बिल्कुल स्वाभाविक था।”—दि टाइम्स, जुलाई १, १९३८।

इटली के हिमायतियो ने 'इटली-मित्रमंडल' (Friend of Italy) नामक इंग्लैड में एक अलग संस्था ही बना ली है। इस संस्था के अवैतनिक सभापति और कर्ता धर्ता सर हैरी ब्रिटेन (Sir Harry Britain) हैं, जो ऐंग्लो जर्मन फेलोशिप के भी एक सदस्य हैं। इसी फेलोशिप के एक दूसरे सदस्य लार्ड माटिसन (Lord Mattisone) ने भी हाउस आफ लार्डस में अबीसीनिया पर इटली के आक्रमण का समर्थन इस प्रकार किया था :—

"एक ओर रक्त के प्यासे करोड़ो अत्याचारी (अर्थात् अबीसीनियन) थे, जिनकी सहायता के लिए शास्त्रास्त्र भेजने का प्रस्ताव किया जा रहा था, और दूसरी ओर वह आदरणीय और दयावान (इटैलियन) सेना थी, जो अपने एक लाख या डेढ़ लाख आठमियो की उदरपूर्ति का प्रश्न सामने रहते हुए भी यह कह रही थी कि जो लोग उसकी शरण में आयेगे वे भी उसके भोजन में हिस्से पायेगे। ... यह एक बड़ी नीच बात थी कि इन झूठे और पाशवी मनुष्यो के लिए तो हथियारों की खानगी होने दी जाय और उन दूसरे लोगों के लिए इसकी मनाही कर दी जाय, जो एक अदरणीय कार्य में लगे हुए थे।"—टाइम्स २६ अक्टूबर १९३५।

एक दूसरे अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य सर आर्नल्ड विल्सन भी इसी प्रकार अबीसीनिया को इटली के हाथ में पूरी तौर से छोड़ देने के लिए जोर दे रहे थे।

जर्मनी और इटली को जो सब से बड़ी चिंता इधर कुछ वर्षों से व्याकुल कर रही थी, वह वस्तुतः कुछ नये-नये और श्रेष्ठतर जहाजी अड्डों को प्राप्त करने की चिंता थी, जैसा कि सैनिक विद्या सम्बन्धी एक जर्मन ग्रंथ (German "Handbook of Modern Science", 1936) में कहा भी है :—

“बड़ी-बड़ी नौसैनिक शक्ति राष्ट्रों की विदेशी नीति के स्थिर करने में जहाज़ी अहुओं की प्राप्ति का प्रश्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कभी-कभी निर्णयात्मक भाग लिया करता है !”

यह प्रश्न रोम-बर्लिन गुड़ की नीति को स्पेन में मुख्यतः सचालित कर रहा था एक प्रसिद्ध इटैलियन जेनरल (General Amboro-ggio Bollotti, quoted in 'Il Mediterranean', February, 1938) का स्वयं कहना है .—

“हमें स्पेनियों पर अपना प्रभाव जमा रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम भूमध्य-सागर को कदापि सुसोलिनी के शब्दों में ‘इटली की भील’ नहीं बना सकते। अस्तु, यही कारण है कि आज हम फ्रांकों की मदद कर रहे हैं।”

अग्रेजों की कुछ अनुदार मडली फ्रांकों को किसी प्रकार का लालच देकर फुसला लेने की वात सोचती है, किन्तु यह केवल उनका भ्रम ही भ्रम है। एक रोम का पत्र (Relazioni-Internazionali) अपने १२ फरवरी सन् १९३६ के अक में इस प्रकार के विचारवालों की खिल्ली उड़ा कर लिखता है :—

“जनतंत्रवादी महाशयो ! हम आनन्दपूर्वक आप को बतला देना चाहते हैं कि आपकी रिश्वत देने वाली इस आस्त्रिरी कोशिश का भी बदला हम पूरी तौर से ले लेने वाले हैं। कारण यह कि छुरी की बेट अब हमारे ही हाथ में है। स्पेन की यह विजय फ्रांसिस्ट-विजय है, यह वात तुमको सदा ध्यान में रखनी होगी।”

जर्मनी और इटली स्पेन में जाकर केवल इसलिए लड़े थे कि वहाँ वे अपनी स्थिति का सुदृढ़ कर सके और सैनिक एवं व्यापारिक दृष्टि से कुछ लाभ उठा सके। अस्तु, जो लाभ वे वहाँ प्राप्त कर चुके हैं, उसकी रक्षा के लिए भी वे अब अवश्य ही लड़े गे। बृटिश सरकार को यह वात कितनी ही बार याद रखा दी गयी थी कि अगर जनतंत्र-

बादी शक्तियाँ उस समय तक चुपचाप बैठी रहेगी जब तक कि फ्रांको स्पेन में निश्चितरूप से विजयी न हो जाय, तो फिर उस देश से जर्मनी और इटली के पैरो को उखाड़ना एक कठिन समस्या हो जायगी। इस सम्बंध में प्रोफेसर ब्रायलो (जो आक्सफ़ोर्ड युनिवर्सिटी में अन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर है), कैप्टन बी० एच० लिडेल हार्ट (जो लंदन के टाइम्स पत्र के सैनिक सवाद-दाता है), तथा मिस्टर जे० एमिलिन जोन्स (जो कार्डिक चैम्बर आफ़ कार्मस के अव्यक्त हैं) के हस्ताक्षर से जो बयान निकला था, उसमें से निम्न लिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य है :—

“एक फासिस्ट स्पेन इटली के साथ मैत्री जोड़ कर हमारे सामुद्रिक आवागमन को असम्भव नहीं तो कष्टसभव अवश्य बना देगा। उस समय जिब्राल्टर में हमारा समुद्री अड्डा कायम न रह सकेगा और इगलिस्तान से लेकर सिकन्दरिया तक, लगभग ३००० मील की दूरी में, हमारे पास एक भी समुद्री अड्डा न रह जायगा। इसके साथ ही स्पेन के पूर्वीय तटों पर स्थित तथा बेलियारिक द्वीपों के सामुद्रिक और हवाई अड्डे हमारे लिए भूमध्य सागर से होकर आने-जाने का मार्ग खुला रखने और वहाँ अपनी शक्ति को सुरक्षित रखने के काम में भारी अड़चन पैदा कर देंगे। फ्रास के लिए भी इसी तरह अपने अफ़्रीकन उपनिवेशों के साथ आमद-रफ़त कायम रखना भयपूर्ण बन जायगा। उत्तमाशा अतरीप (Cape of Good Hope) से घूम कर जो दूसरा रास्ता पूर्व को जाने वाला है वह भी उस समय खतरे से खाली न रहेगा, जब स्पेन के पश्चिमी तटों और कनारी द्वीपों की हवाई सेना और जलमग्न नौकाएँ अपना-अपना आक्रमण आरम्भ कर देंगी। उधर फ्रास को भी अपनी तीनों ओर की स्थल-सीमाओं को बचाने की चिन्ता पड़ जायगी, कारण कि उसके तीनों ओर शत्रुओं का एक घेरा सा बन जायगा। अस्तु, सैनिक दृष्टि से स्पेन का मित्र बना रहना ही हमारे लिए बाछनीय है, उसकी

तटस्थता हमारे लिए नितात आवश्यक है।

किंतु फ्राको, जो इस समय अपनी युद्ध सामग्री एवं सैनिक सहायता के लिए पूर्णतया इटली और जर्मनी पर निर्भर है, योरोपियन युद्ध के समय अपने को, इच्छा रहते हुए भी किसी प्रकार उनसे तटस्थ न रख सकेगा।”

इस प्रकार की जोखिम इग्लिश्टान के लिए जेनेरल फ्राको की विजय से होते हुए भी पार्लिमेट के कितने ही अनुदार-पक्षीय सदस्य स्पेनी युद्ध के समय फ्राको की प्रत्येक जीत का स्वागत किया करते थे और कहते थे कि :—

“हम तो ईश्वर से मना रहे हैं कि स्पेन में विजयश्री फ्रांको के ही हाथ लगे, और जितनी ही जल्दी यह विजय मिले उतना ही अच्छा है।”

—सर आर्नल्ड विल्सन एम० पी० का कथन मैंचेस्टर गार्जियन पत्र के ११ जून सन् १९३८ के अक से उद्धृत।

यही नहीं, इन अनुदार नेताओं ने फ्राको का पक्ष समर्थन करने, उसकी लोकप्रियता बढ़ाने एवं उसे सहायता देने के लिए भी इंग्लैण्ड में तीन-तीन स्थाएँ कायम कर रखी थी, जिनके नाम थे :—

- (१) राष्ट्रीय स्पेन-मित्र-मडल (Friends of National Spain),
- (२) स्पेनी वाल-स्वदेशागमन-समिति (Spanish Childrens Reparation Committee),
- (३) संयुक्त ईसाई मोर्चा (The United Christian Front);

इन स्थाओं की सचालक समितियों में पार्लिमेट के निम्नलिखित अनुदार पक्षीय नेतागण सदस्य बने हुए थे :—

- (१) कैप्टेन विक्टर कैजेलेट (Captain Victor Cazalé);
- (२) सर हेनरी पेज क्राफ्ट (Sir Henry Page Croft);

यहाँ तक तो ब्रृटिश पार्लीमेंट के जन्म और विकास का वर्णन हुआ। अब कुछ थोड़ा सा परिचय टोरी-दल का भी देना चाही है। 'टोरी' शब्द का व्यवहार इंग्लैण्ड में किसी राजनैतिक दल के लिए पहले-पहल सन् १६७८ ई० के करीब किया गया था। उस समय राजा और पार्लीमेंट के मगड़े में जिन लोगों ने राजा का साथ दिया था उन्हीं के समूह को टोरी दल का नाम मिला था। ये लोग वे थे जो राजा की दरबारदारी किया करते थे और जिन्हे राजा की ओर से जमीन, जायदाद, ऊँची-ऊँची पदवियाँ और सनदें प्राप्त थीं। इस प्रकार प्रायः तमाम बड़े-बड़े खानदानी सामंत, सर्दार, पदवीधारी रहेंस और ताल्लुकेदार लोग इसी टोरी दल के सदस्य दिखाई देते थे। ये राजा के ईश्वर-दत्त अधिकारों का समर्थन करते थे और प्रायः सभी प्रकार के राजनैतिक परिवर्तनों के विरुद्ध थे। जो लोग इन विचारों को नहीं मानते थे और इनके विरोधी थे वे 'व्हिंग पार्टी' (Whig Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार पार्लीमेंट के तमाम सदस्य 'व्हिंग' और 'टोरी' दो दलों में विभक्त हो गये थे।

सन् १८३२ के सुधार कानून के समय इन दोनों दलों का नाम बदल दिया गया। टोरी दल अपने को 'कन्जर्वेटिव पार्टी' (Conservative Party) के नाम से पुकारने लगा और हिंग पार्टी का नाम 'लिबरल' (या 'उदार') पार्टी पड़ गया। आगे चल कर सन् १८८५ ई० में कन्जर्वेटिव पार्टी, का नामकरण फिर से किया गया। उस समय प्रधान मंत्री मिस्टर ग्लैड्स्टन के होमरुल बिल का विरोध करने के लिए कुछ उदार दल वाले अपने दल से अलग होकर कन्जर्वेटिव दल वालों के साथ जा मिले थे। अतएव अब उस दल का नाम कन्जर्वेटिव दल के बजाय 'थूनियनिस्ट दल' रखा गया। इसके पश्चात् वीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही एक तीसरा दल राजनैतिक द्वेत्र में उत्तरा। इसका नाम 'लेबर पार्टी'

- (३) मिस्टर ए० टी० लेनक्स-बायड (Mr. A. T. Lennox Boyd);
- (४) मि० आर० ग्राट फेरिस (Mr. R. Grant Ferris);
- (५) सर नायर्ने स्टुअर्ट सैन्डमैन (Sir Nairne Stewart Sandman);
- (६) मि० अल्फ्रेड डेनविल (Mr. Alfred Denville);
- (७) कैप्टे० ए० एच० एम० रैम्जे (Capt. A. H. M. Ramsay),
- (८) वाईकाउन्ट वुल्मर (Viscount Walmer);
- (९) लेफ्ट० कर्नल सी०, आई० कर्र (Lt.-Col. C. I. Kerr);
- (१०) कैप्टेन जे० एच० एफ० मैक् ईवेन (Capt. J. H. F. McEven);
- (११) वाईकाउन्ट कैसलरीग (Viscount Castlereagh);

किंतु जेनरेल फ्राको के प्रति पार्लिमेंटी सदस्यों की सहानुभूति केवल इन्ही व्यक्तियों तक सीमित नही है। अनुदार दल में इस प्रकार के लोगों की एक काफी अच्छी संख्या मौजूद है। उदाहरणार्थ हेनरी चैनन (Mr. Henry Channon) नामक एक अनुदार सदस्य का एक सभा में कहना था—

“फ्राको का मैं स्वय एक जबर्दस्त पक्षपाती हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसी की जीत हो।”

जार्ज बाल्फोर नाम के एक दूसरे अनुदार-पक्षीय नेता ने भी कहा था—

“स्पेन के लिए फ्राको एक बड़ा भारी काम कर रहा है।”

इसी प्रकार ए० सी० क्रासली, सर अल्फेड नाक्स, पैट्रिक डोनर आदि अनेक अनुदार सदस्यों के भी वयान दिये जा सकते हैं। इन सब पर जर्मन और इटैलियन लेखकों के सिहनाद, जेनरल फ्राको और उसके अधीनस्थ सेनापतियों के भाषण, तथा स्वयं इंग्लैंड के विशेषज्ञों की चेतावनियाँ तक अपना कुछ असर पैदा न कर सकीं। स्वदेश और स्वराष्ट्र की हितचिंता इनकी प्रतिक्रियात्मक चित्तवृत्ति की कठोरता के सामने बिल्कुल लाचार थी।

बृंश सरकार स्पेन के गृहयुद्ध में अपनी नितान्त तटस्थता का विजापन करती फिरती थी और इधर उसके चड्डे-चड्डे इस तटस्थता को ताक पर रखकर फ्राको का पक्ष समर्थन करने में लगे थे और उसकी जय जयकार मनाया करते थे।

प्रतिक्रियात्मक स्वार्थ ने राजनैतिक बुद्धि को बिल्कुल अधा कर दिया था, नहीं तो यह असभव था कि ये राजनैतिक नेता इटली के प्रमुख व्यक्ति जेनरल एटोर ग्रासेटी (General Ettore Grassetto) के निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान में न लाते, जो उसने मिलन-विश्वविद्यालय के एक सैनिक भाषण में कहा था:—

“सार्डीनिया और सिसली के पश्चिमी समुद्र तटों के साथ वेलियारिक द्वीपों की प्रणाली हमारे हाथ में एक ऐसी शक्ति दे देती है जिससे अग्रेजों की जिव्राल्टर-माल्टा प्रणाली बिल्कुल बेकार हो जाती है। इस प्रकार पामा दि मेजारिका (Pama de Majororca) में इटली का प्रभाव और मलीला (Melilla) तथा स्यूटा (Ceuta) में जर्मनी का प्रभाव एक साथ मिलकर रोम-वर्लिन-गुड़ की तकात को पश्चिम भूमध्य सागर तक फैला देते हैं, जिससे बृंश प्रणाली की नस अपने मूलस्थान जिव्राल्टर में ही कट जाती है। ”

पार्लिमेंट के एक अनुदार सदस्य कैप्टेन विक्टर कैजलेट Captain Victor Cazalet M. P.) ने फ्राको को “हमारे पक्ष का वर्तमान नेता” कह कर पुकारा था। किंतु फ्राको जिस पक्ष का

प्रतिनिधि है वह वास्तव में हिट्लर और मुसोलिनी का पक्ष है। बृटेन हिट्लर और मुसोलिनी को अपना शत्रु समझता है, किंतु ये अनुदार नेता उनके पक्ष को स्वयं अपना पक्ष मानते हैं।

बृटिश सरकार की ओर से यह कभी नहीं कहा गया कि “हम फ्रांको के हिमायती हैं”। वह केवल यही कहती आयी है कि ‘फ्रांको के विरुद्ध स्पेनी प्रजातंत्र को सहायता देना हमारे लिए भयजनक होगा।’ इसी प्रकार उसने यह भी कभी नहीं कहा कि ‘हम हिट्लर के सहायक हैं।’ केवल यही कहती आयी कि “‘चेकोस्लोवाकिया का पक्ष लेना हमारे लिए ख़तरे का काम है।’” किंतु बहुत से अनुदार-पक्षीय पार्लिमेंट के सदस्य इस प्रकार बुमाव-फिराव वाली बातें न कह कर बिल्कुल साफ़-साफ़ यह कह रहे थे कि ‘‘हम हिट्लर, मुसोलिनी और फ्रांको के सहायक हैं’’; और फिर भी वे ऊँचे-ऊँचे सरकारी ओहर्डों पर बैठा दिये जाते थे तथा उपाधियों से विभूषित किये जाते थे। इस प्रकार उनके कहे हुए शब्द सरकारी दावे को बिल्कुल झूठा सिद्ध कर देते हैं और सरकारी नीयत की भी असलियत बतला देते हैं।

चेकोस्लोवाकिया बृटेन और फ्रांस का एक मित्र था, किंतु आज वही नाजी जर्मनी का एक ढुकड़ा है। उसकी सेना में १,८०,००० सिपाही हर समय तैयार रहते थे और युद्ध के समय उसकी संख्या अनिवार्य सैनिक-भर्ती के द्वारा साढ़े बारह लाख तक पहुंचाई जा सकती थी। एक हजार से अधिक उसके पास लड़ाकू और बम बरसाने वाले हवाई जहाज़ भी थे और शब्दात्म के कारखाने तो उसके पास इतने जर्दर्दस्त थे कि इटली के कारखानों से वे तिगुने बड़े कहे जा सकते थे। म्यूनिक समझौते के पहिले ये सब बृटेन और फ्रास के लिये भली भाँति काम में लाये जा सकते थे, किंतु आज वही जर्मन सेना की शक्ति को बढ़ा रहे हैं। ‘शूबर लाइन’ (Schoeber Line) की किलेबन्दी, जिसमें ८,०००,००० पौंड का व्यय किया गया था, अब जर्मनी के राज्यात्मगत है, प्रसिद्ध स्कोडा का फौजी कारखाना जर्मनों के हाथ में है,

और रासायनिक वस्तुओं को तैयार करने वाला वह कारखाना भी, जो योरोप का दूसरा सब से बड़ा रासायनिक कारखाना कहा जाता है, इस समय जर्मनी के अधीन है।

इन सब हानियों की पूरी जिम्मेदारी वृटिश सरकार की 'म्यूनिक-समझौते वाली नीति' पर ही है। इसी नीति ने बृटेन को मध्य योरोप में उसके एकमात्र मित्र चेकोस्लोवाकिया से बच्चित कर दिया है और इसी ने जर्मनी की सैनिक शक्ति को भी बेतरह बढ़ा दिया है। फिर भी अनुदार दल के नेताओं ने म्यूनिक के इस समझौते को अपने पक्ष की एक भारी जीत मानी और उसका स्वागत किया तथा उसके लिये खुशिया मनाई।

रूस भी सन् १९१४ के योरोपीय महायुद्ध में इगलैड का एक मित्र था और पूर्वीय मोर्चे पर अपनी लगभग २० लाख सेना को जर्मनी के विश्व वरावर तीन वर्ष तक लड़ाता रहा। उस समय यदि रूस इस प्रकार सहायता न देता तो इगलैड और फ्रास न जाने किस दशा को पहुंच गये होते। किंतु फिर भी अनुदार दल वाले आज उसी के साथ सहयोग करने के विरोधी हैं। वर्तमान युद्ध की नाजुक परिस्थिति भी उन्हे इसके लिए प्रेरित नहीं कर पाती। कारण प्रत्यक्ष है। वे रूस की वर्तमान शासन पद्धति को नापसद करते हैं और उसे धूरणा की वृष्टि से देखते हैं। अतएव वे रूस के साथ आपद्धर्म के तौर पर भी कोई सैनिक मित्रता नहीं रखना चाहते—उस रूस के साथ जो आज सन् १९१४ की अपेक्षा कई गुणा शक्तिशाली है और युद्ध की सूरत में कायापलट पैदा कर सकता है। कोई दूसरी सरकार यदि ऐसी नाजुक स्थिति में होती तो मित्र पैदा करने के लिए तमाम दुनिया की खाक छान डालती, किंतु अनुदार वृटिश सरकार की चित्तवृत्ति पर अनुदारता का बहुत ठोस आवरण चढ़ा हुआ है।

इस अनुदार चित्तवृत्ति की अधता का प्रमाण अन्य वातों से भी वरावर प्रकट होता रहा है। जिस समय जर्मनी में हिटलर की सैनिक

अनुदार दक्षिण पाश्व

तैयारियों की जा रही थी, उस समय भी अनुदार बृटिश सरकार ने उसे रोकने के लिये कोई उपाय नहीं किया। पिछले महायुद्ध में जनतंत्रवाद के नाम पर कैसर के साम्राज्य-स्वप्न को नष्ट करने के लिये करोड़ों आदमियों का खून बहा दिया गया था। किन्तु आज हिटलर ने आधे से ज्यादा योरोप का जनतंत्रवाद अपने पैरों से कुचल डाला, और फर भी अनुदार बृटिश सरकार के कान में ज़ू तक न रेगी। यहाँ तिक कि स्वयं एक अनुदार नेता मिस्टर चर्चिल तक को कहना पड़ा कि—

“राजनैतिक क्षेत्र में हिट्लर का जिस समय आगमन हुआ था, उस समय जर्मनी मित्रों के पैरों पर लोट रहा था। अब कदाचित् वह दिन भी आने वाला है, जब योरोप का तचा-खुचा हिस्सा भी जर्मनी के पैरों पर लोटता दिखाई दे।

“पिछले महायुद्ध के बाद और विशेषकर पिछले तीन वर्षों में बृटिश और फ्रेंच सरकारों ने जो सुस्ती और जो मूर्खता दिखलाई है, उसके बिना हिट्लर की यह सफलता, या उसका किसी राजनैतिक शक्ति के रूप में जीवित रहना ही, कदापि सभव न हो सकता। हिट्लर के पहिले जो कई एक दूसरी सरकारे जर्मनी में पार्लिमेट की पद्धति पर स्थापित की गयी थी उनमें से एक के साथ भी समझौता करने का कोई सच्चा प्रयत्न नहीं किया गया।”

—नवम्बर १९३५

जर्मनी की जनतंत्रवादी सरकारों से अग्रेज अनुदार शासकों ने कुछभी सहयोग या समझौता करने की कोशिश न की। प्रत्युत् हिट्लर की उदीयमान शक्ति की सराहना कर कर के उसे बराबर प्रोत्साहित किया जाता रहा। राजनेतिक मामलों में अनुदार अग्रेज शासकों की विचारशैली हिट्लर की विचारशैली से बहुत कुछ मिलती-जुलती सी है, और इसी लिए उनमें एक पारस्परिक सहानुभूति का भाव पाया जाता है। अस्तु, इसी सहानुभूति के कारण इन अंग्रेज शासकों की

विदेशी नीति प्रायः ऐसी बनी रही, कि हिट्लर के लिए जर्मनी का सैनिक सगठन करना बिल्कुल आसान हो गया।

इसी तरह स्पेन में फ्रान्स की जीत भी इन्ही अनुदारों की सहानुभूति के कारण इटली और जर्मनी ने समव कर दी, जिससे अब स्पेन में हिट्लर और मुसोलिनी का पूरी तौर से पैर जम गया और अग्रेजी जहाजों के आने-जाने का रास्ता भी खतरे में पड़ गया। इस प्रकार जैसे-जैसे जर्मनी की और उसके मित्रों की शक्ति बढ़ती गयी, वैसे ही वैसे महायुद्ध का भय भी बराबर बढ़ता गया।

यदि आज से चार या पाँच वर्ष पहिले बृटेन फ्रास और रूस को साथ लेकर नाजी जर्मनी की बढ़ती हुई शक्ति का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ा होता, तो यह शक्ति कदापि इस वृद्धि को न पहुँच सकती और न आज लड़ाई की जरूरत ही पड़ती। इटली और जापान जर्मनी की वर्तमान सैनिक शक्ति को देख कर ही उसके मित्र बने हुए हैं। यदि जिस समय जापान ने मैचूरिया पर चढ़ाई की थी और इटली ने अवीसिनिया में कदम बढ़ाया था, उसी समय उनका मुकाबला किया गया होता, तो आज इटली, जर्मनी और जापान की सयुक्त सैनिक शक्ति का मुकाबला करने की जरूरत न पड़ती। किंतु जापान और इटली के प्रति अधिकारियों में सहानुभूति का भाव मौजूद रहने के कारण उस समय उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी, यद्यपि पृथ्वी के अधिकाश राष्ट्र उस समय बृटेन का साथ देने को तैयार भी थे।

यह बात नहीं है कि बृटिश सरकार ने इन विपक्षियों का मुकाबला करने में देर इसलिए लगायी कि देरी से उसको कुछ लाभ था। वास्तव में बृटिश सरकार की इस चुप्पी से तो हर एक ऐसे राष्ट्र के साथ, जिसे जर्मनी एक-एक करके हड़पता जा रहा था, अग्रेजों का एक-एक शक्तिशाली मित्र दुनिया के नक्शे से गायब होता जाता था, और फिर दूसरे ज्ञान वही मित्र जर्मनी के

सपक्षी और सहायक के रूप में दिखाई देने लगता था। बहुतों के मन में बृटिश विदेशी नीति का रख देख कर यह धारणा भी पैदा हो गयी थी बृटिश सरकार यथासंभव मार-काट के भयकर कार्य को बचाना चाहती थी। किंतु क्या वह देश और साम्राज्य की रक्षा के लिए भी समुचित कार्यवाही करने से डर रही थी? यह सब कुछ नहीं है। वास्तविक बात यह है, जैसा कि पहिले वक्तव्यों और प्रमाणों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है, कि बृटिश-शासन की बागडोर इस समय जिन लोगों के हाथ में हैं उनकी सहानुभूति हिट्लर, मुसोलिनी और फ़्रांकों के साथ में थी, और वह सहानुभूति इतनी जोरदार थी कि देश और साम्राज्य की रक्षा का प्रश्न भी उसे नहीं डिगा सकता था। तभी तो लाईंस सभा और कामन्स सभा में खड़े होकर अनुदार नेता जर्मन उपनिवेशों को वापस कर देने की सिफारिश किया करते थे।

फिर भी सभी अनुदार नेता इस नीति के समर्थक न थे। कुछ ऐसे भी थे, और इन में मिस्टर विन्स्टन चर्चिल का भी एक प्रमुख नाम है, जो अपने राजनैतिक पक्षपात के कारण अपने देश और राष्ट्र के स्वार्थों का बलिदान नहीं करना चाहते थे। अनेक अनुदार सदस्य सरकारी नीति के कुपरिणामों को देख-देख कर केवल उलझन में पड़े हुए थे और कभी इस पक्ष में और कभी उस पक्ष में जाया करते थे।

अनुदार दल वालों में जो लोग सरकार की उपरोक्त नीति को नापसद करते थे, वे उन लोगों में से नहीं थे और न उन संस्थाओं के सदस्य ही थे, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। वस्तुतः वे पुराने कड़र साम्राज्यशाही पक्ष के लोग थे और साम्राज्य-रक्षा-सम्बन्धी कई प्रकार की संस्थाएँ भी उन्होंने बना रखी हैं, यथा—

(१) सेना-गृह और साम्राज्य-रक्षा समिति (The Army and Home and Empire Defence League),

जिसका नाम अब बदल कर 'नागरिक सेवा समिति' (Citizen Service League) रख दिया गया है।

(२) नौसैनिक समिति (Navy League),

(३) उपनिवेश-समिति (Colonial League),

इन सब संस्थाओं के विचार वृटिश साम्राज्यशाही की रक्षा के विषय में तो प्रायः एकसे हैं और ये सभी उसकी आवश्यकता पर बराबर जोर भी देते रहते हैं, किन्तु सैनिक दृष्टि से जो स्थान बृटेन के लिए मार्मिक कहे जा सकते हैं उनकी रक्षा के लिए इनमें अनेक प्रकार के मतभेद हैं।

इस प्रकार एक ओर तो अनुदारों की एक भारी सख्त वृटिश शासन पर अपना अधिकार जमाये हैं और जर्मनी तथा इटली को प्रसन्न रखने की नीति का पालन करती रही है, दूसरी ओर एक थोड़ीसी सख्त ऐसे अनुदार लोगों की है जो सरकार की विदेशी नीति के विरुद्ध हैं। किन्तु दोनों ही समुदायों में इतने प्रकार के विचार और मतभेद भरे हुए हैं कि सम्पूर्ण दृश्य केवल गड़बड़ी और उलझन से पूर्ण दिखाई देता है।

सचेत में यह कहा जा सकता है कि वृटिश सरकार की विदेशी नीति का विरोध करने वाले मुख्यतः उस वर्ग के लोगों में से हैं, जिनका वृटिश साम्राज्य में चारों ओर आर्थिक और व्यवसायिक स्वार्थ फैला हुआ है, या जो स्थल और सामुद्रिक सेना से सबध रखते हैं अथवा जो कुछ थोड़े से स्वतंत्र विचार रखने वाले राजनीतिज्ञ पुरुष हैं। इसके विपरीत सरकार की खुशामद से भरी हुई विदेशी नीति का समर्थन करने वाले वे लोग हैं जो वड़े-वड़े व्यवसाय-पति और वैंकर हैं, तथा ऐसी व्यापारिक संस्थाएँ हैं जो या तो स्वयं सामूहिकलप से अथवा जिनके डायरेक्टर गण व्यक्तिगतरूप से ऐंग्लो-जर्मन फेलोशिप के सदस्य हैं। इनमें से जो व्यापारिक

स्थाएँ सामूहिक रूप से इस फेलोशिप के सदस्य हैं उनके नाम स प्रकार हैं :—

वैक

- (१) गाइनेस मेहोन एंड कंपनी (Guinness, Mahon & Co).
- (२) लैज़ार्ड बर्दस (Lazard Bros).
- (३) जे० हेनरी श्रूडर एन्ड कंपनी (J. Henry Schrodar & Co).

लोहे और इस्पात के कारबार

- (१) फर्थ-वाइकर्स स्टेनलेस स्टील्स (Firth-Vickers Stainless Steels).
- (२) सी० टेनेन्ट, सन्स एन्ड कंपनी, लिमेटेड (C. Tennant, Sons Co., Ltd.)

अन्य बड़े फ़र्म

- (१) यूनिलिवर्स (Unilever, Capital £ 67,000,000).
- (२) टामस कुक एंड सन (Thos. Cook & Son, Capital £ 1500,000),
- (३) कम्ब्राइन्ड इजिप्शन मिल्स (Combined Egyptian Mills, Capital £ 2,500,000)
- (४) डनलप रबर क० (Dunlop Rubber Co., Capital over £ 12,500,000).
- (५) मेक् डाउगल्स Mc. Dougalls, Capital of holding Company nearly £ 2,500,000).

इनके अतिरिक्त किंतने ही अन्य छोटे फर्म भी, जिनमें लाखों पाउन्ड की पूँजी लगी हुई है, इसी फेलोशिप के सदस्य हैं।

जिन व्यापारिक संस्थाओं के डायरेक्टर अथवा प्रतिनिविष्ट लोग व्यक्तिगत रूप से फेलोशिप के सदस्य हैं, उनकी सूची नीचे दी जाती है :—

(क) बैंक

- (१) बैंक आफ इन्लैंड।
- (२) मिड लैंड बैंक।
- (३) लायड्स बैंक।
- (४) वाक्रेंज बैंक।
- (५) नैशनल बैंक आफ स्काटलैंड।
- (६) जे० हेनरी श्रूडर एंड क० (J. Henry Schridler & Co.).
- (७) लैजार्ड ब्रदर्स। (Lazard Bros).
- (८) नैशनल बैंक आफ आस्ट्रेलिया।
- (९) वृटिश लिनेन बैंक।
- (१०) रैली ब्रदर्स।
- (११) काउट्स एन्ड क० (Coutts & Co).
- (१२) नैशनल बैंक आफ इंजिट।

(ख) बीमा कंपनी

- (१) कमर्शियल यूनियन ऐश्योरेन्स।
- (२) लंदन ऐश्योरेन्स।
- (३) ईगल स्टार (Eagle Star)।
- (४) फेनिक्स ऐश्योरेन्स।
- (५) लंदन ऐन्ड लैंकशामर।

अब सयुक्त रूप से राजसिंहासन पर बैठाये गये। इस प्रकार राजा पर पार्लीमेट की यह दूसरी जवर्दस्त जीत हुई। इसके बाद फिर किसी राजा को आज तक पार्लीमेट के अधिकार और शक्ति पर शका या प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। देश में अब निर्विवाद रूप से पार्लीमेट का ही एकाधिकार स्थापित हो गया।

किन्तु यह पार्लीमेट उन दिनों जैसी थी और जिस ढग से इसका चुनाव किया जाता था उसे देखते हुए कोई भी व्यक्ति उसे प्रजा की प्रतिनिधि-स्थान के नाम से नहीं पुकार सकता। वास्तव में वह प्रजा के एक बहुत ही सूख्म भाग का प्रतिनिधित्व करती थी। अभी सौ वर्ष से कुछ ही ज्यादा हुए जब इंग्लैण्ड में 'जेबी निर्वाचन लेन्ट्रों' (Pocket-boroughs) की कमी न थी। ये निर्वाचन-लेन्ट्र ऐसे होते थे, जिनमें एक या दो से ज्यादा आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं रहता था। कहते हैं सन् १७६३ई० में हाउस आफ़ कामन्स के ३०६ मेम्बरों को केवल १६० आदमियों ने चुना था। इस प्रकार प्रत्यक्ष है कि प्रजावर्ग के अधिकाश आदमियों को पार्लीमेट के निर्वाचन में उस समय कुछ भी अधिकार न था। लार्ड्स सभा में तो लार्ड उपाधिधारी बड़े-बड़े सामत-जमीदार और पादरी लोग थे ही, किन्तु कामन्स सभा में भी अधिकतर सदस्य प्रभावशाली जमीदार और रड़स ही लोग हुआ करते थे। गरीबों और मध्यथ्रेणी वालों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई देता था। चुनाव में वैरेंमानी और रिश्वतबाजी का बाजार भी उस समय चूत गर्म था। अन्त में प्रजा के बहुत दिनों तक आन्दोलन करते रहने पर सन् १८३२ई० में एक मुधार कानून पास किया गया, जिसमें निर्वाचकों की संख्या में बढ़ की गयी। आगे चल कर समय-नमय पर यह संख्या और अधिक बढ़ायी गई और अब इस समय वहाँ पार्लीमेट के चुनाव में वोट देने का अधिकार प्रत्येक वालिंग स्ट्री और पुच्चप को प्राप्त हो गया है।

(६) गार्जियन एश्योरेन्स ।

(७) नैशनल एम्प्लायर्स म्यूचुअल जेनरल एश्योरेन्स इत्यादि,
इत्यादि ।

(ग) अन्य फ़र्म

(१) लीवर ब्रदर्स ऐन्ड यूनि लीवर (पूँजी ६,७०,००,००० पौंड) ।

(२) इम्पोरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज ।

(३) लदन मिडलैंड ऐन्ड स्काटिश रेलवे ।

(४) लदन ऐन्ड नार्थ इंस्टर्न रेलवे ।

(५) शेल ट्रान्सपोर्ट ऐन्ड ट्रेडिंग कंपनी ।

(६) ऐरलो ईरानियन आयल क० ।

(७) टेट ऐन्ड लाइल ।

(८) हडसन्स वे ऐन्ड क० (Hudson's Bay Co.) ।

(९) डिस्टिलर्स क० (Distillers Co.) ।

(१०) गैस, लाइड ऐन्ड कोक क० ।

(११) दि डनलप रबर क० ।

(१२) पी० ऐन्ड ओ० स्टीम नेविगेशन कं० ।

(१३) बी० एस० ए० ।

(१४) इम्पीरियल एयरवेज ।

(१५) टेलीग्राफ कन्स्ट्रक्शन ऐन्ड मेन्टेनेंस ।

(१६) टायर्स फ़र्म ऐन्ड जानब्राउन ।

(१७) विलियम वियर्ड मोर ।

(१८) कन्सेट स्पैनिश ओर कं० ।

इन कंपनियों के डायरेक्टर व्यक्तिगत रूप से फ़ोलोशिप के सदस्य हैं, अतएव इनके दूसरे डायरेक्टरों को जो सदस्य नहीं हैं अथवा स्वयं कंपनी को उसमे सम्मिलित नहीं समझना चाहिए। हाँ इनमें से कुछ कंपनियाँ ऐसी अवश्य हैं जो स्वयं सामूहिक रूप से भी फ़ोलोशिप की सदस्य हैं।

यद्यपि वृटिश सरकार की 'खुशामद भरी' विदेशी नीति का समर्थन करने वालों की ऐसी जबर्दस्त पलटन मौजूद थी, किंतु फिर भी उसके विरोधियों की सख्ता बराबर बढ़ती ही जा रही थी। बहुत से बड़े-बड़े व्यवसायपति, जिनका कारबार साम्राज्य में चारों ओर फैला हुआ है, इस दुर्बल नीति का विरोध करने लगे। किंतु फिर भी इनका विरोध अधिकाश में कुछ खास-खास प्रश्नों पर ही हुआ करता था। जर्मनी को उपनिवेश लौटा देने के विरोधी सख्ता में बहुत ज्यादा थे। किंतु फिर भी साम्राज्य की रक्षा के लिए रूस की सोवियट सरकार से मैत्री स्थापित करने या इसी प्रकार के अन्य आवश्यक उपायों का अवलम्ब लेने के पक्ष में एक भी अनुदार सदस्य अथवा व्यापारी फर्म देखने में नहीं आता था।

इस प्रकार हिट्लर और मुसोलिनी को वृटिश पार्लिमेट के अदर केवल अपने सहायकों का ही भरोसा न था। विरोधियों के पारस्परिक मतभेद और फूट का भी उन्हे पूरा-पूरा लाभ मिलता था। स्पेन में हिट्लर और मुसोलिनी को जो सफलता प्राप्त हुई वह वहाँ के उन दक्षिणपन्थी राजनैतिक दलों की सहायता से हुई, जो उन्हीं के से सिद्धांतों को मानने वाले थे। चेकोस्लोवेकिया में भी हिट्लर को दक्षिण-मार्गी सूडेटन-जर्मन और चेक लोगों की सहायता से ही सफलता मिली। अब वृटिश जनत्रवाद और साम्राज्य-रक्षा के प्रश्न को जो आवात पहुँचा है वह भी इन्हीं दक्षिण-पन्थी अनुदार अग्रेजों की नीति का फल है। जिन देशों को हिट्लर जीतना चाहता है, उन्हीं के राजनीतिज्ञों में वह पहले अपनी मित्र-सख्ता बढ़ा लिया करता है।

फासिस्टवाद या तानाशाही का पक्षपात ही अनुदार दल के अग्रेजों को वृटिश सरकार की घृनीति और विदेशी नीति का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता रहा है। किंतु फासिस्टवाद के प्रति यह सहानुभूति उनके मन में जनत्रवाद के भय के कारण ही उत्पन्न

हुई है। अनुदार-दल-वालों को सदा यह भय लगा रहता है कि कहीं जनतत्रवाद का सिद्धांत उनके धन, अधिकार और राजनैतिक शक्ति को छीनने के लिए न प्रयुक्त किया जाय और उनको यह भी विश्वास हो गया है कि योरोप के किसी भी देश में एक शक्ति-शाली प्रजातत्र-शासन की स्थापना उनके अधिकारों और उनकी शक्तियों को कमज़ोर बना देगी। योरोप की तानाशाही को जो सहायता वे पहुँचाया करते हैं वह वास्तव में वहाँ के धनी और सम्पत्तिशाली समूह की ही सहायता है। वे जानते हैं कि यदि योरोप में तानाशाही को सफलता न प्राप्त होगी तो इंग्लिस्तान के भी जमीदारों नवाबों और पूँजी-पतियों की खैर नहीं है। अस्तु, योरोपीय तानाशाही के प्रति उनकी खुशामदाना नीति वास्तव में आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रेरणा से ही उद्भूत हुई है।

अपने राजनैतिक दल की शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इन अनुदार अंग्रेजों ने, अपने देश की और समस्त वृद्धिश साम्राज्य की रक्षा को जोखिम में डाल दिया है। वे हिट्लर और मुसोलिनी की शक्ति को कुचलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हे डर था कि इनकी तानाशाही के स्थान पर कोई प्रजातंत्रात्मक शक्ति न आ वैठे। वे वृद्धिश साम्राज्य को खतरे में डाल देना उतना बुरा नहीं समझते थे, जितना योरोप में किसी जनतत्रात्मक शक्ति की सहायता करना बुरा समझते थे।

कुछ समय तक तो इन अनुदार अंग्रेजों को यह विश्वास था कि हिट्लर अपने साम्राज्य-विस्तार के लिए पश्चिम की ओर न बढ़ कर पूर्व की ओर (अर्थात् रूस की ओर) बढ़ेगा। प्रमाणस्वरूप २० जुलाई सन् १९३६ के न्यूज क्रानिकल नामक पत्र से लार्ड माउंट टेम्पल (Lord Maunt Temple) का निम्न-लिखित कथन उद्भूत किया जा सकता है, जो उन्होने। एंग्लो-जर्मन फ्रेलोशिप की एक दावत के समय कहा था :—

“यदि आगे कोई युद्ध छिड़ेगा तो—मुझे वह नहीं कहना चाहिए जो मैं कहने जा रहा था—आशा है कि युद्ध के साभीदार बदल दिये जायेंगे।”

इसी प्रकार सर आर्नल्ड विल्सन ने भी तारीख ११ जून सन् १९३८ के मैंचेस्टर गार्जियन नामक पत्र में कहा था कि :—

“एकता की आवश्यकता। सब से अधिक है और आज ससार को भय वास्तव में जर्मनी या इटली से नहीं है, बल्कि रूस से है।”

कहना न होगा कि आज ये सारे स्वभ भूठे प्रमाणित हो चुके हैं। पूर्व की ओर अर्थात् रूस के विरुद्ध आगे बढ़ने में जर्मनी के लिए क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं इसे भी हिट्लर स्वयं बतला चुका है :—

“(१) रूस में अठारह करोड़ आदमियों पर अधिकार करने का सवाल पैदा होता है।

(२) रूस भौगोलिक रूप में भी आक्रमण से सुरक्षित है।

(३) सैनिक घेरे (blockade) से भी रूस का गला नहीं घोंटा जा सकता।

(४) इसके व्यवसाय-क्षेत्र हवाई आक्रमण से बरी हैं, कारण कि अधिकाश मुख्य-मुख्य व्यवसाय-क्षेत्र। सीमा प्रात से ४००० से लेकर ६००० किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित हैं।

“रूस के हाथ में खूब सघटित व्यापार है और उसकी स्थल-सेना ऐक-सेना तथा हवाई सेना भी पृथ्वी भर में सब से अधिक शक्ति-शाली है। ये बातें ऐसी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।”— Quoted in “Ourselves and Germany” 1938 by the Marquess of Londonderry, Penguin Edition P. 88

इस प्रकार जर्मनी के लिए रूस के विरुद्ध पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना किसी समय भी अधिक न थी। पश्चिम में उसके लिए विशेष सुविधाएँ थीं, कारण कि वहाँ न केवल उसे इटली और फ्रांसो-शासित स्पेन से तथा इटली और स्पेन के उपनिवेशों से ही सहायता मिलने की आशा थी, बल्कि पश्चिमी राष्ट्रों के उन राजनैतिक दलों का भी उसे बहुत बड़ा भरोसा था, जो हिट्लर से सहानुभूति रखते थे और देश को उसके हाथ में एक प्रकार से सौंपने के लिए तैयार थे।

जनतंत्रवादी देशों पर संकट पड़ने का सुख्य कारण उनकी आतंरिक अनेकता और शत्रुदल की एकता ही थी। यदि बृटिश सरकार फासिस्टवाद के अभ्युदय से भयभीत तमाम छोटे-बड़े जनतंत्रवादी देशों को एकत्र कर के उन्हे मैत्री द्वारा भली-भाँति सघटित कर लेता और फ्रास के साथ-साथ रूस को भी अपना दोस्त बना लेता, जिसकी श्रेष्ठतर शक्ति का स्वयं हिट्लर भी कायल था, यदि चीन को वह अब्ज और शास्त्र से सहायता पहुँचा कर जापान की शक्ति को कुठित, कर देता, और फ्रास तथा रूसी सरकार की मदद से योरोप के उन छोटे-छोटे राष्ट्रों को भी अपने साथ मिला लेता, जो नाजी 'जर्मनी' के अधिकार में उस समय तक नहीं आये थे, तो उसकी जल, थल और आकाश में ऐसी जबर्दस्त शक्ति स्थापित हो गयी होती, कि उसके मुकाबले में हिट्लर को युद्ध छेड़ने का साहस कदापि न हुआ होता। साथ ही इटली और जर्मनी में भी फासिस्ट और नाजी दल की शक्ति, जो अपनी बढ़ती हुई सफलता के कारण बराबर जोर पकड़ती जा रही है, उस समय ढीली और कमज़ोर पड़ जाती।

— :०: —

नवा अध्याय

सम्पत्ति और स्वदेश

पिछले अध्यायों से यह विदित हो गया होगा कि बृटिश पार्लिमेट के अनुदार दल में किस प्रकार के लोग भरे हैं। उनका जन्म, उनका वश, उनकी शिक्षा, उनकी जमीन-जायदाद, उनकी व्यवसायिक सम्पत्ति, उनके पेशे और रोजगार सबों की जाँच करने से बस यही पता चलता है कि यह वर्ग बृटिश द्वीप की शासक जाति का प्रतिनिधि है।

अनुदार पक्ष की सरकारी नीति वास्तव में अनुदार राजनैतिक नेताओं के सामूहिक हितों और विचारों का ही परिणाम है। उनके विचारों के परस्पर सघर्षण और कठर-व्यौत से जो सरकारी नीति स्थिर की जाती है, उसका मुख्य आधार इस वर्ग का सामूहिक स्वार्थ ही रहा करता है। अतएव अनुदार राजनैतिजों का अध्ययन करने के लिए उनके इन्हीं सामूहिक स्वार्थों का अध्ययन सब से महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इनमें कुछ इनें-गिने लोंग अपवाद स्वरूप भी पड़े हों अथवा एक या दो व्यक्ति अपने सिद्धात के ऐसे पक्षे हों कि अपने निजी स्वार्थों की परवाह न करके केवल सही रास्ते पर ही चलना चाहते हों, किंतु ऐसों का उस दल में बहुत ही अल्पमत रहता है इस कारण उनकी वहाँ पूछ नहीं हुआ करती।

अनुदार दलवालों की अपार धन-सम्पत्ति, उनमें व्यापारिक कमाई की अपरिमित लालसा बृटेन और बृटिश साम्राज्य में फैला हुआ उनका जमीन और जायदाद में भारी स्वार्थ तथा वश परम्परागत रुद्धियों और अधिकारों पर उनकी नितात निर्भरता आदि कुछ ऐसी

बाते हैं जो उनमें सबंत्र सामान्य रूप से पायी जाती हैं, और जो पग-पग पर सरकारी नीति को भी निश्चित करने में अपना जबर्दस्त प्रभाव रखती है। सचेष में यह कहा जा सकता है कि किसी भी राजनैतिक दल के लिए, जिसके प्रतिनिधि समाज के किसी विशिष्ट वर्ग से चुने गये हो, यह एक विल्कुल स्वाभाविक बात है कि वह अपनी रीति-नीति को सदा उसी वर्ग की इच्छाओं के अनुकूल बनाये रहे। यह सच है कि अंग्रेजी शासन-विधान में इसको उक्त रीति-नीति को अंग्रेजी जनता की इच्छाओं से बहुत कुछ नरम हो जाना पड़ता है। परन्तु फिर भी अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं पर अनुदार-पक्ष का व्यापक प्रभुत्व होने तथा प्रचार सम्बंधी अन्य कितने ही साधन उसके हाथों में रहने के कारण वह अंग्रेजी जनता के विचारों को भी अपने अनुकूल ही मोड़ लिया करता है।

अनुदार नेताओं का समान स्वार्थ उन्हे परस्पर ऐक्य में बाँध रखता है। इधर अनेक वर्षों से अनुदारों ने प्रायः सभी महत्वपूर्ण विषयों पर पार्लिमेट के भीतर और बाहर अपनी अन्धुत् एकता प्रदर्शित की है। इसी ऐक्य से उनके समान स्वार्थों की जबर्दस्त शक्ति का पता लगता है। अब हाल में इस दल के अदर जो कुछ थोड़े-बहुत मतभेद दिखाई देने लगे हैं वह भी वास्तव में कुछ भयकर परिस्थितियों के दबाव से ही पैदा हुए हैं। कम से कम चेकोस्लोवेकिया पर जर्मनों का अधिकार होने के समय तक तो प्रायः सभी अनुदार-पक्षीय जन अपने नेताओं के पक्षपोषण में विल्कुल एक बने हुए थे।

पिछले अध्याय में हम देख आये हैं कि अंग्रेजी अनुदार-इल की विदेशी नीति प्रायः वैसी ही रही है, जैसी कि एक शक्ति-शाली धनिकों के समूह से स्वभावतः आशा की जा सकती थी। जेनरल फ्राको, मुसोलिनी, हिट्लर एवं जापान के मिकाडों तक का समर्थन वे केवल इसलिए करते रहे कि वे उन्हे अन्य-देशीय धनिक वर्ग का सरक्षक समझा करते थे। उनका विश्वास था कि पृथ्वी के किसी भी

भाग में डिक्टेटरों की पराजय अथवा जनतत्रवाद की विजय अग्रेजी अनुदार दल के हक में अच्छी न होगी और उनकी शक्ति को इग्लिस्तान में तथा साम्राज्य के अन्दर जरूर कमज़ोर बना देगी। अस्तु, वे इन डिक्टेटरों की भरपूर सहायता करने में लगे हुए थे।

जेनरल फ्राको, मुसोलिनी और हिट्लर की कार्यशैली अग्रेजी अनुदारों की कार्यशैली से बिल्कुल भिन्न है। फिर भी बहुत से अनुदार दल वाले इस कार्यशैली की सराहना किया करते हैं। इससे जनता के पक्ष वालों को सचेत हो जाना चाहिए और इन अनुदारों के हाथ में इतनी शक्ति न देनी चाहिए कि वे भी उक्त डिक्टेटरों की नकल करने लग जाय। अभी से जब कभी अनुदारों के मार्ग में अड़चने आती हैं तो वे तानाशाही तरीकों को ही काम में लाने की सलाह दिया करते हैं। यद्यपि यह सच है कि इग्लिस्तान में यकायक फासिस्ट राज्य का स्थापित होना जल्दी सभव नहीं, फिर भी ऐरलो जर्मन फेलोशिप जैसी स्थानों का वहाँ स्थापित होना ही इस बात का परिचायक है कि बहुत से अनुदार दल वाले इग्लिस्तान में भी फासिस्ट शासन क्रायम करने की चिन्ता में लगे हुये हैं।

अबश्य ही ऐसे लोगों की संख्या वृद्धि जनता में केवल मुद्दी भर है। यदि पार्लिमेट में ये लोग अपने प्रतिनिधियों के बहुमत से किसी प्रकार का फासिस्ट राज्य क्रायम करने की चेष्टा भी करें, तो किस शक्ति के आधार पर करेंगे? यदि शासन की चागड़ोर अनुदार दल के हाथ में हुई तो सरकारी सेना और पुलिस से ये अबश्य सहायता ले सकते हैं। किन्तु फासिस्ट राज्य योशेप में केवल सेना और पुलिस के बल पर क्रायम नहीं है। कितने ही अन्य प्रकार के ऐसे विश्वासनीय और प्रभावशाली राजनैतिक साधनों का भी उसे प्रा भरोसा है, जो वृद्धि अनुदारदल को अभी आत नहीं है।

इटली और जर्मनी में फासिस्ट राज्य की स्थापना वहाँ के किसी प्राचीन राजनैतिक दल द्वारा नहीं की गयी थी। उदाहरणार्थ नाजी दल को ही देखिए। यह एक बिल्कुल ही नई पार्टी है, और इसने पहिले किसी समय भी शासन का कार्य भार नहीं सम्भाला। जर्मनी की जनता को अपने राज्य-शासन के प्रति अनेक प्रकार की शिकायतें थीं। इसी समय एक नये-नये क्रांतिकारी, उत्साह से शराबोर राजनैतिक दल के रूप में नाजी पार्टी का उदय हुआ था, जिसने तमाम पुराने-धुराने चुनौत राजनीतिज्ञों को नीचे ढकेल कर, जर्मन जनता की तमाम शिकायतों को दूर करने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। किन्तु इंग्लिस्तान में अनुदार दल न तो कोई नया दल है और न क्रांतिकारी होने अथवा नये विचार रखने का ही दावा कर सकता है। जो कुछ पुराने-धुराने राजनीतिज्ञ भी अग्रेजी शासन की खराबियों के जिम्मेदार हैं, वे वस्तुतः इसी वर्ग के आदमी हैं। अस्तु, बृद्धिश जनता के कष्टों को दूर करने के लिए यह अपनी कार्यशैली के प्रति उनके मन में कोई विश्वास पैदा कर सके ऐसी सम्भावना नहीं जान पड़ती।

शक्ति प्राप्त करने के पूर्व हिट्लर ने एक नवीन उत्साह से पूर्ण जबर्दस्त जनसमूह को अपने पक्ष में कर लिया था। सन् १९३२ के अन्त तक नाजी पार्टी में लगभग दस लाख सदस्य बन चुके थे। सन् १९३२ में नाजी दल ने बर्लिन में जो समारोह किया था, उसमें भी कम से कम २,५०,००० सदस्य एकत्र हुए थे। अपने लाखों आदमियों को नाजी दल ने बिल्कुल सैनिक ढंग पर शस्त्रों से सुसज्जित और सुशिक्षित भी कर रखा था।

यहाँ बृद्धिश अनुदार दल के पास कोई ऐसी निजी शक्ति नहीं है, जिसकी नाजी सेना से तुलना की जा सके। यद्यपि कई एक मड़लियों अवश्य हैं, किन्तु कोई भी महत्वपूर्ण राजनैतिक फासिस्ट दल अभी तक इंग्लिस्तान में नहीं क्रायम हो सका है। बृद्धिश

साम्राज्यशाही के कर्णधार

फासिस्ट सघ (British Union of Fascists) भी इधर हाल में शक्तिशाली होने के बजाय कुछ कमज़ोर ही पड़ गया है।

इसके अतिरिक्त जिन चालवाजियों से हिटलर ने जर्मनी के एक जवर्दस्त जन समूह को अपने पक्ष में कर लिया था, वे भी अब पुरानी पड़ गयी हैं, और लोग अब उनसे सावधान हो गये हैं, कारण कि उन्होंने जर्मनी और इटली के लोगों पर उनका परिणाम अब काफी तौर से देख लिया है। अस्तु, बृटिश फासिस्ट सघ की शक्ति के ह्वास का कारण केवल मजदूर दल का सघटित विरोध ही नहीं था, बल्कि बृटिश जनता के मन की वह स्वाभाविक घृणा भी थी, फासिस्टों के योरोपीय कारनामों से उनके मन में आप से आप पैदा हो गई थी।

अंग्रेजी फासिस्टों के लिए हिटलर की तरह कोई नवीन कार्यक्रम भी बृटिश जनता के सामने रखना कठिन है। हिटलर अपनी 'पार्टी' को 'सोशलिस्ट' और 'मजदूर' पार्टी कह कर पुकारता था। किंतु इरलैंड में यदि इस प्रकार के किसी नाम से अब फासिस्ट नीति का परिचालन किया जाय, तो लोग उससे धोखे में नहीं पड़ सकते। हिटलर यह कह सकता था कि जर्मनों की तमाम मुर्सीबतें वासेलीज की सधि के ही कारण पैदा हुई हैं, कारण कि इस से उनके राज्य का अग्रभग कर दिया गया था और उनके उपनिवेश एवं शास्त्रात्मकीन लिये गये थे। किंतु अंग्रेजी फासिस्टों के लिए ऐसा कोई भी वहाना सामने नहीं दीखता।

इसके अतिरिक्त योरोप में होने वाली आधुनिक घटनाएँ भी बृटिश जनता के हृदय को फासिस्ट मत के विरुद्ध दिन पर दिन कठोर बनाती जा रही हैं, और अब वह सभव नहीं है कि अंग्रेजी जनता धोखे में आ कर किसी ऐसे आन्दोलन का समर्थन करे जो वास्तव में फासिस्ट आन्दोलन का ही एक दूसरा रूप हो।

यहाँ तक तो ब्रुटिश पार्लिमेंट के जन्म और विकास का वर्णन हुआ। अब कुछ थोड़ा सा परिचय टोरी-दल का भी देना चाहिए। ‘टोरी’ शब्द का व्यवहार इंग्लैण्ड में किसी राजनैतिक दल के लिए पहले-पहल सन् १६४८ ई० के करीब किया गया था। उस समय राजा और पार्लिमेंट के भगड़े में जिन लोगों ने राजा का साथ दिया था उन्हीं के समूह को टोरी दल का नाम मिला था। ये लोग वे थे जो राजा की दरबारदारी किया करते थे और जिन्हे राजा की ओर से जमीन, जायदाद, ऊँची-ऊँची पदवियाँ और सनदें प्राप्त थीं। इस प्रकार प्रायः तमाम बड़े-बड़े खानदानी सामंत, सर्दार, पदवीधारी रईस और ताल्लुकेदार लोग इसी टोरी दल के सदस्य दिखाई देते थे। ये राजा के ईश्वर-दत्त अधिकारों का समर्थन करते थे और प्रायः सभी प्रकार के राजनैतिक परिवर्तनों के विरुद्ध थे। जो लोग इन विचारों को नहीं मानते थे और इनके विरोधी थे वे ‘चिंग पार्टी’ (Whig Party) के नाम से प्रसिद्ध थे। इस प्रकार पार्लिमेंट के तमाम सदस्य ‘चिंग’ और ‘टोरी’ दो दलों में विभक्त हो गये थे।

सन् १८३२ के सुधार कानून के समय इन दोनों दलों का नाम बदल दिया गया। टोरी दल अपने को ‘कन्जर्वेटिव पार्टी’ (Conservative Party) के नाम से पुकारने लगा और हिंग पार्टी का नाम ‘लिबरल’ (या ‘उदार’) पार्टी पड़ गया। आगे चल कर सन् १८८६ ई० में कन्जर्वेटिव पार्टी, का नामकरण फिर से किया गया। उस समय प्रधान मंत्री मिस्टर ग्लैडस्टन के होमरूल विल का विरोध करने के लिए कुछ उदार दल वाले अपने दल से अलग होकर कन्जर्वेटिव दल वालों के साथ जा मिले थे। अतएव अब उस दल का नाम कन्जर्वेटिव दल के बजाय ‘यूनियनिस्ट दल’ रखा गया। इसके पश्चात् बीसवीं शताब्दी का आरम्भ होते ही एक तीसरा दल राजनैतिक क्षेत्र में उतरा। इसका नाम ‘लेबर पार्टी’

इस प्रकार इंगिलिस्तान में फ़ासिस्टवाद जारी करने के लिए अनेक कठिनाइयाँ हैं। सभव है कि लोगों को फ़ासिस्टवाद के लिए तैयार करने का उपाय तो धीरे धीरे काम में लाया जा सके, किंतु उसका वहाँ जारी करना अभी खतरे से खाली नहीं। हिट्लर ने केवल दो ही महीने में जर्मनी की तमाम जनतत्रवादी संस्थाओं का मूलोच्छेद कर डाला था। इस दो महीने के भीतर उसने न केवल तमाम राजनैतिक दलों को ही नष्ट कर दिया था, बल्कि विद्वानों की तमाम सभाओं सोमाजिक झंबों, खेल-कूद की संस्थाओं, परोपकारी संस्थाओं, तथा तमाम दैनिक, साताहिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाओं के कर्मचारियों तक को निकाल कर उनके स्थान पर ऐसे आदमी नियुक्त किये थे, जिन्होने नाजी सिद्धातों के अनुसार ही कार्य करने की शपथ ले ली थी। एकमात्र चर्च को ही कुछ समय के लिए अछूता छोड़ दिया था, जिससे केवल वही एक ऐसी संस्था बच गयी थी, जो अपने कर्मचारियों को स्वयं चुनकर नियुक्त कर सकती थी। किंतु आगे चल कर यहाँ भी जनतत्रवाद का बचा खुचा अश रहने देना नाजियों को भयजनक जान पड़ने लगा। अतएव प्रोटेस्टेन्ट चर्च का अब यह अधिकार छीन लिया गया है। केवल कैथोलिक चर्च बच रहा है, किंतु वह भी बहुत तग हालत में दिखाई देता है।

अंग्रेज शासक-समुदाय यद्यपि विदेशों में अपने फ़ासिस्ट दोस्त को प्रेत्साहित करने में काफ़ी सफल हुआ है, किंतु इंगिलिस्तान में उसे फ़ासिज़म की भूमि तक तैयार करने में कोई विशेष सफलता नहीं मिली।

अंग्रेज फ़ासिस्टों के मार्ग में और भी बहुतेरी कठिनाइयाँ हैं। अंग्रेजी हुक्मत का सम्बंध केवल बृटिश द्वीप के ही ४,५०,००००० आदमियों से नहीं है। भारतवर्ष तथा उपनिवेशी साम्राज्य के भी ४५,००००००० व्यक्तियों को उसे सम्हालना है इसके अतिरिक्त

साम्राज्यशाही के कर्त्तव्य

स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशों के साथ भी उसे अपना सम्बंध बनाये रखना है। साथ ही अनुदार अंगेजों को साम्राज्य के प्राप्ति: हर एक भाग में अपनी जमीन—जायदाद और व्यवसायों की भी रक्षा करना आवश्यक है।

वर्तमान अंगेजों सैनिक तैयारियों का प्रत्यक्ष उद्देश्य वृटिश साम्राज्य की रक्षा करता है, यद्यपि अनुदार दल वाले और जनतत्रवादी लोग दोनों ही यह अच्छी तरह जानते हैं कि यही सेना और हथियार किसी दिन स्वदेश अथवा विदेश के जनतत्रवाद को भी कुचलने के लिए काम में लाये जा सकते हैं। किंतु साम्राज्य की भी रक्षा केवल हथियारों से ही नहीं की जा सकती। लाखों सिपाहियों मल्लाहों, उड़ाकुओं एवं कारखाने में काम करने वालों की भी इसके लिए बड़ी जरूरत रहा करती है। यह सच है कि वृटिश साम्राज्य में जहाँ ४५ करोड़ आदमियों की वस्ती है, सैनिकों और सिपाहियों की कमी नहीं पड़ सकती, किंतु फिर भी ध्यान रहे कि पिछले महायुद्ध में भारतवर्ष की “आतंरिक अवस्था” के कारण भारतीय सेना की भर्ती में बड़ी रुकावटे पड़ी थीं। आज भी भारतवर्ष, पैलेस्टाइन वेस्ट-इन्डीज तथा अन्य अंगेजी उपनिवेशों में अंगेजी हुक्मत कायम रखने के लिए सहस्रों वृटिश सैनिकों की आवश्यकता रहा करती है। इन देशों के प्रजा वर्ग में वृटिश साम्राज्य को चाने की चिंता बहुत ही धीमी दखाई देती है। जनतत्र-शासन का इन देशों में अभाव होने के कारण यहाँ के निवासियों के सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके हेतु वे लड़ने में प्रोत्साहित हो और अपने प्राणों की बाजी खुशी-खुशी लगा सकें। प्रत्युत् समावना ऐसी जान पड़ती है कि युद्ध के अवसर पर वृटिश साम्राज्य के कितने ही हिस्सों में लोग वृटिश अनुदार शासन का जुआ अपनी गर्दन पर से उतार फेंकने के लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हथियार तक उठा लेंगे। इस अवस्था को रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि इन लोगों को जन-

तत्रात्मक शासन की रियायते दी जाये और युद्ध में परस्पर सहायता कर के साम्राज्य की रक्षा करने के लिए इनसे मैत्री स्थापित की जाय।

नाजीशाही से बचने के लिए जनतंत्रवाद को ही मजबूत करने की जरूरत है। अतएव बृटिश शासक दल के सामने इस समय एक कठिन समस्या आपड़ी है। यदि वे साम्राज्य की रक्षा करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जनतंत्रात्मक शासन की रियायतों द्वारा साम्राज्य की प्रजा को संतुष्ट किया जाय और साथ ही अन्य जनतंत्रवादी-देशों के साथ भी मैत्री-संबंध स्थापित किया जाय, तथा स्वदेश में जनतंत्रवाद पर छोट करने की आदत छोड़ दी जाय। किंतु अनुदार दल में कितने ही ऐसे पार्लिमेंटी सदस्य हैं जो अंग्रेजी जनतंत्रवाद को कुचलने के लिए हिट्लर तक से सहायता लेने को तैयार हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो हिट्लर से लड़ने के लिए प्रजा का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। सन्देश में अनुदार शासकों की समस्या इस प्रकार कही जा सकती है कि वे बृटिश जनता और हिट्लर दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकते और न इस प्रकार लड़ने से उन्हें सफलता की कोई आशा ही हो सकती है। एक के साथ लड़ने के लिए दूसरे की सहायता और सहयोग प्राप्त करना उनके लिए आवश्यक है।

इधर साम्राज्य में और इग्लिस्तान में भी अनुदारों की नीति, सिद्धात और नीयत पर बहुत कम लोगों को विश्वास है। साम्राज्य के लोग जानते हैं कि अनुदार सरकार साम्राज्य की रक्षा केवल इसलिए करना चाहती है कि उसे अपनी सम्पत्ति, जायदाद, और अधिकारों को बचाने की फिक्र है यदि ब्रटेन में आज कोई जनतंत्रवादी सरकार मौजूद होती तो साम्राज्य रक्षा के लिए उसे भारतवर्ष से तथा उपनिवेशों से विश्वासपूर्ण सहयोग और सहायता आसानी से मिल सकती। एक उन्नतिशील बृटिश सरकार साम्राज्य के हर एक हिस्से को जनतंत्रात्मक अधिकार व्यापक रूप से प्रदान कर के सम्पूर्ण प्रजा का विश्वास और सहयोग अपने हाथ में कर सकती थी और उस अवस्था में एक संगठित-

साम्राज्यशाही के कर्णधार

बृद्धिश साम्राज्य को जर्मनी जैसे अपेक्षाकृत छोटे से देश से डरने का कोई भी कारण न रह जाता। किंतु क्या अनुदार सरकार इस प्रकार का साहस दिखाने और साम्राज्य को एकता के सूत्र में 'बाँधने' के लिए तैयार है?

इग्लिस्तान में अनुदार नेताओं की नीयत पर बहुत से उन्होंने के बधु-बाधव तक अविश्वास किया करते हैं। लोगों में यह धारणा बहुत ज़ोरों के साथ फैला हुआ है कि युद्ध सामग्री की तैयारी में अनुदार दल वाले अपने ठेकों से मुनाफा कमाने में कोई कसर न उठा रखेंगे। पिछले महायुद्ध में जैसा देखा जा चुका है वही दशा आज भी दिखाई दे रही है, यद्यपि देश को इससे हानि उठानी पड़ती है। एक जन-तत्त्वादी सरकार विशाल मजदूर-समुदाय का ही आश्रय ले सकती थी, जिस पर कि देश की सारी शक्ति निर्भर है। किंतु अनुदार-पक्ष किसी प्रकार का जनतंत्रवाद सेना में बुसने देना नहीं सहन कर सकते, कारण कि ऐसा करने से उसके हाथ से सारी शक्ति ही निकल जाती है। फिर भी विना ऐसा किये फासिस्टों से लड़ने योग कोई ऐसी सेना नहीं तैयार की जा सकती जो स्वदेश रक्षा के हित मरना अपना धर्म समझे।

सचेत में तात्पर्य यह है कि शाति स्थापित रखने के लिए एक शक्तिशाली वृटेन की आवश्यकता है। किंतु जब तक अनुदार दल की पराजय न हो और वह पदच्युत न कर दिया जाय तब तक वृटेन शक्ति शाली कशापि नहीं बन सकता। अस्तु, वृटेन की सारी आशा एक मात्र विरोधी पक्ष (अर्थात् मजदूर-पक्ष) की सरकार पर ही अवलम्बित है।

स्वदेश-भक्ति और जनतत्रवाद दोनों एक दूसरे के साथ अभिन्नरूप से जुड़े हुए हैं। अनुदार दल वाले भी अपनी स्वदेश भक्ति का दावा किया करते हैं और देश में उनका प्रभाव भी बहुत काफी बढ़ा हुआ है। किंतु स्वदेश-भक्ति का अर्थ है अपने देशवासियों के प्रति सम्मान और उनकी सेवा करने की इच्छा। अस्तु, जो लोग यह विश्वास रखते

हैं कि उनके अधिकाश देशवासी गरीब होने के कारण शासन में भाग लेने के अयोग्य हैं, और जो केवल अपने धनिक समुदाय की स्वार्थ-सिद्धि के लिए ही राजनैतिक अधिकारों का दुर्ल योग किया करते हैं, उनकी नक़ली स्वदेश-भक्ति सिवाय ऊपरी दोग के और कुछ भी नहीं है। एक सच्चा जनतत्रवादी आनंदोलन ही सच्ची देश-भक्ति का दावा कर सकता है। अस्तु, अनुदार दल के तमाम विरोधियों को अपनी सच्ची देश-भक्ति का अभिमान होना चाहिए।

इस समय हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब कि मनुष्य की प्रगतिशील शक्तियाँ प्रतिक्रियात्मक शक्तियों के विरुद्ध एक भयंकर संग्राम में जुटी हुई हैं। जनतत्रवादी तमाम दलों और शक्तियों का इस समय यह एक परम कर्तव्य है कि वे मानवजाति को पथप्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़े। उन्हे अपने को इस महान उत्तरदायित्व के उपयुक्त साबित करना होगा। ससार के सामने उन्हे यह दिखला देना होगा कि उनका अभीष्ट मनुष्य जाति की उन्नति ही है, और उनकी जीत से ही मनुष्य जाति की यह उन्नति सभव है, और यह कि अनुदार शक्ति इस उन्नति के मार्ग में एक भयकर वाधा बन कर जनता और उसके उस उज्ज्वल भविष्य के बीच में खड़ी है, जिसमें विज्ञान के बड़े-बड़े कारनामे और सामाजिक संगठन का एक नया दृष्टिकोण ससार में सुख, सम्पत्ति और शाति का एक स्थायी राज्य स्थापित कर देंगे।

अवश्य ही आज हमारे लिए अपनी उस विजय को सुरक्षित रखना कठिन प्रतीत हो रहा है, जो कि हमारे प्रजा पक्ष की मानवता ने अतीत में प्राप्त की थी, तो भी ध्यान रहे कि यदि हम उसकी रक्षा करने में सफल सिद्ध हुए और इस प्रकार प्रतिक्रियात्मक शक्तियों को हमने निःशक्त बना दिया, तो कल ही एक अत्यत उज्ज्वल और मधुर भविष्य हमारे पैरों पर लोटता दिखाई देगा।

भारत के दिग्गज विद्वान्, प्रसिद्ध देश-भक्त और महान
राजनीतिज्ञ डा० बी० पट्टाभि सीतारामैया लिखित
श्रुतप्रमुख सुस्तके एक बार अवश्य पढ़िये

म० गांधी का समाजवाद

जो पश्चिमी सम्यता अपने को सर्व श्रेष्ठ बताती थी और दुनिया को पश्चिमी सम्यता पर ही चलने तथा मानने को वाध्य कर रही थी आज उस सम्यता का यह दुष्परिणाम है कि चारों ओर जुल्मों का जोर हो रहा है। एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाए रखने का घोर प्रयत्न कर रहा है। चारों ओर भूख के कारण बच्चे, लिंग, वृद्ध आदि त्राहि कर रहे हैं, निरन्तर युद्ध के कारण जनता में कोहराम मचा है, ऐसी पश्चिमी सम्यता का अब दिवाला निकलने ही वाला है और अब यह साबित हो गया है कि विश्व-शान्ति पश्चिमी सम्यता नहीं कर सकती है।

श्रीयुत डा० पट्टाभि सीतारामैया ने म० गांधी के सिद्धान्त बताते हुये यह साबित कर दिया है कि शान्ति तो अहिंसा, असहयोग और स्वावलम्बन से ही हो सकती है।

पुस्तक पढ़ते ही पश्चिमी सम्यता के सर्वनाश की ओर बढ़ते जाने का पूरा चित्र आँख के सामने खिच जाता है। साथ ही इस सर्वनाश का इलाज भी हमारी सम्यता में दिखाई देता है। मूल्य १॥)

चर्खे की उपयोगिता, ॥१॥

हाथ के उद्योग धधो के कारण भारत के शत प्रतिशत आदमी काम काजी थे। घर घर मनुष्य अपनी आवश्यकीय वस्तुएँ पैदा कर लेता था, आपसे में परिवर्तन करके सब अपना काम चलाया करते थे, आज मरीनों ने भारत को अपने आधीन कर रखा है।

लेखक ने इस छोटी सी पुस्तक में म० गान्धी के सिद्धान्तों की समालोचना करते हुए यह दिखाया है कि चर्खा पेट भर सकता है, किन्तु आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर सकता।

“भारत का आर्थिक शोशण”

पुस्तक के सम्बन्ध में

“भारत में अंग्रेजी राज” के यशस्वी लेखक, कर्मवीर
श्रीयुत सुन्दरलाल जी लिखते हैं—

“काय्रेस वर्किंग कमेटी के योग्य मेम्बर डाक्टर बी० पट्टाभि
सीतारामैया देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेताओं में से हैं। वह
आर्थ शास्त्र और राजनीति शास्त्र के भी पूरे परिणित है। उन्होंने अंग्रेजी
में इन विषयों पर कई छोटी छोटी अच्छी किताबें लिखी हैं। उनकी
The Economic Conquest of India or The
British Empire Ltd अभी हाल में प्रकाशित हुई है।
इसमें उन्होंने पिछले १५० वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान में अंग्रेजों की
आर्थिक नीति का खाका खीचा है और नमक के महसूल, कपड़े के
ब्यापार, रुई की चुगी, ओटावा का मशहूर समझौता, रेल, जहाज,
कोयला, सिक्के, नोट, टकसाल, विदेशों के साथ हु डियावन, बट्टा,
डाक महसूल, बङ्ग, चेक, बीमा कम्पनियां, विजली, फौज वगैरा के
बारे में अंग्रेजों की नीति जो शुरू से रही है और जो अब तक है उसे
साफ २ और तफसील के साथ २ वयान करते हुये यह दिखाया है
कि किस तरह इन सब महकमों के इन्तिजाम में भारत के साथ खुला
अन्याय किया जाता है और किस तरह इस देश से ज्यादा से ज्यादा
धन लूटना ही अंग्रेजी राज्य का सब से बड़ा उद्देश्य है। इस आर्थिक
नीति का नतीजा है कि केवल एक कपड़े के ही धन्धे में जब कि
सन् १८०३ तक एक गज कपड़ा भी विलायत से भारत में न आता
था इस समय हमारा यह धधा करीब करीब चौपट है, हमारे करोड़ों
कारीगर भूखों मरते हैं और हमारा बाजार विलायती कपड़ों से पटा
पड़ा है। लेखक ने यह भी दिखाया है कि सन् १८३५ में जो नया

कानून पास हुआ है इसके अनुसार कहा जाता है कि शासन के नये अधिकार भारतवासियों को दिये गये हैं उसमें भारत की इन आर्थिक बेड़ियों को और ज्यादा जोरों के साथ कस दिया गया है। और आइन्दा के लिये इसका पूरा इन्तजाम कर दिया गया है कि हिन्दुस्तान का अपना व्यापार या अपने उद्योग धन्वे उससे ज्यादा पनपने न पावें जितना कि अंग्रेजी कौम के लिये जरूरी है और भारत की यह भयंकर लूट बराबर जारी रहे। मेरी यह पक्की राय है और जबरदस्त ख्वाहिश है कि हर भारतवासी जो अंग्रेजी पढ़ सकता है इस पुस्तक को पढ़ ले। जो अंग्रेजी नहीं जानते वह किसी हिन्दुस्तानी भाषा में उसका अनुवाद पढ़ सके तो जरूर पढ़े।”

लाठी शिक्षक १)

पहलवानी करना आज-कल के नवयुवकों के लिए बड़ा कठिन काम हो गया है जो बिना कलफ और अस्त्री किए हुए कपड़े नहीं पहन सकते वे शरीर में मिट्टी क्यों लगने देंगे, उन्हे लाठी चलाना जरूर ही सीखना चाहिये, पतली छड़ी भी लाठी चलाने वाले का साथ देगी, अगर लाठी चलाना वह जानता हो तो ।

स्त्रियों के खेल और व्यायाम २)

भूमिका लेखिका—श्रीमती विजय लद्धमी पडित

हिन्दू जाति में आज-कल स्त्रियों को कठिन असोध्य, सक्रामक रोगों से धिरी हुई पायेंगे, गिरे हुए स्वास्थ्य से कमज़ोर सेन्तान पैदा होती है, स्त्रिया बिगड़े हुए स्वास्थ्य को कैसे सुधारे, बच्चे होने के बाद भी स्वस्थ्य कैसे रहे, स्त्रियों की दिनचर्या क्या हो, इस पुस्तक में बताया गया है।

शहीदों की टोली (जप) १॥

भारत में जब से अग्रेज आए, उस समय से लेकर आज तक कितने क्रान्तिकारियों को फाँसी हुई है किस अपराध में फाँसी हुई इस पुस्तक में फाँसी पाये हुए क्रान्तिकारियों का वर्णन है ।

विवाह समस्या १)

लेखक महात्मा गांधी

नव-विवाहित स्त्री-पुरुषों को तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए, स्त्री-पुरुषों के जीवन में होने वाली तमाम कठिनाइयों को महात्मा जी ने उदाहरण देकर समझाया है ।

विस्मिल की शायरी १॥

[लेखक कविवर “विस्मिल,, इलाहावादी]

व्यग शायरी पढ़ने लायक है, दरवारियों को और उपदेशकों के लिए तो बहुत ही लाभ की पुस्तक है जहा चाहे वहा सटीक बैठती है, हाजिर जवाबी के लिए बहुत बढ़िया मसाला है ।

दर्दे दिल २।)

कविवर ‘विस्मिल’ इसके सम्पादक हैं । भारत के मशहूर से मशहूर शायरों के इसमें दिल पर चुनीदा अशार है ।

तीरे नज़र १॥

सम्पादक ‘कविवर विस्मिल’

नजर पर मशहूर-मशहूर शायरों के अशार हैं ।

नूह की शायरी १।)

‘नूह’ साहब को इस जमाने में कौन नहीं जानता है, इनके करीब-करीब तीन या चार सौ के लगभग शागिर्द हैं, हर शहर में आप को इनके शागिर्द मिलेंगे, अशार पढ़ने योग्य हैं ।

अर्थात् मज़दूर दल था। यह दल गरीबों, मज़दूरों और साधारण श्रेणी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। कुछ समय बाद इस दल के दो विभाग हो गये :—(१) दक्षिण-पन्थी, और (२) वाम-पन्थी। वाम पन्थ वालों ने अपना नाम 'इन्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी' अर्थात् 'स्वतंत्र मज़दूर दल' रख लिया। यह स्वतंत्र मज़दूर दल दक्षिण पन्थवालों की अपेक्षा विचारों और सिद्धातों में अधिक प्रगतिशील है और साम्राज्यवाद का स्पष्ट विरोधी है। इगलैंड में भारतवर्ष के अनेक हितैषी इसी दल के लोगों में पाये जाते हैं। किन्तु इस दल के सदस्यों की सख्त्या कामन्स सभा में अभी बहुत थोड़ी है, जिससे यह अभी वहाँ कुछ कर नहीं पाते।

सन् १९३१ में अधिकाश कन्जर्वेटिव और यूनियनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ बहुत से लिवरल एवं लेबर पार्टी के सदस्यों ने मिलकर एक नया दल स्थापित किया, जिसका नाम 'नैशनल पार्टी' अर्थात् 'राष्ट्रीय दल' रखा गया। तब से पार्लिमेट में इसी 'राष्ट्रीय दल' का बहुमत रहता आया है और इसलिए इसी के हाथ में साम्राज्य की हुक्मत भी है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी दल की आलोचना की गई है और इसी के सदस्यों को 'टारी' के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि, जैसा पुस्तक को पढ़ने से मालूम होगा, इस दल के विचार और सिद्धात अपनी सकीर्णता और स्वार्थपूर्णता में प्राचीन टोरी दल के विचारों से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। ग्रथकार के शब्दों में—

“यूनियनिस्ट, कजर्वेटिव, नैशनल (या राष्ट्रीय) लिवरल-नैशनल और नैशनल-लेबर में इतना कम भेद दिखाई देता है कि किसी गमीर राजनैतिक अध्ययन के लिए इनका अलग-अलग विचार करना विलक्षण अनुपयुक्त होगा। जिस मन्त्रि-मण्डल में ठेठ कजर्वेटिव दल के लोगों का प्राधान्य है, उसी में लिवरल-राष्ट्रीय और मज़दूर-राष्ट्रीय राजनीतिज भी बैठा करते हैं। यह मन्त्रि-मण्डल पार्लिमेट में एक ऐसे बहुमत पर आधित है, जिसके ६० फी सदी सदस्य ठेठ कजर्वेटिव दल के ही

लोग हैं। कितने ही मज्जदूर-राष्ट्रीय और लिबरल-राष्ट्रीय सदस्य इस टारा-सरकार के पक्ष में अपना वोट देने से एक बार भी पौछे हुए हैं।”

अस्तु, वर्तमान सरकारी पक्ष को (जो अपने को ‘राष्ट्रीय पक्ष’ के नाम से पुकारता है), पुस्तक में ‘टोरी’ के नाम से पुकारा गया है। हिन्दी में हमने ‘टोरी’ शब्द के बजाय अनेक स्थानों पर ‘अनुदार’ शब्द का भी व्यवहार किया है। पाठकगण कृपया उससे ‘टोरी’ शब्द का ही मतलब समझें। साथ ही जहाँ मूल पुस्तक में ‘लार्ड’, नोब्युलमेन, पियर (Peers) और बेरन (Baron) लोगों का जिक्र आया है वहाँ हमने इनके लिए ‘नवाब’ शब्द का प्रयोग किया है, कारण कि इनके रहन-सहन, विचार और सिद्धांत हमारे यहाँ के नवाबों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं, और इससे अधिक उपयुक्त कोई दूसरा शब्द हमें हिन्दी में नहीं समझ पड़ा।

अंत में इतना और बतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि पार्लिमेंट और मंत्रि-मंडल का जो स्वरूप दिसम्बर सन् १९३८ में था, उसी का वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। तब से उस में कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन भी हुए हैं और आगे हो भी सकते हैं उदाहरणार्थ मिस्टर चेम्बरलेन, जो उस समय प्रधान मंत्री थे, अब इस संसार में नहीं रह गये और उनके स्थान पर एक दूसरे अनुदार सदस्य मिस्टर चर्चिल प्रधान मंत्री है। किंतु इस प्रकार के परिवर्तनों और घटनाओं से पुस्तक के उन परिणामों में कोई अंतर नहीं पड़ सकता, जो इस में निकाल कर दिखाये गये हैं, और जिन्हे दिखाने के उद्देश से ही यह पुस्तक लिखी गई है। दो चार व्यक्तियों के आने या जाने से संपूर्ण दल के उद्देशों और सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं पड़ता।

विषय-सूची

पृष्ठ

अध्याय १—जनसत्तात्मक शासन अनुदार दल वालों के			
हाथ में	१
“ २—व्यापारियों के हाथ में बृटिश राज्य का शासन		१७
“ ३—गोला-बाल्ड के कारखाने वाले पार्लिमेंट के			
मेम्बर हैं।	३६
“ ४—पार्लिमेंट और परिवारिक पूँजी	...		४३
“ ५—बृटिश साम्राज्य में अनुदार दल वालों का स्वार्थ			५०
“ ६—हाउस आफ कामन्स में अँग्रेजी सामंतों या			
नवावों का धराना	८१
“ ७—अनुदार राजनीतिशों की सामाजिक व्यूत्पत्ति ...			१०६
“ ८—अनुदार दक्षिण पाश्व		१८८
“ ९—सम्पत्ति और स्वदेश		१६२

वर्तमान पूँजीवादी समाज में जनसत्तात्मक शासन का प्रायः सब से मुख्य अग पार्लिमेट ही हुआ करता है। बिना किसी ऐसी निर्वाचित संस्था के, जैसी कि इंगलैड में हाउस आफ कामन्स है, जनसत्तात्मक शासन प्रायः सभव ही नहीं हो सकता। फिर भी केवल पार्लिमेट की उपस्थिति ही इस बात की गारन्टी नहीं कही जा सकती कि उसका काम भी सदा जनतत्रात्मक रूप से हुआ करेगा। उदाहरणार्थ यदि पार्लिमेट के निर्वाचन में केवल थोड़े ही से लोगों को मताधिकार दिया गया हो, जैसा कि उन्नीसवीं शताब्दी के आरभ में इंगलैड में था, तो ऐसी पार्लिमेट वास्तविक रूप से जनतत्रात्मक संस्था नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार यदि प्रजा को केवल कुछ ऐसे व्यक्तियों में से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाय जो सरकारी तौर पर नामजद किये गये हों, जैसा कि आज कल जर्मनी में होता है, तो वह चुनी हुई पार्लिमेट भी प्रजा की इच्छाओं का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती।

इसके अतिरिक्त जहाँ प्रजा को तमाम वे कानूनी अधिकार प्राप्त भी हो, जिन्हे हम जनतत्रात्मक विधान के लिए आवश्यक समझते हैं, जैसे, सब के लिए समान मताधिकार, हर एक को बिना किसी धन या जायदाद की शर्त के मेम्बरी के लिये खड़े होने का हक इत्यादि, तो ऐसी दशा में भी एक निर्वाचित पार्लिमेट के बहुत से काम व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे हो सकते हैं जो वास्तव में किसी प्रकार भी जनतत्रवादी न कहे जा सकें। उदाहरण के तौर पर जर्मनी में जो शासन का अधिकार सन् १९३३ में नाजीदल के हाथ आया था। वह केवल प्रजा की नियमानुकूल चुनी हुई पार्लिमेट की ही सहायता से तथा उसके प्रति जिम्मेदार हाकिमों के ही सहयोग से सभव हो सका था। इसी प्रकार फासिस्ट दल की सफलता भी पार्लिमेटरी बहुमत की सहायता से ही संभव हुई थी। एक मात्र स्पेन के जेनरल फ्राको को छोड़ कर शेष सभी जगह, जहाँ-जहाँ जनतत्रवादी शासन को नष्ट करने का कोई भी प्रयास किया गया है, वहाँ केवल पार्लिमेट के बहुमत की ही सहायता अथवा

उदासीनता का सहारा लिया गया है। हाँ, स्पेन में आवश्यक प्रजातंत्रवादी सरकार को उलटने के लिए सशस्त्र क्रान्ति की जरूरत पड़ी थी।

किंतु इसका कारण था '। जेनरल फ्राको के बगावत करने के पहिले स्पेन की पार्लिमेंट एक जवर्दस्त प्रतिनिधि-संस्था थी। उसके प्रजातंत्र-शासन में ऐसे-ऐसे कानूनी सुधार किये गये, जिनकी आवश्यकता सदियों पहिले से महसूस की जा रही थी। विरोधियों की उसके सामने एक भी न चली। निदान जब उनके लिए कायदे और कानून से जीतना असंभव हो गया, तब उन्होंने सशस्त्र क्रान्ति का सहारा पकड़ा और विदेशों से मदद मँगवा भेजी। इस प्रकार योरोप की आधुनिक घटनाओं से हमें जो एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है वह यह कि जन-सत्तात्मक शासन की सुरक्षा बहुत अधिक अंश में इस बात पर निर्भर है कि प्रजा के चुने हुए पार्लिमेंटी प्रतिनिधिगण प्रजातंत्र के अधिकारों को कुचलने वाली तमाम चेष्टाओं का सामना करने के लिए पूर्णतयों तैयार और दृढ़प्रतिश बने रहे। अस्तु, यदि वृटिश शासन-विधान को योरोप की जहरीली छूत से बचाये रखना आवश्यक समझा जाय, तो वृटिश प्रजा के लिए यह ज़रूरी होगा कि वह अपनी पार्लिमेंट के मेम्बरों पर अच्छी तरह निगाह रखे। विशेष कर उस दल के मेम्बरों पर तो सब से ज़्यादा निगाह रखना होगा, जिसके हाथ में इस समय शासन की बाग-डोर है। *

अभी हाल की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया है कि पार्लिमेंट में अनुदार दल के सदस्यों का अधिकतर भाग पार्लिमेंट के आधि-

नोट :—वृटिश पार्लिमेंट के मेम्बरों के चुनाव में हम भारतीयों का कोई हाथ नहीं है। अतएव इस दृष्टि से हमारे लिए इन पर निगाह रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमें जिस वृटिश शासक दल से पाला पड़ रहा और पड़ेगा उसके वास्तविक स्वरूप को समझना, और अध्ययन करना हमारे लिए भी कम उपयोगी न होगा—ह० प्र० गोयल ।

पाया। न पार्लिमेट के निर्माण में ही कोई महत्वपूर्ण काया-पलट दिखाई दी। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि जनता में मताधिकार की वृद्धि के साथ-साथ तथा पार्लिमेन्ट की मेवरी के लिए धन और जायदाद की कैद उठ जाने से अब राजनीतिशो को, चाहे वह उदार दल के हों अथवा अनुदार दल के, अपना कार्यक्रम बनाने में जनता की माँगों का पहले से अधिक ध्यान रहने लगा।

बहुत समय तक इंग्लैण्ड में केवल दो ही राजनैतिक दल काम करते थे:—(१) लिबरल अर्थात् उदारदल, और (२) टोरी अर्थात् अनुदार दल। इन्हीं दोनों दलों में से जनता को अपने प्रतिनिधि पार्लिमेट के लिए चुनने पड़ते थे। यद्यपि ये दोनों दल वहाँ की शरीब जनता की दृष्टि में अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ण नीति से नित्य प्रेरित रहा करते थे, जिससे उनके विषय में यह कहा जा सकता था कि:—

जैसे लिबरल वैसे टोरी।
जैसे नाला वैसे मोरी॥

किंतु फिर भी इन दोनों दलों की पारस्परिक प्रतिद्वन्दिता और लड़ाई प्रजा के हक्क में लाभदायक ही सिद्ध हुई, कारण कि दोनों ही के लिए जनता को अपने पक्ष में लाने और उसकी बोट को अपनाने की जरूरत रहती थी। अतएव दोनों ही को अपना ध्यान सार्वजनिक हित की ओर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था।

पश्चात् बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से मजदूर-दल भी मैदान में आगया। इसका निर्माण ट्रेड-यूनियन-आन्दोलन की उस जबर्दस्त वाढ़ के कारण सम्भव हो सका, जो इंग्लिस्तान के अन्दर उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में दिखाई दी थी। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि प्रजा के बहुत कुछ हाय-तोवा मचाने से कितने ही महत्वपूर्ण सुधार पुराने राजनैतिक दलों से भी प्राप्त किये जा चुके थे, तोभी अब लोगों को धीरे-धीरे यह बात विदित हो चली कि बिना किसी प्रजातात्मक ढग पर राजनैतिक

दल का निर्माण हुए देश और जाति की सर्वांगीन उन्नति नहीं की जा सकती। निदान मज़दूरों के हड्डताल करने के अधिकार पर जो कानूनी बाधाएँ उस समय वहाँ उपस्थित थीं और जिनके विषय में दोनों पुराने दलों के राजनीतिज्ञ टस से मस नहीं हो रहे थे, उसी सवाल को लेकर एक जबर्दस्त आन्दोलन खड़ा कर दिया गया और फिर उसी के परिणाम स्वरूप मज़दूरों के एक स्थायी राजनैतिक दल का भी संगठन हो गया।

मज़दूर दल के राजनैतिक क्षेत्र में आते ही वोटों के लिए यकायक प्रतिदिनिता भयंकर रूप से बढ़ गई। अनुदार दल को अब अपने ऊपर प्रजा की सहानुभूति बनाए रखने के लिये ऐसे-ऐसे सुधारों पर स्वीकृति देनी पड़ी, जिनका उन्नीसवीं शताब्दी में कहीं नाम तक नहीं सुनाई देता था। साथ ही सन् १९१३ से ले कर सन् १९३० तक में शिक्षा के विषय में सरकारी खर्च १,७०,००००० पौंड से बढ़ करीब पाँच करोड़ पौंड तक पहुंच गया। उसी प्रकार स्वास्थ्य-विभाग, श्रम-विभाग आदि अन्य लोकोपयोगी विषयों पर भी खर्च की अत्यधिक वृद्धि की गई, यह सारी उन्नति केवल इसलिए हो सकी कि प्रजा में से हर एक। व्यक्ति के हाथ में इस समय पार्लिमेंट के निर्वाचन का अधिकार मौजूद है। यदि आज यह अधिकार उनसे छीन कर केवल कुछ थोड़े से व्यक्तियों में सीमित कर दिया जाय, तो निश्चय है कि आज ही से इन लोको-पयोगी कामों में खर्च की कजूसी की जाने लगे। इसी प्रकार मज़दूरों के सघटित होने और अपना स्वतंत्र ट्रेड युनियन बनाने की स्वाधीनता भी इसी जनतत्रवाद का परिणाम है। बिना ऐसी ट्रेड युनियनों के मज़दूरों की वह मज़दूरी कायम नहीं रह सकती जो आज उन्हें मिल रही है।

किन्तु सन् १९३१ में ब्रटेन की शासन-नीति में एक गमीर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गयी है, जो इसके पहले सौ वर्षों में भी कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। उदाहरणार्थ, मज़दूरों के शिर पर कर का बोझ अब अत्यधिक बढ़ा दिया गया है, जो पिछले सौ वर्ष की पहली घटना कहीं जा सकती है। इसी प्रकार खाद्यपदार्थों पर भी अब भारी

महसूल लाद दिया गया है, जिसका परिणाम गरीबों को ही भुगतना पड़ता है, और जो पिछले सौ वर्षों में कभी नहीं हुआ था। शिक्षा के विषय में हर एक व्यक्ति के लिए माध्यमिक शिक्षा का जो आदर्श सामने लाया जा रहा था, वह अब यकायक उठा कर ताक पर रख दिया गया है और अब माध्यमिक स्कूलों में फीस लगाने की भी घोषणा कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त सरकारी भेद को खोलने तथा अराजकता को उभाड़ने के सम्बन्ध में जो नये-नये कानून (Official Secrets Act;* and Incitement to Disaffection Act) सन् १९३४ में पत्रकारों के विरुद्ध पास किये गये हैं तथा सार्वजनिक सभाओं और जलूसों पर जो नयी-नयी पावन्दियाँ लगायी गयी हैं वे सभी वृटिश जनता के अनुभव में पिछले एक सौ वर्षों में आज पहली ही बार दिखाई दी हैं। अग्रेजों की सार्वजनिक स्वाधीनता पर इतने दिनों से इस प्रकार की कैद कभी नहीं लगायी गयी थी।

किन्तु इस उलटी नीति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस अनुदार दल के ऊपर है, जो सन् १९३१ से वृटिश राज्य का शासन-कार्य चला रहा है। अनुदार दल के वे सदस्य जो आज पार्लिमेट के मेम्बर हैं यदि उसका समर्थन न करते तो सरकार यह उल्टा रास्ता कभी न पकड़ती। और यदि पकड़ती भी तो मन्त्रिमंडल को तत्काल बदल देना या उसमें अपने नये आदमियों को नियुक्त करना उस दल के हाथ में था। वास्तव में सम्पूर्ण अनुदार दल की ही इसमें सहमति है। अस्तु, अब देखना यह होगा कि ये अनुदार दल के मेम्बर किस सौचे में ढले हैं और उनकी इस अनुदार नीति का वास्तविक रहस्य क्या है। वस, इसी उद्देश्य को लेकर यह पुस्तक लिखी गयी।

यहाँ हम सरकारी पक्ष के पार्लिमेंटी मेम्बरों के व्यक्तिगत विचारों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहते। बात यह है कि पार्लिमेंट का कोई

* जनता के विरोध के कारण इस कानून में अब कुछ नुधार कर दिया गया है।

भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके सम्बन्ध में यह कहा जा सके कि वह अपना निर्णय देने में अपनी नीति और अपने विचारों को संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ काम में लाता है। बहुत कुछ उसके विचार उन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ करते हैं, जिनके बीच में उसे नित्य रहना पड़ता है। इस बात को स्वयं एक अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य मिस्टर हेली हचिन्सन इस प्रकार स्वीकार करते हैं:—

“राजनैतिक पुरुषों का आज जैसा कुछ व्यवसाय चल रहा है उसका दोष उन्हे नहीं दिया जा सकता, वास्तव में उनके व्यवसाय के सच्चे स्वरूप को भी हमें समझना चाहिए। राजनैतिक पुरुष वास्तव में किसी एक ऐसे पक्ष के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैदान में आता है, जिसको कुछ अपने खास उद्देश या उद्देशों को ही पूरा करने की चिंता रहती है और जो उसे दूसरे पक्षवालों के साथ अपनी तरफ की बातचीत या मोलभाव करने वाला केवल वकील या दल्लाल समझता है।....”

हमें यह याद रखना चाहिए कि पार्लिमेंट के सदस्य पहिले अपने-अपने पक्ष की ओर से नामजद कर दिये जाते हैं और तब जनता उन्हे चुनती है। जनता को यदि किसी भी अनुदार दल वाले को चुनना है तो वह केवल इन्हीं नामजद किये हुए व्यक्तियों को अपना वोट दे सकती है, दूसरे को नहीं। ये नामजद व्यक्ति भी अनुदार दल की ओर से केवल इस लिए नामजद किये जाते हैं, क्योंकि वे अनुदार दल के अधिक शक्तिपूर्ण भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समझे जाते हैं। अतएव उनका हाथ इस शक्तिपूर्ण भाग का स्वार्थ-साधन करने के लिए हर प्रकार से बंधा सा रहता है।

अब वे लोग कौन हैं जो उन्हे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और उनके स्वार्थ क्या हैं? यदि इन प्रश्नों का हम सही-सही जवाब लेवे

तो हमें उनकी ओर से पार्लिमेट में बैठने वाले सदस्यों के भी आचरणों तथा व्यवहारों का सही एवं सच्चा ज्ञान हो जायगा। अस्तु, अनुदार दल वालों की सामाजिक रचना और स्थिति का ही अध्यन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, और इसी के लिए इस पुस्तक में आगे चेष्टा की जायगी। साथ ही इस दल के पार्लिमेटी प्रतिनिधियों की लिखी हुई पुस्तकों में से भी कुछ अश यथास्थान उद्धृत कियेजायेंगे, जिनसे उनके आन्तरिक विचारों का सच्चा और असली चित्र प्राप्त हो जायगा, कारण कि पार्लिमेटी भापणों में उनकी जबान उतनी खुली हुई नहीं रहती, जितनी कि उनकी पुस्तकों में, और इसलिए उनकी पुस्तकें ही उनके विचारोंका सच्चा दिग्दर्शन कराने वाली कही जा सकती हैं।

जनसत्तात्मक शासन का यथोचित रूप से कायम रहना प्रजा की उस योग्यता पर निर्भर है, जिसके द्वारा वह अपने पार्लिमेटी सदस्यों को अपनी इच्छानुसार चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसमें सदेह नहीं कि वृटिश जनता के हाथ में यह शक्ति मौजूद है कि वह जिन लोगों के काम को नापसद करे उन्हे भविष्य में पार्लिमेट का मेम्बर न चुने। किंतु फिर भी एक औसत दर्जे को अग्रेज को इस बात की अभिनता नहीं होती कि उसकी पार्लिमेंट के अथवा हाउस आफ कामन्स के सदस्य कौन और कैसे हैं और उनका आचार-व्यवहार कैसा है। उसकी जानकारी इस विषय में विल्कुल ही न-कुछ सी रहा करती है।

इस समय पार्लिमेट में कितने ही ऐसे अनुदार दल के सदस्य मौजूद हैं, जिन्हे वहाँ जनतत्रवाद की दृष्टि से हर्मिज स्थान नहीं मिलना चाहिए था। अनुदार दल साधारणतः अपने को जनतत्रवाद का पोषक बतलाता है और जनसत्तात्मक शासन का हिमायती होने का दावा करता है। किंतु फिर भी उसके हेड आफिस से पार्लिमेंट की मेम्बरी के लिए ऐसे-ऐसे उम्मीदवार खड़े किये जाते हैं, जो इंग्लिस्तान में फासिल राज्य अर्थात् तानाशाही हुक्मत कायम करने के खुले

आम पक्ष पाती बन रहे हैं। उदाहरणार्थ, २५ अप्रैल सन् १९३४ के डेली मेल नामक पत्र में सर टामस मोर का लिखा एक लेख निकला था, जिसका शीर्षक था—

“अनुदार दल में जो कुछ कमी है उसे पूरा करने की सामग्री काली कुत्तों वालों के (अर्थात् फ़ासिस्ट दल के) पास मौजूद है।” इसी प्रकार १० अक्टूबर सन् १९३६ के मैन्चेस्टर गार्जियन (Manchester Guardian) में सर आर्नल्ड विल्सन ने लिखा था, “मैं हिटलर से कितनी ही बार मिल चुका हूँ। मेरा विश्वास है कि वह विश्व-शांति के लिए एक बहुत बड़ा साधन सिद्ध होगा।” ये दोनों ही व्यक्ति पार्लिमेंट के सदस्य हैं और अनुदार दल के एक बहुत बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

एक अन्य पार्लिमेंटी अनुदार सदस्य इंगलिस्तान में प्रचलित मुफ्त और अनिवार्य शिक्षानीति के बड़े खिलाफ हैं। एक दूसरे सदस्य (Mr. Austin Hopkinson M. P.) बेकारों को दी जाने वाली सरकारी सहायता पर अपना रोष दिखलाते हैं। इसी प्रकार और भी कितने ही ऐसे उद्धरण इन पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों के लेखों और ग्रंथों से दिये जा सकते हैं, जिनसे इनकी निर्लज्ज प्रतिक्रियात्मक नीति का भरपूर परिचय मिलता है। अब यह सोचने की बात है क्या ऐसे-ऐसे व्यक्तियों से भी बने हुए दल के हाथ में कभी जनतंत्रवाद सुरक्षित रह सकता है।

हम यह पहिले बता चुके हैं कि हर एक राजनैतिक दल के लिए अपनी ओर से पार्लिमेंट के उम्मीदवार नामजद करना कितने बड़े महत्व का विषय है। आगे चल कर हम यह भी बतलावेगे कि ये उम्मीद-चार खड़े किस ढंग पर किये जाते हैं। किंतु हम यहाँ एक उदाहरण इस बात का दे देना चाहते हैं, जिससे यह मालूम होगा कि अनुदार दल अपने निर्वाचन-कार्य में जनतंत्रात्मक सिद्धातों की कभी-कभी किस

प्रकार हत्या कर डालता है। अर्ल विंटर्टन सन् १६३८ में ब्रटिश मन्त्री-मण्डल के एक सदस्य थे। उन्होंने सन् १६३२ में अपना पूर्व जीवन बृत्तात लिखते हुए “महायुद्ध से पहले” शीर्षक देकर एक लेख में यह बतलाया है कि अनुदार दल की ओर से वह पहले-पहल उम्मीदवार किस प्रकार बनाये गये थे। वह लिखते हैं:—

“अक्टूबर सन् १६०४ के आरम्भ में मैं युनिवर्सिटी के तीसरे साल का अव्ययन आरंभ करने के लिए आक्सफोर्ड गया। यहाँ बहुतों से मेरी दोस्ती हुई, खूब बुड़सवारी की गयी, जाडे के दिनों में खूब शिकार खेला और गर्मी में खूब पोलो। किंतु मानसिक उन्नति के विचार से दुर्भाग्यवश मेरे ये दो वर्ष विलकूल ही बेकार बीते, जिसका सारा दोष मुझपर ही है। अक्टूबर लगते ही होर्शम डिवीजन की ओर से पार्लिमेटी सदस्य मिस्टर हेउड जान्स्टन (Heywood Johnson) की मृत्यु हो गयी और बुधवार १६ अक्टूबर को स्थानीय अनुदार दल के एसोसियेशन की निर्वाचक कमेटी ने उनकी जगह पर मुझे अनुदार दल का उम्मीदवार बना दिया। फिर लार्ड लेकन फील्ड की सहायता से मैं पार्लिमेट का सदस्य चुन भी लिया गया। उस समय मेरी अवस्था एकीसवर्ष और छः मास की थी।”

अब यह एकीस साल का वालक अनुदार दल की ओर से क्यों खड़ा किया गया इस बात को भी जान लेना जरूरी है, कारण कि यही सिद्धात वास्तव में तमाम दूसरे अनुदार सदस्यों के लिए भी लागू हुआ करते हैं। उसे पार्लिमेट की मेम्बरी के योग्य केवल इसलिए समझा गया कि वह एक बहुत बड़े र्डिंस और ताल्लुकेदार धराने का लड़का था। उसकी गिनती साधारण प्रजावर्ग में न थी, बल्कि उमरावां में थी। उसकी योग्यता की सब से बड़ी दलील उसकी सम्पत्ति ही थी।

सच प्रैछिए तो यही कारण है कि अनुदार दल वालों में हम साधारण जनता के प्रति न केवल सहानुभूति का अभाव ही देखते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष वृणा और उपेक्षा की भी बहुत कुछ मात्रा मौजूद पाते हैं।

ऊपर हम जितने अनुदार दल के सदस्यों का उल्लेख कर आये हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है, जिसे साधारण जनता का आदमी कहा जा सके।

इस समय हाउस आफ़ कामन्स में सरकारी पक्ष के कुल सदस्यों की सख्त्या ४०० है। इनमें से अभी तक केवल दो ही चार का उल्लेख ऊपर किया गया है। किंतु इस दल का हाल-चाल वास्तविक रूप से समझने के लिए उन सबों का ही रग-ढग मालूम करना जरूरी होगा। आगे चलकर हम धीरे-धीरे इसे दिखलायेंगे। यहाँ केवल हम इन सदस्यों की अमीरी के ही कुछ थोड़े से सबूत पेश कर देना चाहते हैं।

सन् १९३१ से लेकर सन् १९३८ तक में अनुदार दल के कुल ४३ पार्लिमेंटी सदस्य मर चुके हैं। इनमें से ३३ सदस्यों की समति और जायदाद के आँकड़े तो प्राप्त हो चुके हैं, किंतु शेष १० सदस्यों के अभी तक नहीं मिल सके। जो आँकड़े प्राप्त हो चुके हैं, वे इस प्रकार हैं :—

२ पार्लिमेंटी सदस्य १०,००००० पौड़ से भी अधिक छोड़ गया।

१२ पार्लिमेंटी सदस्य १,००००० पौड़ से लेकर १०,००००० पौड़ तक छोड़ गया।

७ पार्लिमेंटी सदस्य ४०,००० पौड़ से लेकर १०,००००० पौड़ तक छोड़ गया।

७ पार्लिमेंटी सदस्य २०,००० पौड़ से लेकर ४०,००० पौड़ तक छोड़ गया।

५ पार्लिमेंटी सदस्य १०,००० पौड़ से लेकर २०,००० पौड़ तक छोड़ गया।

उपरोक्त लेखा अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों की अमीरी का बहुत ही सच्चा नमूना है। इससे जान पड़ेगा कि अनुदार दल का एक बहुत

वड़ा भाग बेहद अर्मीर है। ३३ सदस्यों में से १४ सदस्य—अर्थात् करीब ४२%—एक लाख पौड़ से भी अधिक सम्पत्ति छोड़ गये। इतनी सम्पत्ति सारी वृद्धिश जनता में केवल ११ प्रतिशत व्यक्तियों के पास है।

इन आँकड़ों से यह भी जान पड़ता है कि प्रायः हर एक अनुदार पार्लिमेटी सदस्य को सर्टेक्स (Surtax) जरूर अदा करना पड़ता होगा। अनेक मार्गों से होने वाली इनकी आमदनी प्रायः प्रत्येक अनुदार सदस्य को कम से कम दो हजार पौड़ सालाना आमदनी वाले व्यक्तियों की श्रेणी में जरूर पहुँचा देती है। किंतु अधिकाश करीब दस हजार पौड़ तक की सालाना आमदनी पर इनकमटैक्स देते हैं; और जैसा कि हम आगे चल कर देखेंगे, कुछ अनुदार सदस्य ऐसे भी हैं जो तीस हजार, चालीस हजार अथवा एक-एक लाख पौड़ तक की सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स अदा किया करते हैं।

केवल वे ही, व्यक्ति अनुदार। दल की ओर से पार्लिमेट की उम्मीदवारी के लिए खड़े होने की आशा रख सकते हैं जो काफ़ी धनवान हैं। इस बात के एक नहीं, अनेकों प्रमाण दिये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, स्वयं अनुदार दल की ओर से एक उम्मीदवार मिस्टर आयन हार्वे (Mr. Ian Harvey) ने ४ जनवरी सन् १९३६ को ‘ईवनिग स्टैन्डर्ड’ नामक पत्र में इसी विषय की चर्चा करते हुए अनुदार दल के तमाम उम्मीदवारों को तीन श्रेणी में विभाजित किया था, जो इस प्रकार हैं :—

(१) प्रथम श्रेणी में वे लोग रखे जा सकते हैं, जो चुनाव सम्बंधी अपना संपूर्ण व्यय (४००, पौड़ से लेकर १२०० पौड़ तक) स्वयं उठाने को तैयार हैं और साथ ही पाँच सौ पौड़ से लेकर एक हजार पौड़ तक अपने स्वानीय एसोसियेशन को चन्दा भी देते हैं।

इस श्रेणी के लोगों को अनुदार दल की ओर से पार्लिमेंट के लिए खड़े किये जाने की सब से अधिक आशा रहती है।

इस प्रकार के उम्मीदवार केवल वे ही लोग कहे जा सकते हैं जिनकी वार्षिक आमदनी दस हजार पौंड से ऊपर है।

(२) दूसरी श्रेणी के लोग वे हैं जो चुनाव-सम्बंधी आधा खर्च बर्दाशत कर सकते हैं और एसोसियेशन को २५० पौंड से लेकर ४०० पौंड तक चन्दा दे सकते हैं। इस श्रेणी के व्यक्तियों को उम्मीदवारी के हेतु लिये जाने की आशा केवल सोधारणा दर्जे तक की जा सकती है।

(३) तीसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो अपना चुनाव-सम्बंधी खर्च बिल्कुल नहीं उठा सकते और चन्दा भी केवल १०० पौंड या इससे कम दे सकते हैं। इस प्रकार के लोगों के लिए पार्लिमेंट की उम्मीदवारी की संभावना बहुत ही कम रहा करती है।

३० मार्च सन् १९३६ को एक दूसरे लेख में यही मिस्टर हार्वे, जिनका उपर उल्लेख किया जा चुका है, इसे सम्बंध में फिर लिखते हैं कि “ग्रत्येक उम्मीदवार से सबसे पहिले अनुदार दल की ओर से जो सवाल किया जाता है वह केवल यही कि तुम्हारे पासे धन कितना है।.....”

अस्तु, इन सब बातों का निष्कर्ष केवल यह निकलता है कि जो लोग कम से कम २००० पौंड की आमदनी या इससे अधिक पर सटैंक्स देने वाले नहीं हैं, उनके लिए अनुदार दल की ओर से पार्लिमेंट का सेदस्य बन सकना बहुत ही कठिन है। जो सबसे उत्तम निर्वाचन-क्षेत्र समझे जाते हैं वे सदा उन्हीं लोगों को दिये जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा धनवान हैं, अर्थात् जिनकी सोलाना आमदनी १०,००० पौंड से भी अधिक रहा करती है।

वृटिश द्वीप में कुल मिलाकर लगभग २ करोड़ १० लाख प्राणी ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार की आमदनी रखते हैं। इनमें से

केवल एक ही लाख व्यक्ति (अर्थात् ५ प्रतिशत) ऐसे कहे जा सकते हैं, जिनकी सालाना आमदनी दो हजार पौड़ या इससे अधिक है। और जिनकी आमदनी दस हजार पौड़ से भी अधिक है ऐसे लोगों की सर्व्या दस हजार से ज्यादा नहीं कही जा सकती। करीब दूसरे प्रतिशत मनुष्यों की सालाना आमदनी २५० पौड़ से भी कम है।*

ये ऑकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं कि अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्य समाज के उस श्रग के कल-पुर्जे हैं, जिनका साधारण जनता के साथ किसी बात में भी मेल नहीं बैठ सकता। वे अमीरों और पूजीपतियों की जाति-वाले हैं। अतएव उनमें अपनी जाति के हितसाधन और स्वार्थ-रक्षा की चिता होना स्वाभाविक ही है। यह उनके दल का कोई दोष नहीं, बल्कि प्रकृतिजन्य राजनैतिक स्वभाव ही है। जैसा कि सर टामस अर्स्किन मे (Sir Thomes Erskine May) ने सन् १८७८ में लिखा था, आज भी उन्हीं के शब्दों में “धन, रुतवा और मज़दूरों को गुलाम बना रखने वाली शक्ति का पूर्ववत् बोल वाला है।”

आगे के अध्यायों में हम अभी और स्पष्ट रूप से देखेंगे कि इस धन, रुतवा और मज़दूरों को गुलाम बना रखने वाली शक्ति से अनुदार दल कहाँ तक ओत प्रोत तथा नियन्त्रित है। मज़दूर दल वस इसी शक्ति का मुकाबला करने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है। अतएव उसके निर्माण की आधार शिला इससे विल्कुल ही विपरीत ढंग की दिखाई देती है।

- गरीब भारतीयों की आमदनी का इन लोगों की आमदनी से क्या मुकाबला दिया जा सकता है। यहा तो अधिकाश प्राणियों को साल में एक मास भी भरपेट अब नहीं नसीब होता—ह० प्र० गोयल।

दूसरा अध्याय

व्यापारियों के हाथ में बृटिश राज्य का शासन

सन् १९३६ में प्रति रविवार को प्रकाशित होने वाले एक बृटिश पत्र में निम्न-लिखित पंक्तियाँ छपी थीं :—

“माननीय वाल्टर रन्सीमैन पहिले ‘रायल मेल स्टीम पैकेट कं०, के डायरेक्टर थे। उनके पिता लार्ड रंसीमैन भी पॉच जहाजी कंपनियों के डायरेक्टर हैं और बृटिश स्टीमशिप ओनर्स एसोसियेशन (अर्थात् जहाजी मालिकों के सघ) में सदस्य हैं। साथ ही उनके पुत्र, वाल्टर लेस्ली रन्सीमैन भी लायड वैक के अतिरिक्त चार जहाजी कंपनियों के डायरेक्टर हैं।”

“स्वयं उनके पास ‘मूर लाइन लिमिटेड’ (एक जहाजी कंपनी) के २१००० पौड़ के शेयर हैं। तो भी वोर्ड आफ ट्रैड के प्रेसिडेन्ट की हैसियत से उन्हीं के हाथ में यह काम सौंपा गया है कि वे सरकार की ओर से हाउस आफ कामन्स में जहाजी व्यवसाय के लिए वीस लाख पौंड की सहायता का प्रस्ताव रखें और मंजूरी मिल जाने पर उसका प्रबंध भी स्वयं ही करें।”

न्याय का एक बहुत प्राचीन सिद्धांत है कि “कोई व्यक्ति अपने पक्ष में त्वय निर्णय नहीं कर सकता।” इस सर्व-स्वीकृत सिद्धांत की सरकारी राजनीतिशास्त्रियों द्वारा किस प्रकार हत्या की जाती है इसका एक बहुत साधारण दृष्टांत ऊपर के उद्दरण में मौजूद है।

सभी अदालतों के जज और जूरी पर उपरोक्त सिधांत का पालन लायिनी समझा जाता है। प्राचीन रोमन-काल से उसका प्रयोग निरंतर होता आ रहा है। एक बार सन् १८५२ ई० में लार्ड चान्सलर काटन्हम

ने अपना फैसला किसी ऐसी कपनी के पक्ष में दे दिया था जिसके वह स्वयं हिस्सेदार थे। निदान उनका यह फैसला हाउस आफ लार्ड्स ने रद्द कर दिया।

किंतु राज्य की सब से बड़ी न्याय-सभा पार्लिमेट में इस सिद्धात का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल लार्ड रन्सीमैन के सम्बंध में दिया हुआ ऊपर का उदाहरण अकेला नहीं है। कोडियों ऐसे उदाहरण अन्य अनुदार सदस्यों के भी दिये जा सकते हैं, जिनमें उन्होंने अपने पक्ष का फैसला स्वयं कर लिया है और कानूनन इसके बे हकदार भी समझे जाते हैं।

अब उनके बावजूद उपाय क्या है? कौन उन्हे इस सिद्धात का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है? पार्लिमेट से ऊँची कोई दूसरी अदालत तो देश में है ही नहीं। हाँ, जनता यदि चाहे तो उन्हे अवश्य रास्ते पर ला सकती है। एक जज यदि आज अपनी कपनी के पक्ष में फैसला देता है तो उसका वह फैसला ऊँची अदालत से अवश्य रद्द कर दिया जायगा। किंतु यदि पार्लिमेट अपने कुछ मेम्बरों को लाभ पहुँचाने के लिए कोई कानून बनाना तय करती है तो उसका हाथ रोकने वाला देश में कोई नहीं। एक मात्र इसका इलाज केवल उस जनता के हाथ में है जो उन्हे चुनकर पार्लिमेट में भेजा करती है।

किसी जज के लिए अपने पक्ष में निर्णय करना इसलिए अनुचित समझा जाता है कि उससे मुकदमें के दूसरे फरीक पर ज्यादती होती है। इसी प्रकार पार्लिमेट के लिए भी अपने कुछ मेम्बरों को लाभ पहुँचाने का निर्णय करना विलक्षण अनुचित और निरक्षणता पूर्ण कार्य है, कारण कि उससे भी जनता के अन्य समूहों पर ज्यादती हो सकती है। अस्तु पूर्वोक्त न्याय-सिद्धात पर चलने के लिए पार्लिमेट को मजबूर करना जनता के हक में उतना ही आवश्यक है जितना कि अदालतों द्वारा इस सिद्धात का पालन किया जाना।

व्यापारियों के हाथ में राज्य का शासन है।

एक प्रसिद्ध जर्मन कानूनी विशेषज्ञ इस सम्बंध में लिखता है :

“जब कभी पार्लिमेंट का कोई सदस्य अपना सम्बुध्यात्मक किसी व्यापारिक दुनिया से रखता है, विशेष कर जब उसका तोल्डुक के सम्बंध व्यापारिक स्वार्थ से रहा करता है, तो यह निर्विवाद है कि उसके निजी स्वार्थों और उसके राजनैतिक कर्तव्यों की आपस में सदैव टक्कर होते रहने का भय उपस्थित रहेगा और जब-जब ऐसा समय आयेगा तो वह नित्य अपने स्वार्थों के ही पक्ष में फैसला करेगा।”

यह केवल एक विद्वान की राय है। इसी प्रकार और भी अनेकों विद्वानों की राय इस विषय में उद्भृत की जा सकती है। सबों का निष्कर्ष केवल यह है कि पार्लिमेंट के मेम्बरों के लिए व्यापारी या व्यवसायी होना उनके राजनैतिक कर्तव्यों के पालन में बाधक है। एक कोयते की खदान का मालिक यदि कोयले की खदान-सम्बंधी बिल पर बोलता है या राय देता है, अथवा यदि किसी जहाज का मालिक जहाज-सम्बंधी बिल पर बोलता या राय देता है तो ऐसी दशा में दोनों ही अपने अपने पक्ष का स्वयं निर्णय करने के अपराधी हैं और इस सम्बंध का अलिखित कानून तोड़ रहे हैं। कितु यह कानून केवल अपने व्यवसाय को सार्वजनिक पैसे से सहायता दिलाने से ही नहीं तोड़ा जाता, अपने वर्ग या समूह के लाभार्थ कार्यवाही करके भी यह तोड़ा जा सकता है। उदाहरणार्थ, सटैंक्स अदा करने वाला एक रईस मेम्बर यदि सटैंक्स की वृद्धि के विपक्ष में वोट देता है अथवा एक जमीदार मालगुजारी बढ़ाने के विरुद्ध बोलता है तो उस अवस्था में भी उपरोक्त कानूनी सिद्धात का अपहनन ही होता है, कारण कि इस प्रकार वह न केवल अपने ही स्वार्थ के पक्ष में फैसला करता है, बल्कि अपने उस छोटे से समूह के पक्ष में भी फैसला देता है, जिसकी संख्या संपूर्ण प्रजा में केवल एक प्रतिशत है।

प्रथम अध्याय में हम देख आये हैं कि अनुदार दल के पार्लिमेंटी मेम्बरों में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो उन्हे साधारण प्रजा से

बिल्डुल अलग किये रहती है। अर्थात् वे साधारण नागरिकों की अपेक्षा अत्यधिक धनवान हैं। अब इस अध्याय में उनकी एक दूसरी विशेषता का दिग्दर्शन होगा। वह यह कि एक बहुत बड़ी सख्त्य में पार्लिमेटी सदस्य व्यापारी दुनिया के महारथी और मजदूरों के मालिक हैं। कामन्स सभा के इस समय ४१५ सरकारी सदस्यों में से कम से कम १८१ अर्थात् करीब ४४ प्रतिशत सदस्य ऐसे हैं जो कम्पनियों के डायरेक्टर और मजदूरों के मालिक बने हुए हैं। पहिले इनकी सख्त्य इससे अधिक थी।

समस्त वृटिश जनता में यदि हिसाब लगा कर देखा जाय तो कुल कम्पनी-डायरेक्टरों की सख्त्य उसके ०·१% प्रतिशत भाग से अधिक नहीं है। अस्तु, यह चित्र देखने ही योग्य है कि—

निर्वाचकों में तो कम्पनी-डायरेक्टर केवल ०·१% है, किन्तु अनुदार दिल में कम्पनी-डायरेक्टर ४४% हैं।

यह हिसाब भी वास्तविक स्थिति से कुछ कम ही करके दिखाया गया है, कारण कि इसमें मन्त्रिमंडल के सदस्यों की गणना नहीं की गयी है। मन्त्रिमंडल के सदस्यों के लिए एक कानून है कि वे मन्त्री-पद पर होते हुए कम्पनी-डायरेक्टर नहीं रह सकते। अस्तु, उतने समय के लिए उन्हें डायरेक्टर-पद से अलग हो जाना पड़ता है, किन्तु बाद में वे फिर डायरेक्टर बन सकते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाय तो मन्त्रिमंडल के भी अधिकाश सदस्य किसी न किसी समय कम्पनी-डायरेक्टर जल्द रह चुके हैं। इन्हे शामिल करने से उपरोक्त ४४% का आँकड़ा और अधिक बढ़ जायगा। मन्त्रियों को डायरेक्टर-पद से अलग रखने वाला यह कानून भी उसी सिद्धात का पोषक है जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है, अर्थात् “किसी व्यक्ति को अपने पक्ष में निर्णय करने का अधिकार नहीं।”

अधिकाश अनुदार सदस्य ऐसे हैं जो यद्यपि किसी कंपनी के डायरेक्टर तो नहीं, किन्तु हिस्सेदार बड़े जबर्दस्त हैं। फिर भी एक

भारी हिस्सेदार का महत्व भी डायरेक्टर से कम नहीं कहा जा सकता। उदाहरणार्थ, जब सन् १९२६ में इंगलैंड के कोयले की खानों का मगड़ा छिड़ा था उस समय तत्कालीन प्रधान मंत्री बाल्डविन साहब के पास बाल्डविन लिमेटेड नामक कोयले की एक बहुत बड़ी कंपनी के १,६४,५२६ साधारण शेयर और ३७,५६१ प्रिफरेन्स शेयर मौजूद थे। तब क्या वे अपने मामले में फैसला करने के उसी प्रकार अपराधी नहीं कहे जा सकते, जिस प्रकार कि यदि वे उस कंपनी के डायरेक्टर, हुए होते तो कहे जा सकते?

ध्यान रहे कि व्यवहारिक दृष्टि से किसी कंपनी की नीति अथवा कार्यवाहियों पर उसके छोटे-छोटे हिस्सेदारों का कोई प्रभाव नहीं हुआ करता। केवल बड़े ही हिस्सेदार उसे प्रभावित किया करते हैं। फिर भी हम यहाँ हिस्सेदारों को अपने ध्यान से अलग रख कर केवल कंपनी-डायरेक्टरों का ही जिक्र करेगे, कारण कि हर एक सदस्य के विषय में यह पता लगाना प्रायः असंभव सा है कि किसके पास कितने हिस्से हैं।

पार्लिमेंट के अनुदार सदस्यों में से १८१ व्यक्तियों को कपनी-डायरेक्टर का पद प्राप्त है और ये कुल मिला कर इस समय कम से कम ७७५ कंपनियों के डायरेक्टर हैं। व्यौरा नीचे की सूची में दिया जाता है :—

सरकारी सदस्यों में कंपनी-डायरेक्टर

व्यवसाय	सदस्यों की संख्या	उन सदस्यों की कपनियों संख्या जिसके द्वायरेक्टर	
बैंक	१६	१८	
जान बीमा	४३	४४	
फाइनेस कपनी तथा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	२७	४२	
रेल तथा हवाई जहाज	१८	३१	
जहाज	८	१४	
रोड ट्रान्सपोर्ट तथा नहर	५	१०	
मर्चेन्ट्स शिपिंग और फार्वर्डिंग एजेन्ट्स	११	२०	
केबल (cables), तार तथा बेतार का तार लोहा, इस्पात और कोयला) (जिसमें शास्त्रात्मक	१	१५	
इंजीनियरिंग	के काम और हवाई विद्या भी शामिल है)	१७ ४२	२६ ८०
शराब बनाना	११	२०	
खाद्यपदार्थों का बनाना	६	१३	
तम्बाकू बनाना	२	२	
पेटेन्ट दवाएँ	३	२३	
सूत और कपड़े के कारखाने	१८	३७	
छुपाई तथा कागज बनाना	८	१७	
अन्य कारखाने	२६	४०	
होटल और भोजनालय	१०	१६	
फुटकर स्टोर	१२	१८	
समाचार पत्र तथा अन्य प्रकाशन	१७	२४	
सिनेमा, थियेटर, कुक्तों की दौड़ कराना इत्यादि	१३	१५	
विजली-वर	७	४५	

व्यवसाय	सदस्यों की संख्या	उन कम्पनियों की संख्या जिसके द्वारा इसकर्त्ता की दबाव
गैस और पानी के कारखाने	१०	१२
मकान और इमारतों का निर्माण	१४	२६
जमीन जायदाद रखने वाली कंपनियाँ	२०	५२
तेल	७	६
सोने की खान का काम	१३	२५
दूसरे प्रकार की खाने	१२	१७
रबर के इलाके	३	१५
चाय तथा कहवा	७	६
अन्य प्रकार	१६	२१
टोटल		७७५
	१८१	

इस प्रकार १८१ अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य तो स्वयं ७७५ कम्पनियों के डायरेक्टर हैं। इनके अतिरिक्त अनेकों ऐसे भी हैं जिनके कुदुम्बी-जन अथवा निकट-संबन्धी लोग किसी न किसी बड़ी व्यापारी कंपनी के डायरेक्टर या मालिक हैं। साथ ही उनके बहुत से घरवाले और नातेदार लोग इन कम्पनियों में नौकर भी हैं। अस्तु, प्रकट है कि अनुदार दल के पार्लिमेंटी सदस्यों का एक बहुत बड़ा भाग देश की व्यापारिक संस्थाओं में अपना ज़बर्दस्त हाथ रखता है और उसका स्वार्थ इन संस्थाओं के स्वार्थ के साथ अत्यंत अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

राष्ट्र की सम्पत्ति पर शासन करने वाला प्रायः सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय बैंक तथा जान बीमा कंपनी है। इनके जितने डायरेक्टर पार्लिमेंट में बैठते हैं वह संख्या भी ध्यान देने योग्य है।

सरकारी शासन पर ये बैंक अपने इन डायरेक्टरों द्वारा भले ही कोई प्रभाव न डाले, किंतु इनका प्रतिनिधित्व तो सीधा सरकार में मौजूद रहता ही है और सरकारी अर्थनीति तथा सरकारी खजाने के साथ भी इनका सीधा सम्पर्क हो जाता है। एक बार जब किसी मामले में सरकार और बैंकों के बीच कुछ मतभेद पैदा हो गया था तो विलायत के “फैनेन्शियल टाइम्स” (Financial Times) नामक पत्र ने सरकारी मंत्री से सवाल करते हुए इस प्रकार लिखा था :—

“क्या मंत्री महोदय और उनके साथीगण इस बात को महसूस करते हैं कि पाँच बड़े-बड़े बैंकों के करीब आधे दर्जन कर्णधार यदि चाहे तो परस्पर मिलकर ‘ट्रेजरी बिल’ को नया करने से इनकार कर दें और इस प्रकार सरकारी अर्थनीति के तमाम ताने-बाने को उलट-पुलट दे ?”

जिन पाँच सुख्य बैंकों का यहाँ उल्लेख है वे बृटिश राष्ट्र की प्रायः सारी सम्पत्ति पर अपना एकछत्र शासन रखते हैं। उनकी कुल पूँजी करीब २०,५०,००००० पौंड हैं, और जो रकम उनके यहाँ करेन्ट डिपाजिट (Current deposit) तथा अन्य विविध खातों में जमा है उसकी तादाद तो २ अरब, १ करोड़ पौंड से भी ऊपर पहुँच जाती है। समस्त बृटिश प्रजा की सम्पत्ति का यह एक बहुत बड़ा हिस्सा समझा जा सकता है। अस्तु इसमें सदेह नहीं कि, जैसा कि फैनेन्शियल टाइम्स का कहना है, ये बैंक यदि चाहे तो एक कमजोर सरकार की नींव को जड़ से हिला डालने की पूरी क्षमता रखते हैं।

बैंक के डायरेक्टर लोग साधारणतः किस श्रेणी के मनुष्यों में से हुआ करते हैं इसका परिचय उनकी उस सख्त्या से मिल सकता है जिसे सन् १९३१ से लेकर आजतक वर्तमान ‘राष्ट्रीय सरकार’ के प्रधान मन्त्रियों द्वारा ‘लार्ड’ की उपाधि दिलवाइ जा चुकी है।—

बैंक आफ इंग्लैंड	.	..	२
वाक्फ़ेज बैंक	३

लयॉड बैंक	...
मिडलैंड बैंक	...
नैशनल प्राविन्शल बैंक	...
वेस्ट मिनिस्टर बैंक	..

ये बैंक देश के धन और व्यापार पर अपनी पूँजी के साथ हाज से कही ज्यादा शक्तिशाली हाथ रखते हैं। इनका अधिकार न केवल अपने हिस्सेदारों के ही धन पर रहता है, बल्कि करोड़ों अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति पर भी रहा करता है।

यही कारण है कि कुछ प्रजातंत्रवादी देशों में बैंकरों के राजनैतिक आचरणों पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। उदाहरणार्थ ३० दिसम्बर सन् १९२८ को फ्रास में एक कानून इसी प्रकार का बना था, जिससे फ्रेंच पार्लिमेंट के मेम्बरों को अपनी मेम्बरी के समय तक किसी बैंक अथवा अन्य किसी महाजन-पेशा कंपनी के डायरेक्टर होने की मनाही करदी गई थी। इस कानून के पास होने में ५७५ वोट पक्ष में मिले थे और केवल ३ वोट विपक्ष में, जो इस बात को सिद्ध करता है कि जनता के विचार इस विषय में कितने जोरदार थे।

इंग्लैंड में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ कोई भी पार्लिमेंट का सदस्य, बैंक का डायरेक्टर बन सकता है और कोई भी बैंक का डायरेक्टर पार्लिमेंट का सदस्य हो सकता है। उदाहरणार्थ, इस समय भी एक डायरेक्टर बैंक आफ़ इंग्लैंड का, एक डायरेक्टर मिडलैंड बैंक का तथा दो डायरेक्टर नैशनल प्राविन्शल बैंक के पार्लिमेंट की मेम्बरी कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त पूर्वोक्त पाँचों मुख्य बैंकों के अनेक डायरेक्टर ऐसे भी हैं, जो पार्लिमेंट के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं। और कुछ तो मंत्रिमंडल तक के भूतपूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं।

उदाहरणार्थ, वाईकाउन्ट रन्सीमैन (Vicount Runciman) जो सन् १९२४ से १९३१ तक वेस्ट मिनिस्टर बैंक के

डायरेक्टर थे पार्लिमेट मे भी सन् १९२४ से सन् १९३७ तक मेम्बरी कर रहे थे। सन् १९३१ मे वह मन्त्रीमंडल मे दाखिल हुए। अतएव उक्त डायरेक्टरी से उन्हे इस्तीफा दे देना पड़ा। सन् १९३७ मे वह, 'पीयर' (Peer) के पद पर चढ़ा दिये गये और वे फिर उसी बैंक के डायरेक्टर निर्णात हुए। अत मे १९३८ मे जब वे पुनः मन्त्रीमंडल मे पहुँचे तब उन्हे फिर अपनी इस डायरेक्टरी से इस्तीफा देना पड़ा।

इसी प्रकार वाइकाउन्ट हार्न (Viscount Horne), जो इस समय लायड बैंक के डायरेक्टर है, सन् १९१६ मे मजदूर विभाग के मन्त्री (Minister of Labour) थे, सन् १९२०-२१ मे बोर्ड आफ ट्रेड के प्रेसिडेन्ट थे तथा सन् १९२१-२२ मे चान्सलर आफ एक्सचिकर थे। ये सब पदाधिकार उन्हे स्वभावतः मन्त्रीमंडल के सदस्य की ही हैसियत से मिले थे। इनके अतिरिक्त वह सन् १९१८ से १९३७ तक अनुदार दन की ओर से पार्लिमेन्ट के मेम्बर भी रह चुके हैं।

इसी प्रकार और भी कितने ही बैंक डाइरेक्टरो के उदाहरण दिये जा सकते हैं। ये तमाम बड़े-बड़े बैंक-डायरेक्टर अनुदार दल मे तथा देश के शासन मे भी समय समय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेते रहे हैं।

इनके अतिरिक्त अनेकों बैंक-डायरेक्टरो तथा पार्लिमेट के मेम्बरों में कौटुम्बिक सम्बन्ध भी स्थापित है। उदाहरणार्थ, अनुदार पार्लिमेटी मेम्बर, वार्डकाउन्ट उल्मर (Viscount Wolmer M. P.) के पिता लायड बैंक के डायरेक्टर हैं। इसी प्रकार लार्ड रिचार्ड कैवेनडिश (Lord Richard Cavendish) भी जो स्वयं किसी समय में पार्लिमेन्ट के सदस्य रह चुके हैं, इस समय दो अनुदार पार्लिमेटी सदस्यों के श्वसुर होते हैं।

अभी तक जिन बैंक-डायरेक्टरों का उल्लेख किया गया है वे सब हॅगलिस्तान के केवल पाँच सबसे बड़े बैंकों के ही डायरेक्टर थे। इनके अतिरिक्त लगभग ग्यारह और भी ऐसे बैंक हैं जिनके डायरेक्टर

पार्लीमेन्ट के मेम्बर हैं। इन सबों का अलग-अलग व्यौरा देने के लिए बहुत ज्यादा स्थान की जरूरत होगी। अतएव संचेप में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस समय कामन्स सभा (House of Commons) में सरकारी पक्ष के करीब सोलह मेम्बर ऐसे हैं जो भिन्न-भिन्न बैंकों के डायरेक्टर हैं। इनमें से जो लोग बड़े बैंकों के डायरेक्टर हैं वे देश के शासन में मुख्यरूप से भाग लेना अपना स्वाभाविक अधिकार मानते हैं, और यही लोग अनुदार दल के नेताओं में भी समझे जाते हैं।

बीमा कंपनियों का भी महत्व आर्थिक जगत् में बैंकों से किसी प्रकार कम नहीं रहता। वे भी अपार धन-मंडार की स्वामिनी होती हैं और उनका सरकार पर बड़ा भारी ऋण रहता है। इस समय करीब ३५ करोड़ पौंड का सरकारी काशज केवल उनके ही अधिकार में है। यदि धन के विचार से मिलान करके प्रति लाख पौंड देखा जाय तो जान बीमा कंपनियों की आर्थिक शक्ति बैंकों की अपेक्षा भी अधिक रहती है, कारण कि उनके फंड का एक बहुत बड़ा भाग साधारण शेयरों और स्टाकों में लगा रहता है, जिससे उनका प्रभुत्व देश के वाणिज्य और व्यवसाय के एक बहुत बड़े अंश पर कायम हो जाता है।

वर्तमान सरकारी पक्ष में इनका प्राधान्य कितना जर्दस्त रहा करता है इसका अन्दाज़ा केवल इसी से किया जा सकता है कि बृटिश मंत्रिमंडल के अनेकानेक सदस्य किसी न किसी जान बीमा कंपनी से अवश्य सम्बंध रखते हैं और उसके भूतपूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं। उदाहरणार्थ, लार्ड हेल्शम, अर्ल विवरटन, सर सैमुअल होर आदि सभी मंत्री-गण जान बीमा कंपनियों के भूतपूर्व डायरेक्टर कहे जा सकते हैं। तारीख २७ अक्टूबर सन् १९३८ को विलायत के इविनिंग स्टैन्डर्ड' (Evening Standard) नामक पत्र ने लार्ड हेल्शम के मंत्रिमंडल से अलग होने की सभावना पर टिप्पणी करते हुए लिखा था:—

“हमारा खयाल है कि अब वह बड़ी-बड़ी जान वीमा कंपनियों की कौन्सिल में घुसेगे”।

इसके अतिरिक्त बैंकों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और जान वीमा कंपनियों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में भी बड़ा धना सम्बन्ध रहा करता है। एक के डायरेक्टर वहुधा दूसरे के भी डायरेक्टर बने दिखाई देते हैं। साथ ही लगभग २७ अनुदार पार्लिमेन्टी मेवर ऐसे भी हैं जो करीब ४२ महाजन-पेशा कंपनियों (Finance Companies) में भी डायरेक्टर हैं। इनमें से कुछ कंपनियाँ तो इतनी बड़ी हैं कि उनकी पूँजी तथा कारवार करोड़ों पौँड तक पहुँचती है।

पूर्व कथित पाँच मुख्य बृद्धिश बैंकों तथा कुछ सबसे बड़ी जान वीमा कंपनियों के बोर्ड में जो लोग सदस्य हैं उन्हीं में से अधिकाश लोग बृद्धिश द्वीप की मुख्य-मुख्य व्यवसायी कंपनियों के भी प्रधान बने हुए हैं। उदाहरणार्थ बैंक-डायरेक्टरों में से लार्ड पेरी (Lord Perry), जिन्हे विलायत की वर्तमान राष्ट्रीय गवर्नर्मेंट की ओर से अभी हाल में लार्ड की उपाधि दी गई है, इस समय ब्रैटेन में तथा अन्य नौ देशों में स्थापित फोर्ड मोटर कंपनी के भी चेयरमैन हैं। इसी प्रकार लार्ड स्टाम्प, लार्ड पेन्डर, लार्ड डेविस, लार्ड मेकगाउन (Lord McGowan, Chairman of Imperial Chemical Industries), लार्ड एसेन्डन आदि कितने ही व्यक्तियों के नाम गिनाये जा सकते हैं। ये सब लोग बैंकों के डायरेक्टर होने के साथ ही विलायत की बड़ी से बड़ी व्यापारी कंपनियों के भी चेयरमैन अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

अत्तु, विलायत के बड़े-बड़े बैंकों की जो नीति स्थिर होती है वही वात्तव में वहाँ के सबसे बड़े व्यापारी मडल की सामूहिक नीति कही जा सकती है। बैंकों तथा अन्य बड़ी व्यापारी कंपनियों में किसी प्रकार का मतभेद अथवा स्वार्थों की टक्कर नहीं दिखाई देती, कारण कि दोनों ही का शासन-सूत्र वात्तव में एक ही व्यक्तियों के हाथ में है।

इस प्रकार बैंक तथा जान-बीमा कंपनियाँ विलायत के उस व्यवसायि-मंडल के साथ अभिन्नरूप से मिली हुई हैं, जो कि वहाँ के मजदूरों का सबसे बड़ा मालिक-वर्ग कहा जा सकता है; और यही लोग अधिकतर अपने-अपने संघों (Employers Organisations) द्वारा व्यवसायिक नीति को निश्चित करने में भी पूरा हाथ रखते हैं। इस प्रकार के बड़े-बड़े संघों में से एक का नाम “फेडरेशन आफ बृटिश इंडस्ट्रीज़” है। यह सध सन् १९१६ में स्थापित किया गया था और इस समय इसमें व्यक्तिगत रूप से लगभग २६०० व्यापारिक संस्थाएँ सदस्य हैं तथा करीब १८० व्यापारिक मंडल इसमें सामूहिक रूप से भी शामिल हैं।

यह फेडरेशन समय-समय पर बृटिश समाज के लिए कई आवश्यक कानूनों के बनते समय पार्लिमेंट पर अपना प्रभाव सावित कर चुका है। सब से पहिले इसने सन् १९१८ के शिक्षा-सम्बंधी कानून तथा ‘अतिरिक्त लाभ-कर’ (Excess Profits Tax) के विरुद्ध आन्दोलन उठाया था। प्रत्यक्ष कर (direct taxation) की वृद्धि के विरुद्ध इसका विरोध सदा से देखा जाता रहा है।

प्रति वर्ष सरकारी बजट पेश होने के पहिले इसकी ओर से एक मेमोरेन्डम तैयार किया जाता है, जिसमें टैक्सों के सम्बंध में तथा दूसरे सुधारों के बाबत व्यापारी मंडल की क्या राय है इसका वर्णन रहता है। यह मेमोरेन्डम अर्थ-मन्त्री (Chancellor of the Exchequer) के पास भेज दिया जाता है। पश्चात् इस के साथ सम्बंध रखने वाले तमाम पार्लिमेंटी सदस्य तथा उनके सहायक लोग बजट को उसी मेमोरेन्डम के अनुकूल तैयार करने के लिए सरकारी मंत्रियों पर अपना-अपना दबाव डाला करते हैं।

अभी हाल की बात है कि सरकार की ओर से पार्लिमेंट में एक निल प्रस्ताव के रूप में रखा गया था, जिसका मतलब यह था कि बृटिश सैनिक तैयारियों के लिए जो खर्च की आवश्यकता आ पड़ी

है उसका कुछ हिस्सा बड़े व्यापारियों पर टैक्स लगा कर वसूल किया जाय। इसपर उपरोक्त फेडरेशन ने अन्य कई व्यापारी-मडलों के साथ मिलकर तारीख २७ मई सन् १९३७ को यह प्रस्ताव पास किया कि जब तक उक्त सरकारी विल में “भरपूर सशोधन” (drastic amendments) न किया जाय तब तक वह ‘कर देने वालों को किसी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकती।’ अत मेर सरकार को मुक्त जाना पड़ा और फेडरेशन की पूरी-पूरी विजय हुई। बिल वापस ले लिया गया, और उसके स्थान पर जो नया विल बाद मे पेश हुआ उसमे फेडरेशन की इच्छानुसार ही तमाम वातों मे सशोधन कर दिया गया था।

यह ‘फेडरेशन’ व्यवसाय-मालिकों की केवल एक संस्था है। इसके अतिरिक्त अलग-अलग प्रकार के व्यवसाइयों के और मी बहुत से अलग अलग सघ कायम हैं, जिनमे से अधिकाश के कोई न कोई कार्य-कर्ता पार्लिमेट मे अनुदार-दल की ओर से सदस्य बने हुए हैं। नीचे इन पार्लिमेटी सदस्यों के नाम सहित केवल कुछ थोड़े से उक्त सधों की एक सूची दी जा रही है, जिससे पाठकों को प्रत्यक्ष हो जायगा कि वर्तमान सरकारी अनुदार पक्ष मे बड़े-बड़े व्यापारियों का कैसा प्रतिनिधित्व है:—

संघों के नाम

सन् १९३८ में सदस्यों के नाम जो पार्लिमेंट में अचुकार दख
की ओर से बढ़ते हैं

- | | |
|--------------------------------------|---|
| १—फेडरेशन आफ बृटिश इनडस्ट्रीज | ... सर पैट्रिक हैनन (वाइस प्रेसिडेन्ट) |
| २—नैशनल यूनियन आफ मैन्युफैक्चरर्स | ... सर पैट्रिक हैनन (प्रेसिडेन्ट) |
| ३—नैशनल चैम्बर आफ ट्रेड | ... सर जार्ज मिट्केसन
(Sir George Mitchenson) } (वाइस प्रेसिडेन्ट) |
| ४—एसोसिएशन आफ बृटिश चैम्बर आफ कामर्स | सर एलन एन्डरसन—(भूतपूर्व समाप्ति) |
| | सर चाल्स गिल्सन—(हिप्टी प्रेसिडेन्ट) |
| ५—फेडरेशन आफ कामर्स | सर चाल्स गिल्सन—(हिप्टी प्रेसिडेन्ट) |
| आफ दि बृटिश इम्पायर | सर चाल्स गिल्सन—(हिप्टी प्रेसिडेन्ट) |
| ६—इन्टरनैशनल चैम्बर आफ कामर्स | सर एलन एन्डरसन—(आनरेरी प्रेसिडेन्ट) |
| | सर चाल्स गिल्सन—(बृटिश कमेटी के मेम्बर) |
| ७—बृटिश जनियर चैम्बर आफ कामर्स | सर चाल्स गिल्सन—(बृटिश कमेटी के भूतपूर्व चेयरमैन) |

तमाम व्यवसाय-संघों की सम्पूर्ण सूची देने में कई पृष्ठ भर जायगे। इसलिए इतने ही से संतोष करते हैं। इसी प्रकार जागीरदारों के भी कई एक सघ ऐसे हैं, जिनके चुने-चुने कार्य-कर्ता लोग अनुदार सरकारी दल की ओर से पार्लिमेट में बैठते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्लिमेट में सरकारी अनुदार पक्ष का एक बड़ा जबर्दस्त हिस्सा बृटिश समाज के उस वर्ग से लिया गया है जो या तो जमीन और जायदाद का मालिक है अथवा अपने कारखानों में मजदूरों से काम लेता है। इस वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य निजी स्वार्थ केवल इस बात में है कि अधिक से अधिक अपनी आमदनी करने और डिवीडेन्ड बटोरने के लिए सरकार से किस प्रकार भाँति-भाँति की सहूलियते प्राप्त की जाय। मिस्टर मार्सिस हेली हचिन्सन (Mr. Maurice Hely Hutchinson, M. P.) ने स्वयं एक बार कहा था कि,

“धन का हेर-फेर ही मेरा पेशा है। मैं जानता हूँ कि यही समस्त व्यापार की जननी है, जिसका पिता मुनाफे का प्रेम है।”

यह उक्ति उपरोक्त वर्ग के तमाम अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों पर लागू कही जा सकती है, और चूँकि इस प्रकार के सदस्यों की ही सरकारी पक्ष में प्रधानता है, अतएव सरकार की नीति और आदर्शों पर भी इसकी गहरी छाप पड़े बिना नहीं रह सकती। यही कारण है कि सन् १९२९ में ‘डिरेटिंग एक्ट’ (De-rating Act, 1929) नामक कानून बनाया गया था। इस कानून के द्वारा व्यापारियों पर लगा हुआ रेट्स ७५% कर माफ कर दिया गया, जिससे सन् १९३० से लेकर सन् १९३७ तक मेरे व्यापारियों की जेव के करीब १७ करोड़ पौंड बच गये। इस कानून की सारी जिम्मेदारी मिस्टर चेम्बरलेन पर ही थी, जो इस बात का एक दूसरा उदाहरण है कि अनुदार सरकारी दल किस प्रकार अपने पक्ष फा फैसला अपने ही हाथों से कर लिया करता है। व्यान रहे कि अधिकांश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों

व्यापारियों के हाथ में राज्य का शासन

की भाँति मिस्टर चेम्बरलेन भी स्वयं बड़ी-बड़ी व्यापारी कंपनियों के हिस्सेदार हैं। उपरोक्त कानून के बनने से सरकारी आय में जो भारी घटा हुआ उसकी पूर्ति के लिए दूसरे प्रकार के टैक्स ग्रीब जनता पर लाद दिये गये। अर्थात् ग्रीब जनता की गाँठ कतर कर अमीर व्यापारियों के भरे हुए जेब को और अधिक भरा गया।

यही दशा सरकारी टैक्सों के सम्बंध में भी दिखाई देती है। सन् १९३१ से १९३६ तक अमीरों पर लगे हुए टैक्स की रकम तो करीब-करीब एक ही सी बनी रही, किंतु ग्रीबों पर टैक्स की बहुत इयादा बृद्धि कर दी गई। प्रमाण स्वरूप सन् १९२६-२० में इनकम टैक्स और स्टैक्स से होने वाली आमदनी की रकम करीब २६ करोड़ ४० लाख पौंड थी, और सन् १९३५-३६ में भी यह रकम केवल २८ करोड़ ६० लाख पौंड ही रही, किंतु इन्हीं वर्षों में सरकारी चुंगी की आमदनी १२ करोड़ पौंड से बढ़ कर १६ करोड़ ६० लाख पौंड तक पहुँच गई। कहना न होगा कि यह चुंगी की आमदनी का अधिकाश बोझ वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने से सदा ग्रीबों के ही शिर पर लदता है।

इस प्रकार ग्रीबों की गाँठ से दिन पर दिन अधिक पैसा निकालने की नीति का अवलभवन सन् १९३१ से किया जा रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस अनुदार सरकारी बहुमत पर है, जिसके अधिकाश सदस्य स्टैक्स अदा करने वाले वेहद अमीर हैं। सन् १९३७ के बाद सैनिक तैयारियों के कारण खर्च बढ़ जाने से अवश्य ही सरकार को मजबूर हो कर अमीरों पर भी कुछ टैक्स बढ़ाने पड़ गये हैं, किंतु फिर भी यह नये टैक्स की रकम उस रकम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो अमीर व्यापारियों के समूह ने सैनिक तैयारियों के लिए नये-नये आर्डर सहाई करने में पैदा कर ली है।

टैक्स-सम्बंधी कानूनों का ग्रीबों और अमीरों की आपेक्षिक स्थिति पर बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार समाज पर ऐसे कानूनों

का प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता, जिनके द्वारा लोगों की आर्थिक स्थिति तथा रहन-सहन में सुधार किया जाता है। अस्तु, अब तक मजदूर-सम्बधी कानूनों के विषय में व्यापारी मालिकों से भरी हुई इस सरकार ने क्या किया है यह प्रश्न ध्यान देने योग्य है। डाक्टर डब्लू० ए० राव्सन, जो कि इस सम्बध में एक विशेषज्ञ कहे जा सकते हैं, अपनी राय इस प्रकार देते हैं:—

“जहाँ तक मजदूरों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा का प्रश्न है, तथा उनके काम करने के घटों को निश्चित करने एवं उनके बच्चों को काम में लगाने का सवाल है, हम यह कह सकते हैं कि हमारा ‘मजदूर कानून’ विलकुल मुदाँ हो गया है अथवा बहुत ही नुटिपूर्ण बन गया है, इस सम्बध में हमारी कानूनी ऊँचाई पिछले तीस साल से बराबर नीचे ही की ओर गिरती जा रही है। उन्नीसवीं शताब्दी में जो कुछ हमने इस सम्बध में कर दिखाया था उससे भी हम इस समय पीछे हट गये हैं और दूसरे देशों की अपेक्षा हम बहुत पिछड़े हुए दिखाई देते हैं।”

मजदूरों के हितों की रक्षा का कानून स्वभावतः कारखाने के मालिकों की निरकुशता पर एक प्रकार का बधन सा सिद्ध होता है। यह मालिकों को अपने मजदूरों से एक निश्चित समय से अधिक काम नहीं लेने देता, एक निश्चित उम्र से काम अवस्था वाले बच्चों को भी कुछ विशेष प्रकार के कामों में लगाने से रोकता है, तथा मजदूरों की मजदूरी भी एक निश्चित दर से कम नहीं देने देता। इस प्रकार देश के व्यवसाय पर जनतंत्र शासन का यह एक प्रकार से श्रीगणेश सा कहा जा सकता है। अतएव कारखाने वालों को स्वभावतः यह सब नापसद होना ही चाहिए। उनकी समझ में ये सब मामले हर एक फैक्टरी मालिक के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वयं तय करने के हैं। सरकार को उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसमें सदेह नहीं कि समय के प्रवाह से ये लोग भी मजदूरों के हक में इस समय कुछ थोड़ी बहुत कानूनी गुंजाइश करने को तैयार हैं, किन्तु अधिक पतिव्रध ये अपनी निरकुश-

शक्ति पर किसी प्रकार नहीं लगने देना चाहते। अस्तु, यही कारण है कि जिस समय प्रजातंत्रवादी फ्रांस में मजदूरों से अधिक से अधिक चालीस घटे प्रति सप्ताह काम लिये जाने का कानून बना था, इंगलैड में उस समय कितने ही प्रकार के कारखानों में ६०-६० घटे तक काम लेने की पथा मौजूद थी।

इसी प्रकार मजदूरों के खेसारे से सम्बंध रखने वाले कानूनों (Laws for workmen's compensation) के विषय में भी बृटिश ट्रेड यूनियनों की शिकायत एक ज़माने से चली आ रही है। उसके अतिरिक्त अभी हाल में जातीय स्वास्थ्य-बीमा (National Health Insurance) सम्बंधी कानून में कुछ सुधार करने के लिए विलायत के बृटिश मेडिकल एसोसियेशन ने कुछ सिफारिशों की थी, किन्तु मिल-मालिकों को इससे अपने मजदूरों के वास्ते और प्रैसे खर्च करने पड़ते इसलिए उनकी अनुदार सरकार ने उन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

वास्तव में जब तक देश में जनसत्तात्मक शासन न कायम हो, तब तक वहाँ सार्वजनिक हित के कामों की कोई विशेष आशा नहीं की जा सकती। ग्लैडस्टन (Gladstone) ने एक बार कहा था:—

“हम यह हर्गिज़ मानने को तैयार नहीं कि देश का 'कोई भी विशिष्ट वर्ग, जनता की इच्छा के विरुद्ध इस राष्ट्र के भाग्य का नियन्त्रण करने का अधिकारी हो सकता है, चाहे वह वर्ग अमीरों का हो अथवा शरीफों का अथवा किसी दूसरे प्रकार का हो।'

वास्तव में जनतंत्रवाद का यही सच्चा आदर्श है जो बृटिश अनुदार दल के राजनीतिज्ञों के विचारों से बिल्कुल भिन्न है। इन राजनीतिज्ञों का तो एकमात्र आदर्श केवल अपने व्यापार को ही बढ़ाना तथा उसके द्वारा धन प्राप्त कर के अपनी शक्ति एवं अधिकार में उत्तरोत्तर बढ़ा करते जाना है। जनतंत्रवादी भावों को भला ऐसों के पास कैसे स्थान मिल सकता है।

तीसरा अध्याय

गोला-बारूद के कारखाने वाले पार्लिमेंट के मेम्बर हैं

“लार्ड वेमिस (Lord Wemyss) को विश्वास था कि लडाई के असली पैदा करने वाले वे लोग हैं जो एक बहुत ही अलग स्थान से पाये जाते हैं। लडाई छिड़ने से वर्षों पहले उन्होंने युद्ध-सामग्री ट्रस्टों (Armament trusts) की घृणित कार्रवाइयों को देखा, उन्होंने देखा कि किस प्रकार ये ट्रस्ट वाले पत्रकारों की मुट्ठी गरम करके भिन्न-भिन्न देशों के सार्वजनिक सत्र को प्रभावित किया करते हैं और फिर किस प्रकार राष्ट्रों के बीच वे सन्देहात्मक भावों को उत्पन्न करके आपस में झोंह तथा शत्रुतापूर्ण वातावरण फैलाते हैं और फिर किस प्रकार अंतराष्ट्रीय झगड़ों को वे लोग उभाड़ दिया करते हैं।”—(Biography of Lord Wester Wemyss, First Sea Lord, 1917-19).

जार्ज तृतीय के राज्य-काल में पार्लिमेंट से एक कानून पास हुआ था, जिसके अनुसार किसी सरकारी कन्ट्राक्टर (अर्थात् ठेकेदार) के लिए पार्लिमेंट में बैठना जुर्म बतलाया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि ऐसा व्यक्ति यदि पार्लिमेंट का संदस्य बनेगा तो स्वभावतः उसके निजी स्वार्यों का उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के साथ विरोध पड़ेगा, अतएव इसके लिए ऐसा अवसर आने ही न दिया जाय। वास्तव में यही अकेली एक ऐसी मिसाल है जिसमें पार्लिमेंट की ओर से उसके सदस्यों पर यह सिद्धात लागू करने की चेष्टा की गयी है कि “कोई व्यक्ति अपने हाथ से स्वयं अपने पक्ष में फैसला नहीं दे सकता।”

किंतु इस कानून में भी युद्धायवश कुछ त्रुटि बनी ही रह गयी, कारण कि यह सामूहिक रूप से काम करने वाली कम्पनियों पर लागू नहीं होता, जिससे सरकारी ठेका लेने वाली कंपनियों के हिस्सेदार और डायरेक्टर लोग बिना किसी रुकावट के पार्लिमेंट में बैठ सकते हैं। अस्तु, युद्ध-सामग्री तैयार करने वाली कम्पनियों के भी हर एक हिस्सेदार और डायरेक्टरगण पार्लिमेंट की मेम्बरी करने के हकदार समझे जाते हैं।

सन् १९३६ के रायल कमीशन की एक सिफारिश यह थी कि युद्ध-सामग्री बनाने वाली कम्पनी में कोई भी सरकारी अफसर, चाहे वह सरकारी नौकरी पर हो या नौकरी से अलग हो चुका हो, बिना उस विभाग के मन्त्री की आज्ञा प्राप्त किये कोई नौकरी न कर सकेगा, जिसमें वह काम कर रहा हो। इस प्रकार की सिफारिश का एक मुख्य कारण यह था कि सरकारी अफसरों को यदि किसी कम्पनी की ओर से एक भारी तन्खवाह पर नियुक्ति पाने की लालच मिल जाती थी तो वे संभवतः उस कपनी पर अपनी अनुचित कृपादिखला सकते थे। फिर भी ये सरकारी अफसर अपने विभाग के मुख्य अधिकारी के प्रति सदा उत्तरदायी रहा करते हैं। अतएव बिना किसी विशेष कानून के भी उनका यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार विभाग के अधिकारी द्वारा हर समय रोका जा सकता है। परन्तु पार्लिमेंटी सदस्य के ऊपर तो कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है। वह तो सरकार की युद्ध-व्यय सम्बन्धी संपूर्ण नीति को भी अपने अनुकूल बनाने के लिए हर प्रकार की कुचेष्टाएँ कर सकता है। उदाहरण के तौर पर वह युद्ध-सामग्री के खर्च का एस्टिमेट (Estimate) बढ़वाने के लिए जोर दे सकता है, जिसमें उसका निजी लाभ है, सैनिक ठेके से मनमाना लाभ कमाने के लिये सरकारी प्रबंध में ढील डलवा सकता है तथा सरकारी परराष्ट्रनीति की गति में भी इस प्रकार के प्रभाव पैदा कर सकता है, जिससे युद्ध-

सामग्री की माग यकायक बढ़ जाय और उसको अपनी जेब भरने का मौका मिले।

इसी कारण योरोप के अन्य कई देशों के शासन-विधान में इस प्रकार के कुछ शब्द जोड़ दिये गये हैं जिससे युद्ध-सामग्री तैयार करने वाले कारखानों के डायरेक्टर लोग वहाँ की पार्लीमेट में नहीं जा सकते। चेकोस्लोवाकिया, पुर्चगाल, हगरी, जुगोस्लाविया, पौलैंड, लैटविया तथा यूनान सभी के शासन विधान में इस प्रकार के नियम पाये जाते हैं। इंग्लैंड के लोकल ऐक्ट में भी इसी प्रकार का एक नियम मौजूद है, किंतु, कामन्स सभा के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं।

इस सबन्ध में पिछले महायुद्ध (सन् १९१४) के छिड़ने से कुछ ही महीने पहिले एक लेखक ने अपनी राय इस प्रकार लिखी थी :—

“यदि आज कोई मंत्री अपनी भूमि का एक टुकड़ा उस सरकार के हाथ बेच दे जिसका वह पदाधिकारी है, तो चारों ओर निदा की जीभ चटकने लग जाय। . . किंतु लड़ाई के जहाज, तोप, बदूक, गोला-बारूद तथा अन्य तमाम सैनिक वस्तुओं की खरीदारी ऐसी कम्पनियों से करना जिनमें इन्ही मंत्रियों के दोस्त, सहायक और रिश्तेदार लोग मैनेजर, डायरेक्टर अथवा हिस्सेदार बने हैं, वृद्धि शासन-विधि का एक साधारण आग दिखाई देता है।..... यह बात विल्कुल कानून के अंदर समझी जाती है कि इन कम्पनियों का कोई भी डायरेक्टर कामन्स सभा में बैठ कर उस व्यय में वृद्धि की माग पेश करे जिसका कुछ हिस्सा उसके कारखाने को मिलता है। केवल कानून के अदर ही नहीं, बल्कि यह देशभक्ति का एक प्रबल प्रमाण भी समझा जाता है कि किसी बड़े दल के नेता लोग देश में घराहट का वह तूफान पैदा करे, जिसके परिणाम में उनके साथियों के घर आमदनी की वरसात हो जाय।”

इसी प्रकार सन् १९१४ की कामन्स संभा में इसी सम्बंध में बोलते हुए मिस्टर फिलिप स्नोडन ने भी कहा था :—

“अब, हिस्सेदार कौन लोग हैं? इनकी पूरी सूची बतलाने में तो बहुत समय लग जायगा। केवल थोड़े से चुने हुए नाम दे देता हूँ। कितु मैं देखता हूँ कि इस सभा के माननीय सदस्यगण ही इस सूची में अधिकतर मौजूद हैं। सच तो यह है कि ऐसा कोई पत्थर विरोधी बेचों की तरफ फेकना असंभव है जो किसी ऐसे सदस्य को लगे जो इन्हीं में से किसी न किसी फर्म का हिस्सेदार न हो।”

अब जरा देखिए कि सन् १९१४ से वर्तमान अवस्था में क्या अतर पड़ा है? इस समय युद्ध-सामग्री की माँग बढ़ने में जिन पार्लिमेंटी अनुदार सदस्यों का स्वार्थ है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम ये हैं :—

पार्लिमेंटी सदस्यों के नाम	युद्ध-सामग्री के कारखाने जिनके वह डायरेक्टर हैं
----------------------------	---

राइट आनरेबुल सर जान एन्डर्सन वाइकर्स क० (Vickers Co.)

(मंत्रिमंडल में पहुँचने के समय तक)

राइट आनरेबुल एल० एस० एमरी कैमेल लेर्ड (Cammel Laird)

सर यूजीन रैम्सेंडेन बी० एस० ए०

सर पैट्रिक हैनन बी० एस० ए०

यह केवल कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कपनी-डायरेक्टरों के थोड़े से नाम हैं। हवाई जहाज-सम्बंधी कपनियों के जो लोग डायरेक्टर हैं ऐसे अनुदार सदस्यों की सख्त्या कम से कम २३ हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी कपनियों के भी डायरेक्टर पार्लिमेंट के सदस्य हैं, जिनका स्वार्थ युद्ध-सामग्री तैयार करने वाले कारखानों के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरणार्थ, बहुत से इंजीनियरिंग फर्म कुछ अशों में अपने काम के लिए केवल सैनिक तैयारियों पर ही निर्भर हैं। इनके अतिरिक्त लोहे, कोयले, और फैलाद का काम करने वाले कारखाने भी इन्हीं के साथ

शामिल हैं। इन सबों की सूची उनके पार्लिमेट में बैठने वाले डायरेक्टरों के साथ प्रथम अध्याय में दी जा चुकी है।

वाइकर्स कपनी का कारखाना युद्ध सामग्री तैयार करने के लिए दुनिया में सबसे बड़ा समझा जाता है। इंगलैंड के अतिरिक्त स्पेन, जापान आदि दूसरे देशों में भी इसका बड़ा भारी कारबार फैला है। सन् १९३१ और १९३८ में, जिस समय राष्ट्रों के निःशास्त्रीकरण की वास्तविक आशा की जा रही थी, इस कपनी की आमदनी को काफी धक्का पहुंचा, जिसका रोना उसके चेयरमैन के मुँह से सन् १९३२ की वार्षिक जेनरल मीटिंग में इस प्रकार सुनाई देता था:—

“संसार भर में फैली हुई व्यापार की मदी और सार्वजनिक मत के दबाव में पड़कर निःशास्त्रीकरण सम्बधी होने वाली चर्चा दोनों ही ने मिल कर आपने व्यापार को बहुत अधिक धक्का पहुंचाया है।”

किंतु अब उन्हे खुश होना चाहिये। निःशास्त्रीकरण कान्फरेस विल्कुल असफल सिद्ध हुई और लीग आफ नेशन्स भी, जिसे उक्त चेयरमैन साहब वृणापूर्वक ‘एक भक्ती संस्था’ तथा ‘तमाशे की चीज’ कह कर पुकारते थे, अब एक कोने में डाल दी गई। साथ ही इंगलैंड तथा अन्य कितने ही राष्ट्र एक दूसरे की शक्ति को आजमाने के लिए अब सैनिक तैयारियों की दौड़ में अपनी-अपनी जान की वाजियाँ लगा रहे हैं।

सैनिक तैयारियों के सम्बंध में सरकारी खर्च जैसे-जैसे बढ़ता गया, वैसे ही वैसे वाइकर्स कपनी के डिवीडेन्ड की रकम भी तेजी के साथ बढ़ने लगी। सन् १९३३ में यह डिवीडेन्ड ४% बांदा गया था, सन् १९३५ में यह बढ़ कर ८% हो गया और फिर सन् १९३६ तथा १९३७ में यह १०% हो गया।^{४४}

^{४४} अब तो युद्ध छिट गया है। इसलिए अब इसके मुनाफे का क्या कटना है। नीसो उंगली थी मैं हूँ। —८० प्र० गोयल

सन् १९३६ में शास्त्रात्मों की तैयारी एवं व्यापार के सम्बंध में जॉच करने के लिए जो शाही कमीशन नियुक्त हुआ था उसकी एक बैठक में सर फिलिप गिब्स ने वाइकर्स कपनी के सर हर्बर्ट लारेन्स साहब से प्रश्न किया था कि:—

“अब जापान में जो बड़ी ज़बर्दस्त नौसैनिक नीति अखिलतयार की जा रही है उससे तो आप को ज़रूर कुछ वास्तविक लाभ होगा ?”

लारेन्स साहब ने जवाब दिया, “ज़रूर।”

वाइकर्स के समान कैमेल लेयर्ड कं॰ (Cammel Laird & Co. Ltd.) के भी डिवीडेन्ड वृटिश सैनिक तैयारियों के समय से तेजी के साथ बढ़े, जैसा कि नीचे देखने से मालूम होगा:—

सन् १९३३-३४	..	डिवीडेन्ड कुछ नहीं
” १९३५	..	३३%
” १९३६	..	५%
” १९३७	...	८१%

कैमेल लेयर्ड ऐन्ड क० जहाज तैयार करने का काम करती है और उसमे इंजीनियरिंग का काम भी होता है। सन् १९३४ में उसके चेयरमैन ने वृटिश नौ सेना-विभाग के तैयारी-सम्बंधी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा था कि:—

“हमारी कपनी इस कार्यक्रम के लिए नौ सेना-विभाग की अत्यंत आभारी है, जिसने उसे नष्ट होते-होते नया जीवन दे दिया।”

वी० एस० ए० कपनी भी विलायत की एक बड़ी शक्तिशाली कपनी है। इसका पूरा नाम ‘बर्मिंघम स्माल आर्म्स’ (Birmingham Small Arms) है। यह फौजी चीजें, खेल की चीजें, मशीन-गन, वायुयान के पुर्जे, वाइसिकिल, मोटरकार इत्यादि अनेकों प्रकार के सामान तैयार करती है। पार्लिमेंट में इस समय इसके दो डायरेक्टर अनुदार दल की ओर से सदस्य हैं। उनके अतिरिक्त मिस्टर चैम्बरलेन

भी पहिले इस कपनी के डायरेक्टर रह चुके हैं। ये सब लोग अनुदार दल के शक्तिशाली

यह केवल कुछ इनी-गिनी सबसे जबर्रस्त कपनियों की चर्चा की गई है। इनके अतिरिक्त, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, २३ "पार्लिमेटी सदस्य हवाई जहाज सम्बंधी कपनियों के भी डायरेक्टर हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ केवल दो नाम लिख दिये जाते हैं: एल्विस लिमिटेड (Alvis Ltd.) हवाई जहाज के एजिन तैयार किया करती है और सेना के लिए मशीन तथा सामान सप्लाई करती है। इसके एक डायरेक्टर मिस्टर एडगर ग्रैन्विल राष्ट्रीय उदार दल की ओर से पार्लिमेट के सदस्य हैं। इसी प्रकार पेटर्स लिमिटेड (Petters Ltd.) भी एक दूसरी हवाई जहाज बनाने वाली क० की आधी सम्पत्ति की हिस्सेदार है। इसके भी एक डायरेक्टर मिस्टर फ्रेवेन एलिस पार्लिमेट के मेम्बर हैं।

किंतु केवल हवाई जहाज और युद्ध-सामग्री तैयार करने वाली कपनी ही नहीं, वीमा कपनियाँ, फिनान्स कपनियाँ, और इन्वेस्टमेट द्रूट आदि भी सैनिक तैयारियों से और लड़ाई से बहुत कुछ आशाएँ रख सकती हैं। इनकी भी पार्लिमेट में जैसी प्रधानता है वह पहले ही बतलाई जा चुकी है। हम यह नहीं कहते कि इस समय इंगलैंड की सैनिक तैयारियाँ अच्युत युद्ध का निश्चय केवल व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के उद्देश से ही किया गया है। अवश्य ही परिस्थितियाँ भी इस समय कुछ ऐसी पैदा हो गयी थीं, जिससे इस प्रकार का निश्चय आवश्यक था। फिर भी जहाँ सरकार-पक्ष के इतने अविक सदस्यों का युद्ध से होने वाली आमदनी में अपना निजी स्वार्थ मौजूद हो, वहाँ उनके सम्बंध में लोगों के मन में सदेह उठना स्वाभाविक ही है।

चौथा अध्याय

पार्लीमेंट और पारिवारिक पूँजी

पिछली शताब्दी का पूँजीपति केवल अपने कुटुम्ब के एक छोटे से कारबार का प्रबंधक था, किन्तु आज का पूँजीपति बड़े-बड़े ज़ावर्दस्त व्यापार-संघों का डायरेक्टर है। कुछ अवस्थाओं में तो किसी एक व्यवसाय में केवल एक ही कंपनी का सम्पूर्ण वृद्धिश द्वीप पर प्रभुत्व है। उदाहरणार्थ इम्पीरियल केमिकल कंपनी ही को लीजिए; प्रायः सम्पूर्ण वृद्धिश रासायनिक द्रव्यों का व्यवसाय एक मात्र इसी कंपनी के हाथ में दिखाई देता है। बहुतेरी कंपनियाँ ऐसी भी हैं जो 'अपने-अपने ढग के व्यवसाय में सम्पूर्ण वृद्धिश साम्राज्य तक पर अपना अधिकार रखती हैं। उदाहरणार्थ "लिवर ब्रदर्स" तथा "यूनिलिवर" इस समय साबुन और मारग्रीन के व्यवसाय में प्रायः सम्पूर्ण वृद्धिश साम्राज्य को अपने पंजे में दबाये हुए हैं। अनेको व्यवसायों पर कई एक फर्म आपस में मिलकर अपना आधिपत्य रखते हैं।

प्रोफेसर लेवी (Levy) इस सम्बन्ध में लिखते हैं :—

"पूँजीवाद के आरंभ से आज पहले-पहल यह देखने में आया है कि अंग्रेजी व्यापार के एक बहुत बड़े भाग पर एकाधिकारी (monopolist) संघों का दौर-दौरा हो रहा है।"

यह 'एकाधिकारी संघ' है क्या चीज? देश में जब एक ही फिल्म का व्यापार करने वाले बहुत से फर्म होते हैं तो उनमें आपस भी लागड़ॉट लगी रहती है, जिससे माल का भाव अधिक बढ़ने नहीं पाता। किन्तु ये सब फर्म आपस में मिल कर यदि लागड़ॉट बंद कर दे, तो माल का भाव आसानी से बढ़ाया जा सकता है। अस्तु, भाव

बढ़ाने की इसी एक इच्छा के कारण व्यापार में एकाधिकार का विकास हो रहा है, कारण कि ऊचे भाव का मतलब ही व्यापारियों के मुनाफे में अधिकता है।

माल बनाने वाला व्यापारी स्वभावतः अपने माल को अधिक से अधिक ऊचे दाम पर बेचना चाहता है। इधर ग्राहक भी बढ़िया से बढ़िया माल को सस्ते से सस्ते भाव पर खरीदना चाहता है। अस्तु, जब तक ऊच्यापारियों में आपस की लागडॉट बनी रहती है, तब तक कोई भी व्यापारी अपने माल का ज्यादा दाम नहीं पा सकता, कारण कि उसके मुकाबले वाले व्यापारी उसके ग्राहकों को वही माल कम भाव पर देकर उन्हे अपनी ओर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। किंतु यदि उस व्यापार में उसका एकाधिकार हो, अर्थात् केवल वही व्यापारी उस माल को बनाता और बेचता हो, दूसरा कोई न बेचता हो, तो फिर वह आसानी से माल का भाव बढ़ाकर यथेच्छ मुनाफा कमा सकता है। यही कारण है कि आज अनेकों प्रकार के व्यवसाय में व्यापारियों ने अपना-अपना सगठन कायम कर लिया है। किंतु ग्राहक बेचारा अकेला और असहाय पड़ता है। इसलिए वही नुकसान में रहता है।

जिन व्यापारों में इस समय बहुत से फर्म अलग-अलग मौजूद हैं उनमें भी आपस के समझौते से माल की तैयारी को कम करके, बाजार के क्षेत्रों को परस्पर बॉट कर तथा भाव को निश्चित रखकर आपस की लागडॉट को दूर किया जा रहा है। उदाहरणार्थ लोहा, फौलाद और इंजीनियरिंग के व्यवसायों में आज इसी प्रकार के पारस्परिक समझौते से काम लिया जा रहा है।

प्रसिद्ध अर्वशास्त्री प्रोफेसर टासिंग (Prof. Taussig) के मतानुसार व्यवसायों में इस प्रकार के एकाधिकार का विकास किसी जनतन्त्रवादी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। उस पर

सार्वजनिक नियंत्रण का होना ही आवश्यक है। कितु सार्वजनिक नियंत्रण करने का एक मात्र साधन केवल धारा समा है। केवल पार्लिमेंट ही व्यापारों के प्रबंध में हस्तक्षेप कर सकती है। कितु व्यापारियों ने उस पर स्वयं अपना सिक्का जमा रखा है। बड़े-बड़े एकाधिकार रखने वाले व्यापारिक सघ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कानूनों के द्वारा उनका एकाधिकार किसी समय भी तोड़ा जा सकता है। अतएव वे पार्लिमेंट पर अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए सदा सचेष्ट रहा करते हैं।

पिछले अध्यायों में यह दिखला आये हैं कि अनुदार पक्ष किस प्रकार बड़े-बड़े पूँजीपति व्यापारियों से भरा हुआ है। माल पैदा करने में इनकी शक्ति जितनी अधिक बढ़ी हुई है उतनी ही अधिक संख्या में ये मजदूरों के भी मालिक हैं। इनकी दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ सफलता की मात्रा जनता की सेवा से नहीं, बल्कि मुनाफे की रकम से आँकी जाती है।

यह मुनाफे की रकम केवल माल बेचने वाली नीति पर ही अवलम्बित नहीं है, बल्कि मजदूरों से काम लेने वाली नीति पर भी बहुत कुछ अवलम्बित है। अस्तु, देश के शासन में अनुदार पक्ष के आधिपत्य का अर्थ यह है कि माल बनाने वाले व्यापारियों और माल सरीदारने वाली जनता के बीच जो कुछ निपटारा किया जायगा, वह केवल व्यापारियों के ही स्वार्थी दृष्टिकोण से किया जायगा। इसी प्रकार मालिकों और मजदूरों के मामलों में भी सदैव मालिकों के ही स्वार्थ का ध्यान रखा जायगा। मोटे तौर पर, वर्तमान वृद्धिश शासन-पद्धति का लक्ष्य कहा जा सकता है कि अनुदार शासक-दल तो बड़े-बड़े डिवीडेन्ड मारने वाले व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और शेष विरोधी दल जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं।

अधिकाश व्यापारिक एकाधिकार पर कोई भी कानूनी नियंत्रण नहीं है। केवल कुछ थोड़े से एकाधिकार अवश्य ऐसे हैं जो लोकोप-

योगी कहे जाते हैं और जिनपर कुछ कानूनी बन्धन लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर रेलवे, बिजलीधर, गैस और पानी के कारखाने इसी प्रकार की एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक संस्थाएँ कहे जा सकते हैं। इन के कामों पर कुछ कानूनी नियन्त्रण और सरकारी निगरानी अवश्य रहा करती है। यद्यपि यह नियन्त्रण लोकोपयोगिता के नाम पर किया जाता है, किंतु ध्यान देने से जान पड़ेगा कि इसका भी असली कारण जनता के हित का विचार नहीं, बल्कि बड़े-बड़े व्यापारियों के ही हितों का ख्याल है। बात यह है कि इन चीजों का बहुत बड़ा खर्च व्यापारी कपनियों में भी होता है। उदाहरणार्थ, रेल को ही लीजिए। यह केवल यात्रियों की ही सुविधा के लिए नहीं काम देती, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा काम व्यापारियों का माल ढोना और पहुंचाना भी है। इसी प्रकार बिजली, गैस 'और पानी का उपयोग भी बड़े-बड़े व्यापारी कारखानों के लिए बहुत ज्यादा रहा करता है। अस्तु, यदि इन वस्तुओं का मूल्य या किराया बहुत ऊँचा हो जाय अथवा उनमें किसी प्रकार की दुर्ब्यवस्था पैदा हो जाय तो देश के तमाम व्यापारियों के स्वार्थ पर भी उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। अतएव इन पर कानूनी नियन्त्रण रखना आवश्यक समझा गया।

फिर भी ध्यान रहे कि यह लोकोपयोगी कही जाने वाली व्यापारिक संस्थाएँ भी अन्य व्यापारिक कपनियों की ही तरह सघटित हैं और वास्तव में उन्हीं की सरी वहने हैं। इनका काम भी उसी प्रकार केवल अपने स्वार्थसाधन की इच्छा से हुआ करता है, जैसा अन्य कपनियों का। इनके भी हिस्सेदार और डायरेक्टर लोग अधिक से अधिक डिवीडेंड कमाने के लिए उसी प्रकार लालायित रहते हैं, जैसे अन्य व्यापारी कंपनियों के। अस्तु, इनपर भी अनुदार सरकार की ओर से केवल उतनी ही निगरानी रखी जाती है, जितने से व्यापारी समुदाय के स्वार्थों की रक्षा तो हो सके किंतु इसके स्वार्थों को अधिक चोट न पहुंचे। तात्पर्य यह है कि इन संस्थाओं पर जो कुछ कानूनी नियन्त्रण या

एकाधिकार नहीं कायम कर सकते। अस्तु, यही कारण है कि इन बड़े-बड़े व्यापारियों की ओर से सरकारी आयात-कर बैठाने के लिए इतना अधिक जोर दिया जा रहा है। इस कार्य में इनको सफलता भी बहुत कुछ प्राप्त हो चुकी है, कारण कि अनुदार सरकार ने शासन भार सम्भालते ही सन् १९३१ से स्वतंत्र व्यापार (Free trade) की नीति को त्याग कर 'सरक्षण-नीति' (Policy of protection) को अखिलत्यार कर लिया है। करीब एक सौ वर्ष से यह स्वतंत्र व्यापार की नीति इंग्लैंड में बराबर चली आ रही थी, किंतु अनुदार सरकार ने उपरोक्त व्यापारियों के प्रभाव में पड़ कर इसे तिलाजलि देदी और बाहरी माल पर सरक्षण-कर लगाना आरम्भ कर दिया।^{१०} इसका अर्थ यह है कि वृटिश द्वीप में व्यापार के बड़े-बड़े महारथियों का एकाधिकार कायम करने के लिए जनता की जेब से बढ़े हुए मूल्य के रूप में अधिक धन बटोरा जा रहा है। करों का उद्देश अब व्यापार में एकाधिकार को कम करना नहीं, बल्कि प्रजा के व्यय से उनमें सहायता पहुँचाना है।

उपरोक्त एकाधिकारी व्यवसायों के अतिरिक्त अनेकों ऐसे व्यवसाय भी हैं, जिनमें बड़े-बड़े व्यापारियों का यद्यपि अभी एकाधिकार तो नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रभावशाली अधिकार अवश्य है। ये व्यापारी छोटे-छोटे व्यापारियों के भय से अपने माल का भाव बहुत ऊँचा नहीं बढ़ा सकते, किंतु फिर भी बाजार पर इतना अधिकार रखते हैं कि भाव गिरने नहीं पाता। सभव है आगे चल कर कुछ रोज में ये लोग भी अपना-अपना एकाधिकार स्थापित करले। इस प्रकार की कपनियों में शराब बनाने वाले कारखाने, पेटेन्ट दवाओं

^{१०} किंतु यही सरकार भारतवर्ष में सरक्षण-नीति का विरोध करती है, कारण कि उसमें वृटिश व्यापारियों के व्यापार को धक्का लगेगा।

के कारखाने, पेटेन्ट भोजनों के कारखाने इत्यादि मुख्य कहे जा सकते हैं। पार्लिमेंट के कितने ही मेम्बर इनके डायरेक्टर हैं, अतएव इनका भी अनुदार सरकार पर कम प्रभाव नहीं।

सारांश यह है कि अनुदार पक्ष के तमाम राजनैतिक नेता उस वर्ग के मनुष्य हैं, जो देश भर की तमाम चीज़ों की तैयारी तथा लोकोपयोगी हर प्रकार की सेवाओं को अपने अधिकार में किये हैं, जिससे जनता एकबारगी परावलम्बी बन गयी है। सरकार अवश्य इस विषय में जनता की सहायता कर सकती है, किन्तु वह भी इन्हीं राजनैतिक नेताओं के हाथ में है; अतएव उसका भी ध्यान सब से पहले इन्हीं के स्वार्थ-साधन की ओर जाता है। वर्तमान बृटिश सरकार ने अब तक जो कुछ कार्य किये हैं और जो कुछ नहीं किये हैं, उन सबसे यह पूर्णतया सिद्ध हो जाता है कि वह प्रजा के कल्याणार्थ अपने व्यापारी-वर्ग के स्वार्थों को कुचलने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं।

पाँचवाँ अध्याय

बृटिश साम्राज्य में अनुदार-दलवालों का स्वार्थ

“जब तक भारतीयों ने अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण बुद्धि के द्वारा स्वयं यह सिद्ध नहीं कर दिया कि परिचमीय ढंग की पार्लिमेटी संस्थाएँ पूर्वीय देशों के लिए भी उपयुक्त हैं, तब तक भारतीय प्रश्नों के विचार के समय वे (अर्थात् पार्लिमेट के सदस्य) जनतंत्रवादी अथवा पार्लिमेटेरियन नहीं रह जाते थे । ”—मिस्टर ए० टी० लेन्कस-बायड, अनुदार दल के पार्लिमेटी सदस्य, कामन्स सभा में भाषण देते समय ।

बृटिश पार्लिमेट बृटिश साम्राज्य की भी पार्लिमेट है । उसका निरकुश अधिकार न केवल बृटिश द्वीप पर ही, वरन् बृटिश साम्राज्य के अधिकाश भाग में भी स्थापित है, जिसका कुल रकवा करीब एक करोड़ वीस लाख वर्ग मील और आवादी ५० करोड़ के लगभग है । दूसरे शब्दों में पृथ्वी का एक चौथाई हिस्सा बृटिश साम्राज्य के अतर्गत समझा जाता है ।

बृटिश हाउस आफ कामन्स के निर्वाचन का अधिकार केवल बृटिश द्वीप के ही निवासियों को प्राप्त है । इसी से कुछ लोगों (बृटिश निवासियों) की यह धारणा है कि उसका कार्य और शक्ति भी बृटिश द्वीप तक ही सीमित है ।

वास्तव में बृटिश पार्लिमेट इस समय जितने आदमियों पर हुक्मत कर रही है, उन्हे देखते हुए बृटिश निवासियों की सख्ता केवल मुद्दी भर जान पड़ती है । लेकिन चूँकि बृटिश पर्लिमेंट में केवल बृटिश द्वीप की ही जनता के प्रतिनिधि वैठ सकते हैं, अतएव यह केवल इन्हीं मुद्दी भर लोगों के लिए जनसत्तात्मक स्थान कही जा

सकती है। तमाम बृटिश साम्राज्य की गोरी प्रजा की संख्या इस समय केवल सात करोड़ है। इनमें से लगभग ३ करोड़ व्यक्ति स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में हैं, जहाँ इनकी अपनी-अपनी अलग पार्लिमेंट हैं। शेष ४३ करोड़ व्यक्ति बृटिश साम्राज्य-शाही पार्लिमेंट की अधीनता में रहते हैं, जिसमें उनका कोई भी प्रतिनिधि नहीं वैठता, जिसके निर्माण में वे कोई भी हाथ नहीं रखते और जिसकी नीति को बदलने के लिए उनके पास कोई कानूनी चारा भी नहीं है। इस बात को खूब अच्छी तरह ध्यान में रख कर तब उन बातों पर विचार करना चाहिए, जिन्हे हम इस अध्याय में आगे दे रहे हैं।

सरकारी उपनिवेशों * की प्रजा और बृटिश प्रजा की दशा में बड़ा भारी अंतर है। उदाहरणार्थ हाउस आफ कामन्स में यदि मजदूरों के मालिकों का आधिपत्य हो जाय तो भी बृटिश मजदूर-पक्षविलकुल निरुपाय नहीं कहा जा सकता, कारण कि वह भविष्य में निर्वाचन के समय इन मालिकों की जगह को छीन सकता है। इसके अतिरिक्त कामन्स सभा में उसकी ओर के अनेक प्रतिनिधि भी वैठते हैं जो उसके पक्ष में भरपूर शक्ति से लड़ा करते हैं, यद्यपि यह संच है कि इस समय उनकी संख्या मजदूर-मालिकों और जमीदारों की संख्या से बहुत दबी हुई है।

किंतु सरकारी उपनिवेशों में तो मजदूरों की अवस्था अत्यत दयनीय है। यहाँ के मजदूरों के मालिक हर प्रकार से निडर और निरंकुश हैं। यहाँ उन्हे कोई भय इस बात का नहीं है कि जिन मजदूरों से वे काम लेते हैं उनका कोई प्रतिनिधि पार्लिमेंट में वैठकर उनके

* नोट—सरकारी उपनिवेशों से यहाँ कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे स्वतंत्र उपनिवेशों का तात्पर्य नहीं है, केवल ऐसे भूभाग जो 'क्राउन कूलोनी' प्रोटेक्टोरेट (Protectorate) अथवा 'मैन्डेटेड राज्य' (Mandated Territories) के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो अप्रेंजी शासन के अधीन हैं सरकारी उपनिवेशों के अतर्गत समझने चाहिए।

विरुद्ध बोलेगा। उधर वृटिश जनता के लिए भी ये उपनिवेश-निवासी इतनी दूर पड़ जाते हैं कि इन पर मनमाना अत्याचार करते हुए भी इन मजदूरों के मालिक पार्लिमेट के निर्वाचन में अपने या अपने दल-वालों के हराये जाने का कोई भय नहीं रखते।

अस्तु, अब इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है कि दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर हुक्मत करने में वहाँ के निवासियों के प्रति वृटिश शासकों की नीति किन-किन बातों से प्रेरित हुआ करती है।

सबसे पहले हमें यह मालूम करना जरूरी होगा कि स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों में और सरकारी उपनिवेशों एवं भारतवर्ष में क्या अतर है। स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के लोग अधिकतर उन लोगों की सतान हैं, जो किसी समय वृटिश द्वीप से वहाँ जाकर बस गये थे और जिनके साथ ही साथ वृटिश राजनैतिक स्थाएँ भी वहाँ आरभ से ही पहुँच चुकी थीं। एक मात्र न्यूफ़ाउडलैंड को छोड़ कर, जिसका शासन-विधान वृटिश सारकार द्वारा छीन लिया गया है और जो वृटिश पूँजीपतियों के दबाव से अब सरकारी उपनिवेश की हैसियत में रख दिया गया है, शेष सभी स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के पास इस समय अपनी-अपनी स्वतन्त्र पार्लिमेटे मौजूद हैं। अस्तु, इन उपनिवेशों की गोरी प्रजा को तमाम राजनैतिक अधिकार वैसे ही पूर्णतया प्राप्त हैं जैसे अग्रेजों को इंग्लैंड में प्राप्त हैं। बल्कि आस्ट्रेलिया में तो ये अधिकार अग्रेजों के अधिकार से भी अधिक बढ़े हुए हैं। फिर भी स्मरण रहे कि ये अधिकार केवल वहाँ की गोरी प्रजा को ही प्राप्त हैं। मूल निवासियों के अधिकार वहाँ विल्कुल सीमित हैं। दक्षिणी अफ्रीका के सयुक्त-राज्य में भी यद्यपि काली प्रजा की सख्ता अत्यधिक है किन्तु उसको वहाँ कोई राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं।

स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेशों का इंग्लैंड के साथ यद्यपि वैधानिक बधन विल्कुल कमज़ोर है (कारण कि उन्हें अपना सम्बंध इंग्लैंड से

तोड़ कर स्वतंत्र हो जाने का अधिकार हर समय मौजूद है), फिर भी उनका आर्थिक सम्बंध बड़ा मजबूत दीखता है । इंग्लैंड के सरकारी पक्ष का उक्त उपनिवेशों के सरकारी पक्ष के साथ जो आर्थिक सम्बंध है वह महाजन और असामी का सम्बंध कहा जा सकता है, जैसा जै० ए० हाव्सन ने अपनी पुस्तक “साम्राज्य-शाही” (Imperialism) में लिखा है :—

“इस समय जैसी परिस्थिति दिखाई देती है उसके अनुसार ग्रेट ब्रिटेन में इस समय व्यवसायी-पक्ष का एक जर्वदस्त सगठन मौजूद है, जो साम्राज्यशाही-सरकार को स्वतंत्र उपनिवेशों के अनुकूल अपनी नीति ज्ञायग रखने के लिए बराबर उकसाता रहता है । ये उपनिवेश, विशेष कर ग्रास्ट्रेलिया के उपनिवेश, अपनी जमीन-जायदाद और तिजारत बहुत अधिक परिमाण में अग्रेजी महाजन-पेशा कपनियों के पास गिरवी रख चुके हैं । उनकी खाने, उनके वैकं तथा दूसरे किस्म की ग्रनेग्रां महत्वपूर्ण व्यापारी जायदाद अधिकाश में इस समय ग्रेट ब्रिटेन के ही दाय में हैं । उनका बहुत सा सरकारी ऋण भी ग्रेट ब्रिटेन ने ही लिया गया है । अतएव प्रत्यक्ष है कि वृटिश द्वीप में जिस दर्गे के मनुष्यों का इतना धन इन उपनिवेशी जायदादों में लगा हुआ है, उनका बहुत कुछ हित और अहित उन उपनिवेशों की राजनीति पर प्रभालभित है, जो कि वृटिश राजनीति से विलकुल भिन्न है और कभी कभी उनके निरद्द दिशा में भी जाया करती हैं । साय ही यह भी प्रत्यक्ष है कि मे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए वृटिश सरकार पर ग्रामा काफी सराटित दबाव डाल सकते हैं...।”

को भी सीधे इन उपनिवेशी सरकारों पर अपना दबाव डालने का मौका मिलता है।

वृटिश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों का इन उपनिवेशों में स्वयं निजी स्वत्व बहुत व्यापक रूप से मौजूद है। नीचे की सूची से मातृम होगा कि इन सदस्यों में से कितने लोग उपनिवेशी कपनियों के डायरेक्टर हैं :—

पार्लिमेंट के सरकारी सदस्य और उपनिवेश

उपनिवेश	पार्लिमेंटी सदस्यों की सख्त्या	कपनियों की डायरेक्टरी
१—कनाडा . . .	६	१२
२—आस्ट्रेलिया . . .	११	१३
३—दक्षिणी अफ्रिका	१२	१५
४—न्यूजीलैंड	३	३

अनुदार पार्लिमेंटी मेम्बरों का इस प्रकार उपनिवेशों में व्यापारिक स्वत्व स्वयं ही एक काफ़ी महत्व की बात है। किंतु जिस समय हम उन तमाम वैको, वीमा कपनियों तथा महाजन-पेशा संस्थाओं का भी विचार करते हैं, जिनका जवर्दस्त प्रतिनिधित्व हम कामन्स सभा में पहले देख आये हैं और जिनका स्वार्थ उपनिवेशों में न केवल उनकी सरकारी ऋण में लगी हुई पैंजी ही के द्वारा माना जाए सकता है, वल्कि उन तमाम उपनिवेशी रेलों और कारखानों के द्वारा भी अंदाजा जा

सकता है जिनमें उनका स्वत्व है, तब हमें उपनिवेशों के साथ बृटिश पूँजी-पतियों के सम्बंध का असली परिचय मिलता है। जो राजनैतिक दल बृटेन में धन और सम्पत्ति का मालिक है वही स्वभावतः उस धन का प्रतिनिधित्व भी करता है जो बृटेन की ओर से उपनिवेशों तथा अन्य देशों में लगा हुआ है। इस समय बृटेन की जो पूँजी कनाडा और न्यूफाउन्डलैंड में लगी है उसकी रकम लगभग ४४ करोड़ ३० लाख पौंड है और आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में भी उसकी क्रीब ६५ करोड़ १० लाख की रकम लग चुकी है।

फिर भी बृटिश सरकार उपनिवेशी सरकारों पर अपना प्रभाव केवल कुछ ही हद तक डाल सकती है। अभी हाल में न्यूजीलैंड पार्लिमेंट की निम्न-सभा का जो चुनाव किया गया था उसमें मजदूर दल के बहुमत को अग्रेजी अनुदार दल भरसक प्रयत्न करने पर भी न रोक सका। उपनिवेशी नीति को प्रभावित करने का एक तरीका उन लोगों की सहायता से भी अख्यार किया जाता है जिन्होंने उपनिवेशी कंपनियों तथा वहाँ की अन्य शक्तिशाली संस्थाओं को ऋण दे रखा है। साथ ही उस राजनैतिक दल की सहानुभूति और सहायता का भी उन्हे बहुत कुछ भरोसा रहता है जो उपनिवेशों में बृटिश अनुदार दल की छाया पर सघित किये गये हैं।

इस समय तमाम स्वराज्य भोगी उपनिवेशों में एक मात्र न्यूजीलैंड थी ऐसा है जिसकी सरकार में मजदूर-दल का प्रभुत्व है। अतएव बृटिश पूँजी-पतियों की जब वहाँ कोई दाल गलती न दिखाई दी, तब उन्होंने वहाँ की मजदूर सरकार को धमकी देना आरम्भ किया कि अगर वह ग्रपनी व्यापारिक नीति उनके अनुकूल न बनाये रखेगी तो वे नी ओटावा के समझौते (Ottawa Agreement) को रद्द करके अपना बदला चुकावेंगे।

भारतवर्ष और सरकारी उपनिवेश

इस प्रकार बृटेन का शासक दल स्वराज्य-भोगी उपनिवेशों की सरकार पर अपना जोर केवल बाहरी तरीकों से डाल सकता है। कानूनन उसे किसी प्रकार भी नहीं मजबूर कर सकता। परतु भारतवर्ष और सरकारी उपनिवेशों को तो वे कानूनन और केवल अपनी आज्ञा से ही मजबूर कर सकते हैं। यहाँ उनकी पूरी हुक्मत जारी है और यहाँ के तमाम निवासियों के भाग्य का फैसला केवल साम्राज्यशाही बृटिश पार्लिमेंट की निरंकुश इच्छा मात्र पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त एक जबर्दस्ती और भी है। वह यह कि जिस पार्लिमेंट में भारतवर्ष एवं सरकारी उपनिवेशों के निवासियों को बैठने का कोई हक नहीं दिया जाता, वहाँ भारतीय तथा उपनिवेशों की अग्रेजी-कंपनियों के डायरेक्टर आसानी से जा पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच कर वे इन देशों के भाग्य का फैसला अपनी रुचि और अपने स्वार्थ के अनुकूल कराने के लिए हर प्रकार की क्रियाशीलता दिखला सकते हैं। वास्तव में वे भी केवल उसी पक्ष के कल पुजों हैं, जिसके हाथ में इस समय अग्रेजी शासन है, और जिसकी मर्जी के बिना भारतवर्ष एवं सरकारी उपनिवेशों के गवर्नरों तथा अन्य ऊँचे अफसरों की न तो नियुक्ति की जा सकती है और न वे अपने स्थान से हटाये ही जा सकते हैं।

नीचे की सूची से मालूम हो जायगा कि भारतवर्ष तथा सरकारी उपनिवेशों में व्यापार करने वाली कितनी अग्रेजी कंपनियों के डायरेक्टर इस समय बृटिश पार्लिमेंट में अनुदार दल की ओर से सदस्य हैं :—

भारतवर्ष की अंग्रेजी कंपनियों के डायरेक्टर

इस समय बृटिश पार्लिमेंट के कम से कम १२ सदस्य १३ ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जो भारतवर्ष में वैकिंग, वीमा, रवर, सोना, चाय, रेल, मैंगनीज़, सीमेंट आदि का व्यवसाय कर रही हैं।

सरकारी उपनिवेशों के कंपनी डायरेक्टर

इसी प्रकार मालय, गोल्ड कोस्ट, नायगेरिया, द्रिनिडाड, रोडेशिया, कीनिया, टगानायका, बेकुव्रन लैंड, दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका, बर्मूडा, बृटिश गायना, फाकलैंड, बर्मा, लंका, बोर्नियो, पैलेस्टाइन नामक सरकारी उपनिवेशों में भी व्यापार करने वाली कम से कम २५ अंग्रेजी कंपनियों के डायरेक्टर पार्लिमेंट के १७ सदस्य हैं। फिर भी इसे यहाँ अंग्रेजी पूँजी-पतियों के स्वत्वों का केवल आंशिक दिग्दर्शन ही समझना चाहिए, कारण कि इसमें उन अनुदार पार्लिमेंटी सदस्यों का विचार नहीं किया गया है, जो इन कम्पनियों में अपना स्वत्व बतौर हिस्सेदार के रखते हैं। साथ ही इसमें उन अंग्रेजी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा इन्वेस्टमेंट ट्रस्टों की भी गिनती नहीं की गयी, जिनकी बहुत बड़ी रकम भारतवर्ष में तथा सरकारी उपनिवेशों में लगी हुई है और जिनका एक एक डायरेक्टर इस समय पार्लिमेंट में भी बैठता है। कुल पूँजी जो इस समय अंग्रेजों की केवल भारतवर्ष और लंका में लगी है करीब ४३ करोड़ ८० लाख पौंड बतलाई जाती है।

यहाँ एक बार हम फिर इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि अंग्रेजों का इन देशों के साथ हर एक सम्बंध केवल धन कमाने और कंपनी के डायरेक्टरों तथा हिस्सेदारों के लिए अधिक से अधिक मुनाफा बटोरने की ही लालसा से स्थापित है और बृटिश पार्लिमेंट में साम्राज्य की ओर से यदि कुछ भी प्रतिनिधित्व पहुँचता है तो वह मुनाफे की चिंता में रहने वाले केवल इन्हीं कंपनी-डायरेक्टरों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। एक अंग्रेज विद्वान के शब्दों में:—

“बृटिश-साम्राज्य-शाही के पिता माल उत्पन्न करने वाली, तैयार करने वाली, बेचने वाली तथा जहाजों में भर भर कर ले जाने वाली कंपनियों के डायरेक्टर तथा ऐसी संस्थाओं के मैनेजर हैं जो राष्ट्र की इकड़ा की हुई वचत की रकम को अपने अधिकार में रखती हैं और उनको

मुनाफे के कामों में लगाया करती हैं। यही लोग मन्त्रिमंडल के सदस्य तथा राष्ट्र के मुखिया तक बन सकते हैं।”

अस्तु, भारतवर्ष में तथा वृद्धिश साम्राज्य के अन्य भागों में जो इस समय जनतत्रात्मक शासन का अभाव देखा जाता है उसे केवल उस जबर्दस्त शक्ति का परिणाम समझना चाहिए जो इन देशों में स्वार्थ रखने वाले अग्रेज व्यापारियों के हाथ में दे दी गयी है।

निस्सनदेह भारत-निवासियों को कुछ थोड़े से राजनैतिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। वृद्धिश भारत के करीब १५ प्रतिशत मनुष्य इस समय वोट देने के अधिकारी समझे जाते हैं, किंतु फिर भी उन्हें अभी केवल प्रातीय धारासभाओं के ही निर्वाचन का अधिकार मिला है। और यह अधिकार भी उन्हें सालों के आनंदोलन के पश्चात् प्राप्त हो सका है। इसमें सदेह नहीं कि ये अधिकार काफी महत्वपूर्ण हैं, किंतु फिर भी ये जनतत्रात्मक शासनाधिकारों से अभी कोसों दूर हैं। गवर्नर्मेट आफ इंडिया ऐक्ट, जिसके विरोध में कट्टर अनुदार पार्लिमेटी नेताओं ने अपनी जान लड़ा दी थी, भारतवर्ष को स्वराज देने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया। प्रमाणस्वरूप इसके द्वारा जो नवीन शासन-विधान भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है, उस के सम्बंधमें अपने अनुदार भाईं-बहुओं को समझाते हुए सर सैमुअल होर्ड्झने बतलाया था कि.—

“भारतवर्ष में गवर्नर-जेनरल, प्रातीय गवर्नरों तथा अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति अब भी वृद्धिश समाट के ही द्वारा की जायगी। सुरक्षित सरकारी नौकरियों तथा सधशासन एवं प्रातीय शासन के बड़े-बड़े अफसरों की भर्ती एवं सरक्षण का काम भी अभी पार्लिमेट के ही अधिकार में रहेगा। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना, जो की देश की वास्तविक शक्ति है, अभी सपूर्ण रूप से वृद्धिश पार्लिमेट के ही अधीन रहेगी। ये सारी बातें केवल कागजी नहीं हैं। शासन के अधिकारियों को इनके सम्बंध में बड़े जबर्दस्त अधिकार दे

दिये गये हैं और साथ ही उन अधिकारों को काम में लाने के लिए पूरे-पूरे साधन भी प्रयुक्त कर दिए गये हैं।”

फिर भी वृटिश पार्लिमेंट में अभी ऐसे अनुदार सदस्यों का वहुमत मौजूद है जिनका भारतीय कामनाओं के विरुद्ध, विशेषकर सघ-शासन के मामले में हार्दिक द्वेष और असहिष्णुता से भरा हुआ व्यवहार इस देरा (इगलैंड) के नाम पर धब्बा लगाता है। उदाहरण के तौर पर मेजर-जेनरल सर अल्फ्रेड नॉक्स का निम्नलिखित वाक्य देखिएः—

“भारतवर्ष अभी जनतत्र-शासन के योग्य नहीं हुआ। साधारण भारतीय मतदाता अभी नागरिक अधिकारों के सम्बंध में केवल उतनी दुष्टि रखता है, जितना एक छोटे वर्ष का बालक।”

वृटिश सरकार पर जैसा दबाव डाला जाता है उसी के अनुसार प्रायः उसका रुख भी भारतीय माँगों की तरफ हुआ करता है। पार्लिमेंट में वैठने वाले दस अनुदार सदस्यों का भारत की अग्रेज़ी प्रणीतियों में डायरेक्टर होना उस जबर्दस्त आर्थिक स्वार्थ के मुकाबले में पिल्कुल तुच्छ सा है, जो पार्लिमेंट में और पार्लिमेंट के बाहर मौजूदे हैं और जो अनुदार दल की नीति को सदा प्रभावित किया करता है। ये आर्थिक स्वार्थ भारत में केवल अग्रेज़ी हुक्मत के कायम रहने से ही लोग रुकते हैं, और इनके साथ ही एक दूसरे क्रिस्म का स्वार्थ भी भिला हुआ है, जिसका प्रतिनिधित्व पार्लिमेंट में मौजूद है। नमूने के तौर पर एक समुदाय तो यहाँ की वृटिश सेना है, जिसका स्वार्थ भारत में निरिचत रूप से दिखाई देता हैः—

इन्हीं सैनिकों के साथ उन (अग्रेज) अमीरों और बड़े-बड़े जमींदारों की भी जवर्दस्त सहानुभूति मिली हुई है, जो इस देश में अपने लड़कों के लिए ऊँची-ऊँची नौकरियाँ दिलाना चाहते हैं।”—हाब्सन साहब।

एक दूसरा समुदाय जो बृटिश साम्राज्य को कायम रखने में अपना स्वार्थ मानता है भारतीय सिविल सर्विस वालों का है। हाब्सन साहब, जिनका ऊपर उल्जेख किया जा चुका है, कहते हैं कि:—

“साम्राज्यशाही के पक्ष का समर्थन करने के लिए विशुद्ध आर्थिक प्रेरणाओं की एक पूरी पलटन सी खड़ी दिखाई पड़ती है—तमाम नौकरी पेशेवालों और व्यवसाइयों की एक भारी विखरी हुई जमात, जो कि सैनिक और राजनैतिक नौकरियों की वृद्धि में मोटी-मोटी तन्त्रज्ञान वाले औहदों और लम्बे-लम्बे मुनाफे वाले रोजगारों की तलाश किया करती है और सैनिक आक्रमणों में अपने इन्हीं उद्देशों की पूर्ति के लिए नवीन ढेंगों के खुलने की आशा रखती है, जिनमें नयी पूँजी लगाने का अवसर मिले। इन सभी लोगों को आगे प्रंगित करने वाली तथा मार्ग दिखाने वाली केन्द्रीय शक्ति पूँजीपति की शक्ति है।”

सरकारी उपनिवेशों के पेन्शनयाक्ता अफसरों को बिना गवर्नर की लिखित स्वीकृति के उपनिवेशों में रोजगार करने वाली किसी कपनी के डायरेक्टर बनने का अविकार नहीं रहता। पेन्शन पाने के पश्चात् प्रथम तीन वर्ष तक तो साधारणतः यह आज्ञा नहीं दी जाती, किंतु तीन वर्ष बीत चुकने के बाद आम तौर से देखा जाता है कि उपनिवेशों के ये पेन्शनयाक्ता अफसर वहीं की कपनियों में डायरेक्टर बन गये हैं और साथ ही अग्रेजी हाउस आफ कामन्स में भी ये बहुधा सदस्य होते हुए पाये जाते हैं।

भारतवर्ष में भी आई० सी० एस० के भूतपूर्व ऊँचे पदाधिकारी-गण तथा भारतीय सरकार में ऊँचे दर्जे पर काम करने वाले पेन्शनयाक्ता अफसर लोग बहुधा अग्रेजी निर्वाचन-क्षेत्रों से खड़े हो कर पार्लिमेंट के मेम्बर हो जाया करते हैं। उदाहरणार्थ सर जान वार्डला

मिल्ने (Sir John Wardlaw Milne, Conservative M. P. in 1922) इस समय भारतवर्ष की कितनी ही रेलवे, वैकिंग, तथा व्यवसायी कर्मचारियों के डायरेक्टर बने हुए हैं, जिनमें वी० वी० ऐन्ड सी० आई रेलवे तथा बैंक आफ बाम्बे भी शामिल हैं। साथ ही वह पार्लिमेंट के सदस्य भी रह चुके हैं तथा भारतवर्ष में निम्नलिखित सरकारी पदों पर काम कर चुके हैं :—

सदस्य	बाम्बे म्युनिसिपल कार्पोरेशन
सरकारी प्रतिनिधि	बाम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट।
ट्रस्टी	बम्बई बन्दर।
चेयरमैन	बाम्बे चैन्बर आफ कार्मस।
ऐडिशनल मेम्बर	बम्बई की प्रातीय धारासभा।
ऐडिशनल मेम्बर	गवर्नरल जेनरल आफ इन्डिया कौसिल
प्रेसिडेन्ट	गवर्नरमेंट आफ इन्डिया की एडवाइ- जरी वार शिपिंग कमेटी।
लेफ्टिनेन्ट कर्नल	इन्डियन डिफेन्स फोर्स।

किंतु इस समय वृटिश सरकार को भारतवर्ष में जितना अधिकार प्राप्त है उससे कहीं अधिक ताकत उसे सरकारी उपनिवेशों में प्राप्त है। इन उपनिवेशों का सम्पूर्ण क्षेत्रफल वीस लाख वर्ग मील तथा आवादी छः करोड़ के लगभग है। वृटिश साम्राज्य-शाही के समर्थकगण वहुधा कहा करते हैं कि हम इन छः करोड़ आदमियों को स्वराज, स्वतंत्रता एवं जनतत्र-शासन के वृटिश आदर्शों की ओर ले जा रहे हैं। किंतु वास्तविक बात यदि देखी जाय तो इधर कितने ही दर्जों से एक भी उपनिवेश स्वराज की और नहीं बढ़ने दिया गया है।

प्रत्युत् माल्टा और साइप्रस के शासन-विधान तो वृटिश राष्ट्रीय सरकार ने छीन कर वापस ले लिये हैं। साथ ही लङ्का के शासन-विधान पर भी उसने आवात पहुँचाने की भरपूर चेष्टा की है। लङ्का का शासन-विधान जो कि इग्लिस्तान की मजदूर सरकार द्वारा दिया गया था, इस समय तमाम सरकारी उपनिवेशों के शासन-विधान में सब से अधिक दायित्वपूर्ण है, और कदाचित् इसी से साम्राज्यशाही की आँखों में गड़ता भी है। कुल पचास सरकारी उपनिवेशों में से कम से कम पैतालीस उपनिवेश ऐसे हैं, जिन्हे आज तक राजनैतिक अधिकार-प्रदान का कोई कागजी दिखावा तक नहीं किया गया। इस समय भी साम्राज्य के अतर्गत ऐसे करोड़ों नागरिक पड़े हुए हैं जिनको अपने यहाँ के शासन में कोई भी मताधिकार नहीं मिला है। जे० ए० हांसन साहब ने सन् १९०२ में जो निम्नलिखित पक्षियाँ लिखी थीं, वे आज भी उसी प्रकार सही उत्तरती हैं—

“जिस शासन के नीचे साम्राज्य में हमारे बहुसख्यक प्रजा-भाइयों को रहना पड़ता है उसका स्वरूप वृटिश आदर्शों के विलकुल हो विपरीत है, कारण कि वह शासित वर्ग की अनुमति पर निर्धारित नहीं किया गया, वल्कि सम्राजी अधिकारियों की निरङ्कुश इच्छा पर निर्धारित किया गया है। निससन्देह इसके रूपों में बहुत सी भिन्नताएँ मौजूद हैं, किन्तु सबों का मुख्य लक्ष्य एक ही है, अर्थात् प्रजा की स्वतन्त्रता का अपहरण।”

जिस समय पार्लिमेट की दोनों सभाओं में सरकारी प्रतिनिधियों के साथ-साथ इन उपनिवेशों के कम्पनी डायरेक्टर लोग बैठते हैं, तो उन्हे देखकर जान स्थुअर्ट मिल के निम्नलिखित शब्द हमारे कानों में गूंजने लगते हैं.—

“किसी देश का शासन यदि वही के लोगों द्वारा हो तो वह एक वात्तविक सत्य है और उसके कुछ अर्थ जान पड़ते हैं। किन्तु एक देश का शासन दूसरे देशवालों द्वारा किया जाना एक ऐसी बात है जो

न कभी होती है और न हो ही सकती है। एक देश के लोग दूसरे देश यानीं को अपने बाड़े का पशु अथवा जंगल का शिकार मान कर तो स्व सकते हैं और उन्हें अपने धन कमाने का साधन बना कर एक ऐसा इन्सार्नी मवेशीग्वाना समझ सकते हैं जिसके आदमियों को अपने मुनाफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाय, किंतु यदि शासन का वास्तविक धर्म शार्मित-वर्ग का हितसाधन है तो यह विलक्षण असंभव है कि दूसरे देश याकें इसके लिए कुछ भी ध्यान दें।

इस गमय सरकारी पक्ष के बहुत से पार्लिमेटी सदस्य बृटिश उपनिवेशों में जो स्थान प्राप्त किये हुए हैं उसी से पता चलता है कि भाग्यानन में शासन वर्ग का कितना अधिक स्वार्थ है। इसके लिए उदाहरण अनेकों दिये जा सकते हैं, किन्तु यहाँ हम केवल दो ही तीन उदाहरणों का उल्लेख करेंगे। नीचे तीन ऐसे उपनिवेशों का हाल दिया जाता है, जिनकी चर्चा इधर समाचार पत्रों में बहुत अधिक मूलादेना रही है।

डियर-जेनरन सर विलियम अलेक्जेन्डर, तथा (३) सर अर्नल्ड ग्रिडले हैं।

उपरोक्त हड़ताल-सम्बधी दगा हो जाने के बाद उसकी चर्चा इंगलिस्तान के अखिलारो में तथा पार्लिमेट में भी की गई गयी। ६ जुलाई सन् १९३७ को त्रिनिदाद के सरकारी कोलोनियल सेक्रेटरी ने वहां की धारासभा में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने मजदूरों के प्रति कुछ सहानुभूति प्रकट की थी। इस पर मिस्टर कार्लटन ने पार्लिमेट में सरकार का ध्यान दिलाते हुए कोलोनियल सेक्रेटरी के विचारों को अत्यत “अत्याधारण” (“Extreme”) बतलाया था। उसके दूसरे ही दिन तारीख २८ जुलाई सन् १९३७ को दगे की जाँच के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया, जिसकी रिपोर्ट सन् १९३७ के फरवरी मास में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में भी उक्त कोलोनियल सेक्रेटरी के भाषण की कड़ी आलोचना की गयी। इस भाषण के जो अश विशेष आपत्ति-जनक समझे गये वे इस प्रकार थे :—

“अतीत काल में हमे अपनी कर्तव्य-बुद्धि को केवल पाखड़-भरी चातों से ही फुसलाना पड़ा है और मजदूरों को भी कितनी ही बहाने-वाजियों के द्वारा शात रखना पड़ा है।” . . .

“मैं अपनी इस राय को बहुत जोर देकर बतलाना चाहता हूँ कि किसी व्यवसाय में उसके हिस्सेदारों को डिविडेन्ड मिलने का उस समय तक कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसके मजदूरों को मजदूरी मुनासिव तौर से न मिल जाय और उनके रहन-सहन में भी उचित ढग का सुधार न कर दिया जाय।”

शाही कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें मजदूरों की दशा का इस प्रकार जिक्र किया गया था :—

“संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उपनिवेशियों के साधारण स्वास्थ्य पर बहुत सी वातों का असर पड़ा करता है, अर्थात् रोग,

पौष्टिक भोजनों का अभाव, जगह की तंगी, खराब मकान इत्यादि किसी एक कारण को अकेले ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”

उपरोक्त अंग्रेज़ी कपनियों इस स्थान से जितना गहरा मुनाफ़ा उठा रही हैं वह ऊपर बतला चुके हैं। फिर भी उनके मज़दूरों की इस समय जो दशा है वह भी ऊपर के उदाहरण से प्रकट है। उनकी यह करुणीय दशा एक जमाने से चली आ रही है, किंतु आज तक किसी के कान में जूँन रेगी और यदि कदाचित् यह हड़ताल-सम्बधी दंगा न हुआ होता तो अब भी उसकी कोई चर्चा न सुनाई देती।

त्रिनिदाद का ‘टेट ऐन्ड लायल्स’ (Tate & Lyle's) नाम का चीनी का कारखाना भी दुनिया भर में सब से प्रसिद्ध समझा जाता है। साम्राज्य के व्यवसायिक साधनों से लाभ उठाने वाली सब से बड़ी कपनियों में इसकी भी गणना है। इसके डायरेक्टर भी उसी प्रकार बृटिश अनुदार दल के कल-पुजे हैं, जैसे अन्य कपनियों के। इसके वर्तमान अध्यक्ष सर लेनार्ड लाइल के उत्तराधिकारी एक अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य के दामाद लगते हैं। अपने कारखाने के मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने के विषय में आपका कहना है कि हब्शी मज़दूरों को और अधिक मज़दूरी नहीं दी जा सकती, कारण कि बृटिश मज़दूरों के मुकाबले में इनकी विचार-शक्ति बहुत नीचे दरजे की है। साथ ही वे मज़दूरों के आन्दोलन को केवल साम्यवादियों के भड़काने का परिणाम मानते हैं, जिसके उत्तर में ‘टाइम्स’ नामक पत्र में लार्ड आलिवर लिखते हैं कि “लाइल साहब कम से कम इतना तो आसानी से समझ सकते हैं कि मरभुखे लोगों के अधिक मज़दूरी के हेतु हाय-तोबा मचाने में बोल्शविज़म की कोई खास जरूरत नहीं है।”

चीनी के इस कारखाने में मज़दूरी बढ़ाने के विरुद्ध एक दूसरी दलील यह दी जाती थी कि कपनी को काफ़ी मुनाफ़ा नहीं हो रहा है। इसके उत्तर में २० अगस्त सन् १९३८ के मैचेस्टर गार्जियन

नामक पत्र में ई० एम० गाइन्डर्स (E. M. Ginders) का एक पत्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा था---

“अगर कारखानों के मजदूरों की आर्थिक दुर्दशा का एक मात्र कारण यही है कि उनके माल का भाव गिर गया है, तो जिन स्थानों में माल की विक्री से वेहद मुनाफा मिल रहा है वहाँ के मजदूरों की दशा तो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यह बात विल्कुल भूठ है इसका प्रमाण त्रिनिदाद के मजदूरों की दशा से ही मिल सकता है, जहाँ तेल की कपनियाँ अपने हिस्सेदारों को वेतहाशा मुनाफा बॉट रही हैं। सच वात, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, यह है कि किसी जगह की भी भूमि पर पूरी तौर से एकाधिकार स्थापित हो जाने से उन लोगों की दशा, जिनकी जमीन छीन ली गई है, स्वभावतः केवल उसी दरजे तक कायम रखती जाती है, जिसमें वे अपने प्राणों को शरीर में अटकाये रह सकें, चाहे फिर उस माल की पैदावार से जितना भी मुनाफा हो जिसमें ये लोग काम करते हैं।”

अफ्रीका में अग्रेजों के कुछ उपनिवेश सब से बड़े और मालदार हैं। इनमें से बहुतेरे पुरानी चार्टर-प्राप्त कम्पनियों की जायदाद हैं जो बाद में वृटिश सरकार ने उनसे प्राप्त कर ली है। यद्यपि ये जायदाद कम्पनियों के हाथ में वृटिश सेना की ही सहायता से आयी थी, फिर भी जब इनका शामन और राजनैतिक अधिकार वृटिश सरकार को सौंपा गया तो उसके बदले में इन कम्पनियों को बहुत बड़ी-बड़ी रकमें मुआविजे के तौर पर दी गयी। इन अग्रेजी कम्पनियों ने अफ्रीका का मार्ग खुलाने के समय से ही अपनी धनिष्ठता वृटिश पालिंस्ट के साथ तथा दक्षिणी अफ्रीका की पालिंस्ट के साथ खूब अच्छी तरह बढ़ा ली थी और इनके डायरेक्टर सदैव ऊँचे से ऊँचे ओहदे के अग्रेज़ जमीदारों, भूतपूर्व मन्त्रियों तथा बड़े-बड़े पूँजी-पतियों के ही मडल से भर्ती किये जाते थे। इसी प्रकार जो लोग कम्पनी की नौकरी में खूब धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे और फिर कम्पनी के डायरेक्टर

बन जाते थे वे भी बृटिश पार्लिमेंट के अथवा दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट के मेम्बर बन जाते थे।

इन अग्रेजी कपनियों में से दो सब से बड़ी थी, जिनके नाम थे (१) डि बियर्स (De Beers); तथा (२) बृटिश साउथ अफ्रीका कंपनी। डि बियर्स कंपनी दक्षिणी अफ्रीका में हीरे की खान का काम करती थी और बृटिश साउथ अफ्रीका कंपनी रोडेशिया (Rhodesia) में सोने की खान का काम करती थी।

‘डि बियर्स’ की स्थापना सन् १८८८ ई० में तीन ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गयी थी जो उन्नीपवी शताब्दी के सब से प्रसिद्ध पूँजी-पति माने जाते थे और जिनके नाम थे (१) सीसिल रोड्स (Cecil Rhodes), (२) बार्ने बार्नेटो (Barney Barnato) तथा (३) अल्फ्रेड बीट (Alfred Beit)। दक्षिणी अफ्रीका के किम्बरली (Kimberly) प्रात में पहले बहुत सी अग्रेजी कपनियाँ खानों से हीरा निकालने का काम कर रही थी। किंतु सन् १८८८ ई० में रोड्स साहब के प्रयत्नों से ये सब कंपनियाँ एक में मिला दी गयी और इनका नाम “डि बियर्स कान्सालिडेटेड माइन्स” (De Beers Consolidated Mines) रखा गया। स्वयं रोड्स साहब उसके मैनेजर बने, जिससे वह एक शाही आमदनी के हकदार हो गये और उनकी शक्ति अब वेहद बढ़ गयी। दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेंट में अब उन्हे कम से कम चार आदमियों को अपनी, मर्जी से ही सदस्य बना कर भेजने का हक प्राप्त हो गया।

१२ मई सन् १८८८ को इस सम्मिलित कंपनी के तमाम हिस्सेदारों की जो एक साधारण मीटिंग हुई थी उसमें रोड्स साहब ने इस के विषय में कहा था कि :—

“इस कंपनी की सम्पत्ति का मूल्य समस्त ‘गुडहोप’ अंतरीप के उपनिवेश की सम्पत्ति के बराबर है। अब हम एक ऐसे व्यवसाय के

मालिक हो गये हैं, जिसने गवर्नमेट के अदर एक दूसरी गवर्नमेट स्थापित कर दी है।”

इस कपनी की वर्तमान पूँजी साढे चार लाख पौड़ से भी ऊपर है, और इसका मुनाफा सन् १९२३ तथा सन् १९२६ के बीच में २०% से लेकर ६०% तक बढ़ा गया था। सन् १९२६ से १९३६ तक कोई मुनाफा नहीं बढ़ा, किन्तु सन् १९३७ में फिर ३०% बढ़ा गया। रोड्स साहब के दूसरे हिस्सेदार वार्नें वार्नेंटो के उत्तराधिकारी उनके तीन भतीजे थे, जिनमें से सब से छोटा जैक वार्नेंटो जोल (Jack Barnato Joel) अभी जीवित है और उसका एक लड़का बृटिश पार्लिमेट का अनुदार पक्ष की ओर से मेम्बर भी है। इस कुदुम्ब के केवल तीन ही आदमी इस समय कम से कम पेतालीस कपनियों के डायरेक्टर हैं जो दक्षिणी अफ्रीका में सोने, हीरे और ताम्बे की खानों का काम कर रही हैं, और जिनकी कुल पूँजी ४ करोड़ ३० लाख पौड़ से भी ऊपर पहुँचती है। रोड्स साहब के तीसरे हिस्सेदार अल्फ्रेड वीट अविवाहित अवस्था में भरे थे और करीब एक करोड़ पौड़ की सम्पत्ति छोड़ गये थे। उनके भतीजे सर अल्फ्रेड वीट इस समय अनुदार दल की ओर से बृटिश पार्लिमेट के मेम्बर हैं और बृटिश साउथ अफ्रीका कपनी से विशेष सम्बंध रखते हैं।

‘डि वियर्स’ के वर्तमान चेयरमैन सर अर्नेस्ट ऑपेनहीमर (Sir Ernest Oppenheimer) हैं, जो इसे समय ३६ कपनियों के डायरेक्टर हैं। ये कपनियाँ दक्षिणी अफ्रीका में हीरा, सोना और ताम्बे की खानों का कारबार करती हैं। हीमर साहब के भी एक साढ़ू बृटिश पार्लिमेट में अनुदार पक्ष की ओर से सदस्य हैं, और स्वयं हीमर साहब दक्षिणी अफ्रीका की पार्लिमेट के सदस्य हैं।

यहाँ तक तो ‘डि वियर्स’ का वर्णन हुआ। अब बृटिश साउथ अफ्रीका कपनी का भी हाल सक्षेप में सुन लीजिए। इसकी स्थापना भी उन्हीं त्रिमूर्तियों द्वारा की गयी थी जिन्होंने ‘डि वियर्स’ को स्थापित

किया था। किंतु इसके विषय में सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए पार्लिमेंट पर भी प्रभाव डाला गया था और कुछ ऐसे उपायों का सहारा लिया गया था, जो किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। आयरलैंड में उन दिनों मिस्टर पार्नेल के नेतृत्व में होमरूल का आन्दोलन चल रहा था। अतएव पार्लिमेंट के राष्ट्रीय आयरिश सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए रोड़्स साहब ने उनके होमरूल फ़ंड में १०,००० पौंड की चेक बतौर चन्दे के दे डाली और अनुदार सरकार ने भी उसे चुपचाप सहन कर लिया। निदान सन् १८८६ में बृटिश साउथ अफ्रीका कपनी के लिए एक रायल चार्टर प्राप्त हो गया जिससे उसे रोडेशिया प्रदेश के विस्तृत क्षेत्र में अपना पूरा पैर फैलाने का सपूर्ण अधिकार मिल गया।

इस समय इस कपनी का कारबार तमाम रोडेशिया में फैला हुआ है, जिसके उत्तरी प्रदेश का क्षेत्रफल १,४६००० वर्ग मील है और दक्षिणी प्रदेश का क्षेत्र फल २,६१००० वर्ग मील है। इस सम्पूर्ण भूमि पर उक्त कम्पनी को बृटिश चार्टर के अनुसार अपना एकछत्र राज्य करने का अधिकार मिला हुआ था। किंतु सन् १९२३ के १२ मितम्बर को दक्षिणी प्रदेश उसके हाथ से ले लिया गया और उसे बृटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश घोषित कर दिया गया। पश्चात् ३१ मार्च सन् १९२४ को उत्तरीय प्रदेश पर से भी कपनी ने अपना शासनाधिकार हटा लिया और वह बृटिश सरकार को सौंप दिया गया।

किंतु इसके बदले में कपनी को बृटिश सरकार से ३७,५०,००० पौंड नकद मिले और साथ ही उसे वहाँ अपने सोने की खानों का कारबार पूर्वत जारी रखने का भी पूरा अधिकार दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त देश भर में उसकी जहाँ-जहाँ रेलवे लाइने फैली हुई हैं उनके सम्बंध में भी उसके कुल अधिकार सुरक्षित कर दिये गये हैं। यही नहीं,

उत्तर-नश्चिमी रोडेशिया में जो भूमि सन् १६६४ ई० तक बेची जायगी उसके मूल्य में भी इस कपनी का आधा हिस्सा रहेगा।

इस समय कपनी के पास लगभग ३५५ लाख एकड़ भूमि रोडेशिया तथा बेकुआनालैड में मौजूद है, तथा करीब २७०८ मील लंबी रेलवे लाइन पर भी यह अपना पूरा अधिकार रखती है। साथ ही रोडेशिया लैंड वैक की भी मालिक यही कपनी है। इसके कई डायरेक्टर तथा उनके बहु-वाधवगण इस समय वृटिश पार्लिमेंट के अनुदार सदस्य हैं, और सरकारी नीति में अपना प्रभावशाली हाथ रखते हैं।

इस प्रकार वृटिश सरकारी नीति और धन की सहायता से ये कपनियाँ अफ्रीका के उपनिवेशों में अपना विशाल कारबार फैलाकर मनमाना मुनाफा कमा रही है। किंतु क्या इस “सरकारी नीति और धन की सहायता” का कुछ भी अश उन्हांने अपने अफ्रीकन मजदूरों की दशा सुधारने के लिए खर्च किया? जिन लोगों ने उन्हे इस अपरिमित धनराशि का मालिक बनाने में अपनी एड़ी और चोटी का पसीना एक कर दिया, उनकी गिरी हुई अवस्था को सुधारने अथवा उनके कष्टों को दूर करने की क्या कोई भी तदवीर की गई?

अफ्रिकन निवासियों के साथ इन अग्रेजी कपनियों का कैसा व्यवहार होता रहा है इसका परिचय एक दूसरी कपनी के सम्बन्ध में प्रकाशित सरकारी उपनिवेश की रिपोर्ट से मिलता है, जो सितम्बर सन् १६३८ में प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में अफ्रीका के सरकारी उपनिवेशों के निवासियों की जैसी दशा दिखाई गई है वह व्यश्य बड़ा ही करुणाजनक है। एक स्थान पर गोरों की वस्ती बसाने के हेतु इनकी भूमि छीनी जाने का वर्णन इस प्रकार दिया हुआ है:—

“करीब १०,००० वर्गमील भूमि की जो स्वीकृति (गोरों के चासने के लिए) दी गयी है उसी से (मूल निवासियों के लिए) जमीन की कमी पड़ गई। दुर्भाग्यवश इस स्वीकृति के बाद ही

बहुसंख्यक मनुष्य अपनी भूमि से निकाल बाहर कर दिये गये, यद्यपि उस समय जमीन की कोई जरूरत न थी और न आज तक ही उसका उपयोग गोरी बस्ती के बसाने के लिए किया गया। परिणामस्वरूप जमीन का एक बड़ा विस्तृत भाग बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है, जहाँ किसी समय की खेती के चिन्ह अब भी आकाश से देखे जा सकते हैं। यहाँ के मूल निवासी अपनी भूमि के छिन जाने से अत्यत दुखी हैं इसमें जरा भी सदेह नहीं।.....”

हाब्सन साहब के शब्दों में “जब तक मूल निवासियों की भूमि पर गोरे खदान वालों तथा जमीन्दारों का अपने व्यक्तिगत व्यवसाय और अदूरदर्शी स्वार्थों के लिए इस प्रकार का आक्रमण होता रहेगा तब तक यह दावा करना कि हम इन निवासियों को आदमी बनाना चाहते हैं या इसी ढग की कोई और बाते केवल पाखड़-प्रदर्शन के सिवाय कुछ नहीं है, चाहे वे किसी खदान के डायरेक्टर द्वारा कही जाय अथवा किसी राजनीतिज्ञ द्वारा हाउस आफ़ कामन्स में घोषित की जाय।”

सरकारी उपनिवेशों के गवर्नर तथा अन्य अफसर लोग अपने उपनिवेश की किसी कपनी में डायरेक्टर अथवा हिस्सेदार बिना विशेष आज्ञा प्राप्त किये नहीं हो सकते। किन्तु यह प्रतिबंध केवल कुछ निश्चित समय के लिए ही रखा गया है। उतना समय बीत जाने पर फिर वे न केवल इन पदों पर हो ही सकते हैं, बल्कि हुआ भी करते हैं। यही नहीं वृटिश कामन्स सभा की मेम्बरी की भी वे उम्मीदवारी कर सकते हैं। कहना न होगा कि ये सब भी केवल उसी एक वर्ग के पुर्जे हैं, जिनके अन्य अनुदार पार्लिमेटी सदस्य। सर जान एंड-र्सन जो इस समय पार्लिमेट के अनुदार सदस्य हैं, सन् १९३२-३७ में यहाँ बगाल के गवर्नर थे। इसी प्रकार मिस्टर एल० एस० एमरी *

*आजकल यही एमरी साहब भारतमंत्री हैं—अनुवादक

(L. S. Amery) भी जो सन् १९२४-२६ में ब्रिटिश मन्त्रि-मंडल के अन्दर उपनिवेश मन्त्री की हैसियत से और (सन् १९२५-२६ में) डोमिनियन सेक्रेटरी की हैसियत से रह चुके हैं, इस समय दक्षिण-पश्चिमी अफ्रिका में सोने की खदान का काम करने वाली एक संस्था के डायरेक्टर हैं तथा आस्ट्रेलिया में भी तीन सोने की खान का काम करने वाली कपनियों के डायरेक्टर हैं। साथ ही एक ट्रस्ट कम्पनी के प्रेसिडेन्ट भी हैं जिसका करीब ३५ लाख पौंड कनाडा में जमीन और जायदाद के कामों में लगा हुआ है।

विदेशों में भी ब्रिटिश पूँजी

ब्रिटिश पूँजी-पतियों की एक बहुत बड़ी रकम विदेशों में भी लगी हुई है, और स्वभावतः इनमें से अनेकों पूँजी-पति ब्रिटिश पार्लिमेट में सरकारी पक्ष के सदस्य हैं।

नीचे की सूची से प्रकट हो जायगा कि कितने पार्लिमेटी मेम्बरों का किन-किन देशों में इस समय व्यापारिक स्वार्थ है :—

देशों के नाम	पार्लिमेट में प्रति संघ	व्यवसाय	डायरेक्टर में की
स्पेन	२	लोहा, खदान व जहाज़	२
जुगोस्लाविया ..	१	शीशा (Lead) ..	१
नार्वे ..	२	व्हेल (Whaling)	२
मिश्र ...	२	नहर व वीमा ..	२

देश के नाम	पार्लिमेंटी सदस्यों की संख्या	व्यवसाय	डायरेक्टरशिप की संख्या
ईराक	...	वीमा	१
चीन	...	बैंकिंग	१
मेक्सिको	...	तेल व सिमेंट	३
पनामा	...	टैकंस	१
कोलम्बिया	...	सोना	३
वेनेजुला	...	तेल	२
पेरू (Peru)	...	आटा	१
चिली (Chile)	...	आटा	१
ब्रैज़िल	...	सोना, कहवा, पश्चिमिक वर्क से फिनान्स, रेलवे	५
अर्जेन्टाइन	...	फिनान्स, रेलवे	२
युराग्यूचे (Uruguay)	२	फिनान्स	२

इनमें से कुछ व्यवसायिक स्वार्थ अभी हाल की महत्वपूर्ण घटनाओं से भी सम्बन्ध रखते हैं। जून २३ सन् १९३८ को पार्लिमेंट में एक प्रस्ताव किया गया था कि स्पेन के विष्वकारी जेनरल फ्रैंको के व्यापारी जहाजों पर बृटेन द्वारा रोक लगा दी जावे। इसके उत्तर में उस समय

उल्लेख पहिले एक स्थान पर किया जा चुका है। सन् १९३८ की अंग्रेजी स्टाक एक्सचेज इयर-बुक” (Stock Exchange Yearbook, 1938) में इस कंपनी के संबंध में इस प्रकार लिखा है:—

“यह साबुन और मारगरीन के व्यवसाय में समस्त वृद्धि साम्राज्य में तथा योरोप एवं पृथ्वी के अन्य भागों में भी अपना कब्जा रखती है। साथ ही वह ३०० से अधिक दूसरी कंपनियों में भी अपना हिस्सा रखती है, जिसमें आस्ट्रेलेशिया, कनाडा, और दक्षिण अफ्रिका के अन्दर शक्तिशाली व्यवसायिक स्वार्थ शामिल हैं.....”

इस कंपनी की पूँजी इस समय ६ करोड़ ७० लाख पौंड से भी अधिक है। साधारण शेयर पर इसका मुनाफा सन् १९३२ से १९३६ तक १५% बढ़ा गया था।

इस प्रकार साम्राज्य भर में एवं सम्राज्य से बाहर भी अपना व्यवसायिक जाल फैला रखने वाली कंपनियों के डायरेक्टरों तथा सरकारी उपनिवेशों के भूतपूर्व कर्मचारियों का पार्लिमेंट की कामंस सभा में बने रहना आज के लिये कोई नई बात नहीं है। पिछले योरपीय महायुद्ध के पहिले भी इसका जहरीला असर वृद्धि राजनैतिक जीवन पर वरावर देखा जाता था :—

“दिन पर दिन इस देश में अर्थात् (इंग्लैंड में) भारतीय साम्राज्य तथा सरकारी उपनिवेशों से लौटे हुए ऐसे सैनिकों और राजनैतिक कर्मचारियों की सख्त बढ़ती जाती है, जिनके स्वभाव और रहन-सहन में वहाँ की हुक्मत भरी शान-शौकत और नवाची तौर-तरीकों का रंग पैदा हो चुका है। इनके साथ ही अनेकों अंग्रेज व्यापारी, जर्मांदार, एंजीनियर तथा ओवरसीयर आदि जो इन देशों से लौटकर आते हैं वे भी अपने वहाँ के जहरीले विचारों, चरित्रों और भावनाओं को अपने साथ ही साथ यहाँ (इंग्लैंड में) लेते आते हैं।

इनमें जो लोग ज्यादा मालदार होते हैं वे अपनी राजनैतिक आकाद्धाओं को अधिक ज़ॉचा ले जाते हैं और फिर हमारी पार्लिमेंट की सभाओं के अंदर भी वे अपनी साम्राज्यशाही भावनाओं की स्वार्थपूर्ण और गंदी छूट फैलाया करते हैं, तथा अपने साम्राज्य-संबंधी अनुभवों एवं सबधों से लाभ उठाकर अपने निजी लाभ के लिए मुनाफ़े वाली कपनियाँ खड़ी करते एवं उनके लिए हर प्रकार की संरकारी रियायतें किया करते हैं।”—हाब्सन

आज भी ये साम्राज्य के ज़हरीले वातावरण में पले हुए तथा साम्राज्यशाही में अपना स्वार्थ रखने वाले बहुसंख्यक गोरे पूर्ववत् क्रियाशील दिखाई देते हैं। इन्हीं लोगों का प्रताप है कि आज इंग्लिस्तान में भी' सेडीशन ऐक्ट (Sedition Act), पब्लिक आर्डर ऐक्ट (Public Order Act), तथा ट्रेड्स-डिस्प्यूट ऐक्ट (Trades Disputes Act) जैसे कानून पास किये गये हैं। इस समय बृटिश अनुदार सरकार का पिष्टोषण करने वाले इस प्रकार के कम से कम ७६ सैनिक जो साम्राज्य से नौकरी करके लौटे हैं, ४८ कपनी डायरेक्टर, जिनके कारखाने साम्राज्य भर में फैले हैं, तथा कितने ही सरकारी उपनिवेशों के भूतपूर्व गवर्नर पार्लिमेंट के अंदर अपनी क्रियाशीलता साम्राज्यशाही को मजबूत बनाने में प्रकट कर रहे हैं। हाब्सन साहब के शब्दों में “जो लोग इस देश (अर्थात् इंग्लिस्तान) के वैधानिक अधिकारों एवं रीतियों को कुचलने तथा प्रजा की स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने में यहाँ के नवाबों और अमीरों के उपेक्षापूर्ण और धूरणाव्यजक व्यवहार पर आश्र्य प्रकट करते हैं, वे कदाचित् उस गैरजिम्मेदार हुक्मत के बढ़ते हुए जहर को ध्यान में नहीं लाते, जो हमारी शुलाम बनाने वाली असहिष्णु और अग्रसर साम्राज्य से इस देश (अर्थात् इंग्लिस्तान) में भी बराबर प्रवेश कर रहा है।”

ठाइम्स नामक पत्र में मिस्टर हेराल्ड स्टैनर्ड के ‘वेस्ट इंडीज़’ पर जो तीन लेख निकले हैं उसमें उन्होंने कहा है:—

“अब भी समय है कि हमारे धन का वह हिस्सा, जो साम्राज्यवाद के नाम पर बाहर से बटोरा गया है और जिसे हमारी आत्मा अब बुरा कह रही है, वहाँ वापस भेज दिया जाय। (साम्राज्य की) प्रजा की दशा सुधारने वाली नीति तथा उसके लिए उचित उपाय सीधे इंग्लिस्तान से जारी किए जाय। . आज जिस बात की आवश्यकता है वह है एक ऐसी उत्साहपूर्ण नैतिक लहर की जो हाउस आफ कामन्स से बहती हुई उपनिवेशी दफतरों को भली भांति परिष्कृत करदे—ठीक वैसी ही नैतिक लहर जैसी गुलामी की प्रथा बन्द करने के समय दिखाई दी थी।”

इस प्रकार की लहर का स्वागत कौनः नहीं करेगा? किन्तु इसके लिए असली नेताओं की जरूरत है और ऐसे असली नेता, हम जानते हैं, वर्तमान अनुदार दल के सदस्यों में कही नहीं हैं, जो साम्राज्य में सेवा के भाव से दिलचस्पी दिखाने वालों का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके। अस्तु, अब केवल एक ही उपाय है, जैसा कि हावमन साहब लिखते हैं:—

“सरकारी सहायता के बल पर राष्ट्र के साधनों को अपने। व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाली साम्राज्यवादी शक्तियों का विनाश केवल सच्चे जनतत्र-शासन की स्थापना के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक नीति का नियन्त्रण केवल प्रजा के हित के लिए उसी के चुने हुए ऐसे प्रतिनिधियों के हाथ में देना चाहिए, जिनपर प्रजा का पूरा अधिकार है”।

आज दुनिया के तमाम हिस्सों में एकत्र शासन और जनतत्र शासन के बीच एक भयकर सर्वपर्ण चल रहा है। उपनिवेशी साम्राज्य भी इससे मुक्त नहीं। आज हम सबों के शिर पर एक महायुद्ध की सभावना नाच रही है। और कोई यह नहीं कह सकता कि इस

“अब यह सभावना वास्तविकता में परिणत हो चुकी है और रणचड़ी का प्रलयकारी नृत्य योरोपीय आगन में एक छोर से दूसरे छोर तक अपना विकराल रूप धारण कर रहा है। अब तक अनेकों देश अपनी स्वतत्रता को इसकी भैंट कर चुके हैं। आगे क्या होगा ईश्वर जाने। — अनुवादक।

महायुद्ध का अंतिम निर्णय करने में साम्राज्य के इन उपनिवेशों का भी एक महत्वपूर्ण भाग न रहेगा। किंतु जब इन उपनिवेशों के निवासियों को स्वयं स्वशासन के अधिकार नहीं मिले हैं और न उन्हे देने के लिए बृटिश शासक वर्ग अभी तैयार ही है, तब भला ये जनतन्त्रवाद के युद्ध में क्या हैसला दिखायेगे? स्वराज और जनतन्त्रवाद की रक्षा का जो दावा बृटिश अनुदार पक्ष अब तक करता आ रहा है वह इन उपनिवेश निवासियों की दृष्टि में केवल पाखड़ियों का अन्तुत पाखड़ मात्र जान पड़ेगा।

अनुदार पक्ष से शासित ब्रटेन यदि आज किसी सकर्ट मे फैस जाय तो विश्वास रखना चाहिए कि सरकारी उपनिवेशों के निवासी उसकी सहायता करने से बिल्कुल इन्कार कर देंगे, और जहाँ कही वह अपने को समर्थ देखेंगे वहाँ शासकों से शक्ति छीनने की चेष्टा करेंगे। सारा बृटिश साम्राज्य इस समय डगमग। दशा मे दिखाई दे रहा है और कोई भी गहरा धक्का इस अवस्था का अत कर देने के लिए काफी होगा, जिसमें एक नन्हे से टापू का व्यापारी समुदाय दुनिया के एक बड़े भारी हिस्से पर हुक्मत चला रहा है।

वास्तव मे जनतन्त्रवाद के युद्ध में बृटिश साम्राज्य की स्थिति बड़ी ही नाज़ुक है, और इसका कारण है भीतरी फूट। फासिज्म द्वारा भी इसमें आतंरिक झगड़े फैलाये जाने के भय मौजूद है। अभी हाल में फिलस्तीन मे जिस प्रकार अरबों की शिकायतों को उभाड़ कर इटली की तानाशाही ने अपना मतलब साधने के लिए गृह-युद्ध छिड़वा दिया था, वह उपरोक्त कथन की पुष्टि के लिए एक काफी उदाहरण है। अस्तु, निश्चय है कि बृटिश साम्राज्य की शक्ति में दिन पर दिन कमज़ोरी आती जायगी, जब तक कि उस कमज़ोरी को मिटाने के लिए कोई वास्तविक उपाय न किया जाय। दूसरे शब्दों में अगर वर्तमान अनियन्त्रित शासन के बजाय उसमें सच्चा जनतंत्रशासन नहीं स्थापित किया जाता तो इस साम्राज्य के अलग-अलग ढुकडे हो जाना अनिवार्य है।

वृटिश साम्राज्य की कमजोरी से उपनिवेश-निवासियों को भी नुकसान पहुँच सकता है, कारण कि ऐसी दशा में वे फासिज्म अर्थात् तानाशाही के शिकार आसानी से बन सकते हैं। किन्तु अग्रेजों के लिए तो वह एकवार्गी विनाश का ही कारण बन सकता है, कारण कि साम्राज्य के भीतर और बाहर से जितनी अधिक सहायता की उन्हे आज जरूरत है उतनी पहले कभी नहो हुई। और इस कमजोरी का सारा उत्तरदायित्व वृटिश अनुदार-दल के व्यापारियों पर है। इन्हीं लोगों ने हमे (अर्थात् अग्रेजों को) आज करोड़ों आदमियों की सहानुभूति और मित्रता से बचित कर दिया है। वृटिश अनुदार सरकार के प्रति उपनिवेशी जनता के मन में सिवाय अविश्वास और सदेह के दूसरा कोई भाव पैदा ही नहीं हो सकता। अनुदार दल और पूँजीबाद अब दोनों सदा के लिए एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं।

अब जब तक कोई ऐसी वृटिश सरकार स्थापित न हो जो जनतत्र-बाद में अपना सच्चा विश्वास रखती हो और जो अपने कार्यों से भी यह सिद्ध करने के लिए तैयार हो कि वह साम्राज्य-निवासियों की स्वतत्रता-प्राप्ति में सहायता देने की सचमुच इच्छुक है, तब तक वह सहानुभूति कदापि नहीं प्राप्त की जा सकती, जिसे अनुदार सरकार ने इस शोक-जनक रीति से अपने हाथों गवाँ दिया है। यदि ऐसी सरकार स्थापित हो जाय तो वह जनतत्र-राष्ट्रों का एक ऐसा सब तैयार कर सकती है जो आपस में प्रेम और मित्रता का नाता रखते हुए एक दूसरे के साथ मिल जुल कर रह सके। ऐसे सब को कोई भी न छोड़ना चाहेगा, यदि उसका सगठन सबों के हित की दृष्टि से किया गया हो और न केवल वृटिश शासकदल के व्यापारियों की ही स्वार्थसेवा के लिए हो। वर्तमान कमजोर अग्रेजी साम्राज्य के स्थान पर एक ऐसा ज़बर्दस्त राष्ट्रों का संघ खड़ा दिखाई देगा, जो सारे सासार की शाति, सुख और स्वतत्रता को सुरक्षित रखने में बड़ी भारी सहायता पहुँचा सकता है।

छठवां अध्याय

हाउस आफ़ कामन्स में अंग्रेजी सामंतों या नवावों का घराना

“अंग्रेज नवावी घरानों का मूल रहस्य मुद्रों को जीवितों की मान-मर्यादा का उद्गम स्थान मान लेने में है तथा जीवित मनुष्यों की प्रतिष्ठा को उनके व्यक्तिगत चरित्र और आचरणों पर उतना निर्धारित न करके उनके मरे हुए पूर्वजों की ही हैसियत और कार्यों पर निर्धारित रखने में है। लेकिन चूँकि वे नवावी घराने शेष जनसमुदाय से विलकुल अलग नहीं रह सकते तथा इनकी शाखायें और प्रतिशाखायें अनेक ज़ेब्रों में पहुँचती हैं, और चूँकि समाज में इनका गहरा प्रभाव भी सामाजिक सम्बन्धों को सदा प्रभावित करता रहता है, इसलिए तमाम लोगों के मन थब धीरे-धीरे उसी विचारशैली में अभ्यस्त हो गये हैं, जिसे देखकर ग्रन्थया वे अपना मुँह सिकोड़ लिये होते।”—Lecky, “Rise and Influence of Rationalism,” Vol. I.

आधिकाश अनुदार पार्लिमेंटी सदस्य, जिनका इस पुस्तक में उल्लेख किया जा चुका है, उपाधिधारी व्यक्ति है। इनके अतिरिक्त बहुतेरे और भी ऐसे हैं, जिनका उल्लेख नहीं किया गया है और जो अंग्रेजी सामत घरानों के वशज हैं। इस समय निम्न-लिखित व्यक्तियों ने इम दाउस आफ़ कामन्स में सरकारी कुर्मियों पर बैठे हुए देखते हैं:—

(१) ग्रॉ विटर्टन (Earl Winterton).

(२) मार्क्सित आफ़ टिचफील्ड (Marquess of Titchfield).

- (३) मार्किस आफ क्लाइड्सडेल (Marques of Clydesdale).
- (४) वाईकाउन्ट क्रेनबर्न (Viscount Craneborne)
- (५) वाईकाउन्ट कैस्लरीग (Viscount Castlereagh)
- (६) वाईकाउन्ट वुल्मर (Viscount Wolmar)
- (७) लार्ड बैनियल (Lord Baniel)
- (८) लार्ड बर्गले (Lord Burghley)
- (९) लार्ड ऐप्सली (Lord Apsley)
- (१०) लार्ड मी० क्रिश्टन-स्टुअर्ट (Lord C. Crichton-Stuart)
- (११) लार्ड डनग्लास (Lord Dunglass)
- (१२) लार्ड विलियम स्काट (Lord William Scott)
- (१३) लार्ड विलोब डि एरिसबी (Lord Willoughby de Eresby)

ये लोग प्रजावर्ग के मनुष्य नहीं हैं, किंतु फिर भी ये कामन्स सभा के मेम्बर हैं। ये सब के सब अनुदार दल के लोग हैं। लेकिन यह भी सरकारी पक्ष के केवल कुछ थोड़े ही से इनें-गिने उपाधिधारी व्यक्तियों के नाम हैं। इनके अतिरिक्त ढेरो वैरोनेट, नाइट तथा आनरेखुल उपाधियों से भी विभूषित लोगों की भीड़ सरकारी कुर्सियों पर बैठा करती है। साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यद्यपि उपाधिधारी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी नवाची घरानों के आदमी हैं।

साधारण लोगों में यह विश्वास प्रचलित है कि वर्तमान राजनीति में नवाची घरानों का प्रभाव बहुत कम रह गया है, किंतु यह केवल एक भ्रम है। रईसों और नवाचों का राजनैतिक प्रभाव केवल लार्ड-सभा तक ही सीमित नहीं है। कामन्स-सभा में तथा मनिमंडल में भी